खण्ड-274, अंक-6
शुक्रवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1889
(21 जुलाई, 1967 ई0)

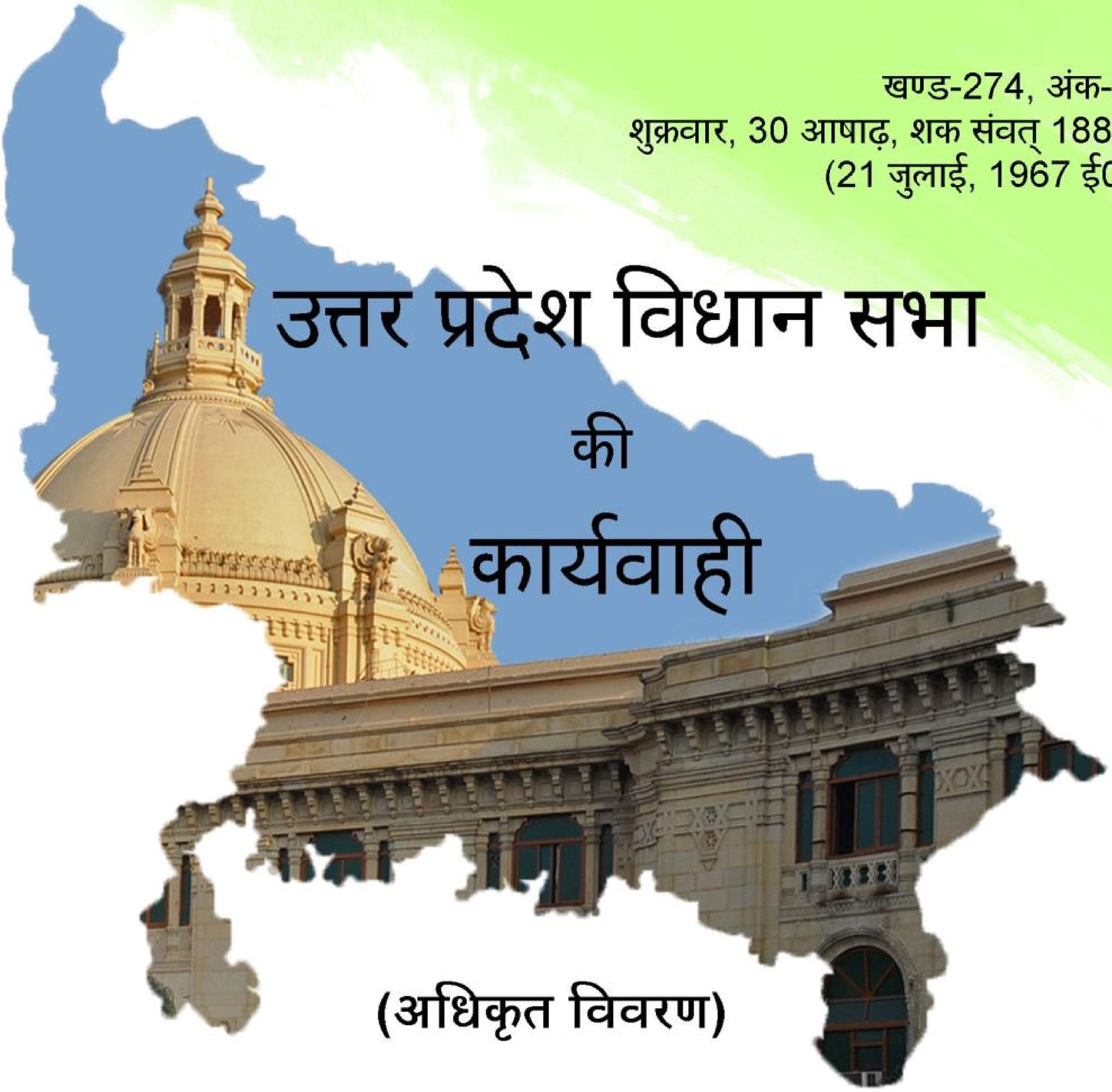

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता म आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३९६

अंगगे लाल, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेशनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दूगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय वाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडे, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निस्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री

निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पल्लर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलबीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त लाल, श्री (आलौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह बिशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री

रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकांत, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्रदत्त, श्री
राजन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम मूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपन थ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लाल कृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
बरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशुन प्रताप सिंह, श्री
बिश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
बिश्वनाथ सिंह, श्री
बिष्णु स्वरूप, श्री
बीरबहादुर, श्री
बीरेन्द्र वर्मा, श्री
बीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---उप मुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न)

तिवारी, ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, इटावा की अध्यापिकाओं का वेतन

*१---श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा) ---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालज, इटावा की अध्यापिकाओं को १९६४ के ग्रीष्मावकाश का वेतन क्यों नहीं दिया गया जबकि १ जुलाई, १९६३ से अब तक वे निरन्तर उस विद्यालय में कार्य कर रही हैं ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

इस संस्था की ६ अध्यापिकाओं का १९६४ के ग्रीष्मावकाश का वेतन संस्था के प्रबन्ध समिति की गलती से नहीं दिया गया था यद्यपि नियमानुसार यह देय था। संस्था की प्रबन्ध समिति के आपसी झगड़े के कारण अनुदान निलम्बित है और जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा इस विद्यालय की अध्यापिकाओं का वेतन सितम्बर, १९६६ से बांट रहे हैं। उनको यह आदेश दे दिया गया है कि इन अध्यापिकाओं के उक्त वेतन का तुरन्त भुगतान कर दिया जाय।

श्री सहदेव सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि अगस्त, १९६४ में प्रबन्ध समिति ने रीजनल इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को यह पत्र लिखा था कि यह वेतन दिया जाय या नहीं, लेकिन उन्होंने प्रबन्ध समिति को यह निदेश नहीं दिया कि वेतन दिया जाय ?

श्री राम प्रकाश—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री सहदेव सिंह—

जिलाधिकारी निरीक्षक को यह आदेश कब भेजा गया और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम प्रकाश—

यह आदेश इसी महीने में दिये गये हैं, शीघ्र कार्यवाही हो जावेगी।

श्री मुलायमसिंह (जिला इटावा)—

उस विद्यालय की ग्रांट कब से बन्द है ?

श्री राम प्रकाश —

यह ग्रांट सितम्बर, ६६ से बन्द है।

श्री सहदेव सिंह—

क्या यह सही है कि इस विद्यालय में ४ महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और वे परेशान हैं ? क्या मंत्री जी इसके लिये उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

ऐसी सूचना नहीं है कि ४ महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।

वैश्य, डिग्री कालेज, शामली के प्रधानाचार्य का वेतन

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि शामली, जिला मुजफ्फरनगर में वैश्य डिग्री कालेज को ग्रांट इन एड, नवम्बर, १९६६ से अनधिकृत व्यक्तियों को दी जा रही है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त कालेज के प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापकों को गत एक वर्ष से कोई वतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश---

प्रधानाचार्य को वेतन दिया जा रहा है। डा० के० एन० पाठक के अतिरिक्त सभी अध्यापकों को ३०-४-६७ तक का वेतन दिया जा चुका है।

डा० के० एन० पाठक को जून, ६६ से २३-१०-६६ तक ग्रांट का भुगतान देर में होने के कारण तथा २४-१०-६६ से निलंबित किए जाने के कारण वेतन नहीं दिया गया। ग्रान्ट मिल जाने पर न तो इनका पता ही ज्ञात है और न वे स्वयं उस समय तक वेतन लेने आयें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जिस प्रधानाचार्य को वेतन दिया जा रहा है उसका नाम क्या है ?

श्री राम प्रकाश---

श्री कौशिक।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या यह सही है कि मेरठ यूनिवर्सिटी श्री कौशिक को प्रधानाचार्य नहीं मानती ?

श्री राम प्रकाश---

इस संबंध में गोपनीय जांच चल रही है कि वह प्रधानाचार्य एप्रूव्ड हैं या नहीं और इनको जो वेतन दिया गया है, वह उचित है या गलत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जब गोपनीय जांच चल रही है तो किस आधार पर उन्होंने यह उत्तर दिया कि सही प्रधानाचार्य को ही वेतन दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह कहा लिखा है इसमें ? इसमें लिखा है कि प्रधानाचार्य को वेतन दिया जा रहा है।

श्री राम प्रकाश---

जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि वे अनधिकृत हैं तब तक अधिकृत ही माना जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० के० एन० पाठक जो वाइस प्रिन्सिपल हैं वे शामली में ही रहते हैं। अगर वे वेतन नहीं लेने आये या उन्हें वेतन नहीं दिया गया, तो क्या उनका वेतन जो गवर्नमेंट से आया था वह कालेज के अकाउन्ट में जमा है या सारा निकाल लिया गया है ?

श्री राम प्रकाश---

श्रीमन्, ये तो विस्तार की बातें हैं। इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री राम प्रकाश---

डिप्टी डाइरेक्टर द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिप्टी डायरेक्टर, एजूकेशन को यह जानकारी है कि वाइस चान्सलर महोदय डा० लक्ष्मीनारायण को ही प्रिन्सिपल मानते हैं और श्री कौशिक को नहीं मानते हैं ? क्या इसकी लिखित सूचना डिप्टी डायरेक्टर ने भेजी है ?

श्री राम प्रकाश---

क्योंकि गोपनीय जांच हो रही है इसलिये इसे बताना कठिन होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसी प्रिन्सिपल को, जिसको डिग्री कालेज स्वीकार करता है, और जिस अनधिकृत व्यक्ति को वेतन दे रहे हैं, अनधिकृत मानते हुए यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने कालेज को डिसएफीलिएट करने की सिफारिश की है ?

श्री राम प्रकाश---

श्रीमन्, इसकी जानकारी तो नहीं है । वैसे मुझे कुछ पता लगा था कि ऐसी सिफारिश की है लेकिन मेरे सामने वह जानकारी आई नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्सिपल के खिलाफ किन्हीं चार्जेज के बारे में गोपनीय जांच हो रही है या केवल इस बात की कि उनको यूनिवर्सिटी मानती है या नहीं ?

श्री राम प्रकाश---

श्रीमन्, वह तो बहुत स्पष्ट हो चुका है । जो मैनेजिंग कमेटी थी उसने प्रधानाचार्य को निलम्बित कर दिया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी । प्रधानाचार्य ने अपने निलम्बन के विरुद्ध मुकदमा कर रखा है । वह मुकदमा चल रहा है । जो दूसरे व्यक्ति प्रधानाचार्य नियुक्त किये गये थे उनको विश्वविद्यालय ने एप्रूव कर दिया है या नहीं किया है, वे अपने स्थान पर नियुक्त हैं । उनकी नियुक्ति उचित है या नहीं, उसकी जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---

नियुक्ति उचित है या अनुचित है, इस बात की जांच हो रही है या उनके विरुद्ध कोई आरोप हैं उसकी जांच हो रही है, यह प्रश्न है ।

श्री राम प्रकाश---

जो प्रधानाचार्य, श्रीमन् सस्पेन्ड किये गये थे और दूसरे नियुक्त किये गये हैं उनके बारे में जांच की जा रही है । नियुक्ति के बारे में गोपनीय जांच नहीं हो रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि सरकार की दी हुई ग्रान्ट्स सही है और अधिकृत व्यक्ति को ही दी जा रही है तो क्यों सरकार ने या डिप्टी डायरेक्टर ने उस ग्रान्ट को बन्द कर दिया ?

श्री राम प्रकाश---

जो ग्रांट इन एड दी जा रही है वह प्रधानाचार्य के नाम से दी जा रही है और प्रधानाचार्य के विषय में ही विवाद है कि वे अधिकृत उसके लिये नहीं हैं । इससे स्पष्ट है ।

देवरिया, जिला परिषद् की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

*४—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला परिषद् की कुछ अध्यापिकाओं का वेतन जनवरी, १९६६ से अप्रैल, १९६७ तक बाकी चला आ रहा है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और कितना-कितना वेतन कितने दिनों का बाकी है तथा उन्हें कब तक उक्त बकाया वेतन अदा कर दिया जावेगा ?

श्री राम प्रकाश—

संबंधित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४९७ पर)

इण्टर कालेज बनाने की मांग

*५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय २० वर्ष से अधिक हुये चल रहे हैं जिन्हें इण्टर कालेज बनाने के लिए सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो किस-किस जिले के कौन-कौन तथा क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के उन सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इण्टर कालेज घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री महरम सिंह—

क्या इसी सेशन में मंत्री जी उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह मंत्रीजी की इच्छा पर नहीं है । नियमानुसार में उनको बाध्य करूंगा कि १५ दिन के अन्दर उत्तर आ जावे ।

गोरखपुर जिले में राप्ती और घाघरा का कटाव

*६—श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्वमंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में राप्ती और घाघरा नदियों के कटाव से कितने गांव की जमीन तथा आबादी कट कर दूसरे गांवों में चली गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन गांवों में कटाव हुआ है उन गांवों के निवासियों को पुनर्वासित करने का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह यादव)—

बहुत प्रयत्न करने पर भी अभी तक सूचना एकत्र नहीं हो पाई है । सूचना एकत्र करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की और आवश्यकता होगी ।

श्री अश्वनी कुमार—

कौन कौन से बहुत से प्रयत्न किये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

इसी समय मेरे सेक्रेटरी ने खबर भेजी है कि सूचना आ गई है । जब माननीय चाहेंगे मैं इसे सदन के सामने पेश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगले सप्ताह में जो आपका दिन हो, तब सूचना दे दीजियेगा।

फैजाबाद जिले में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का महंगाई भत्ता

*७--श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल तथा संस्कृत पाठशालायें फैजाबाद जिले में ऐसी हैं, जिनमें प्राइमरी कक्षायें भी संलग्न हैं ?

*८--क्या उपरोक्त उन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों या अध्यापिकाओं को एडहाक भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उस जी० ओ० की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसके अनुसार यह एडहाक भत्ता दिया जाये या न दिया जाये ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मैनेजर, विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ का पत्र

*९--श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ के मैनेजर ने सरकार को हाल ही में लिख कर दिया है कि वे कालेज में बरती जाने वाली अनियमितताओं को दूर करने में असमर्थ हैं ? अतः सरकार कालेज को अपने हाथ में ले ले ? यदि हां, तो सरकार ने कालेज को अपने प्रबन्ध में ले लेने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राम प्रकाश--

मैनेजर ने अनियमितताओं को दूर करने में असमर्थता प्रकट की, लेकिन सरकार ने कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने को नहीं कहा।

[२१ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

डाक्टर रामदास कमेटी की सिफारिशें

*१--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसार शिक्षकों के सम्बन्ध में डा० रामदास कमेटी की रिपोर्ट क्या है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसको अभी तक सरकार ने क्यों कार्यान्वित नहीं किया ?

श्री राम प्रकाश--

डा० रामदास कमेटी की मुख्य सिफारिशें संलग्न तालिका में अंकित हैं।

उक्त कमेटी की आख्या पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी स्टाफ के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है और लगभग २/३ स्टाफ के स्थायीकरण के आदेश दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९८ पर।)

श्री श्रीराम तिवारी--

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि डा० रामदास कमेटी की सिफारिशों को वह कब तक स्वीकार करने जा रहे हैं ?

श्री राम प्रकाश--

बेसिक एजूकेशन बोर्ड ने यह कमेटी बनाई । अब वह बोर्ड समाप्त हो गया । इसलिये २ वर्ष से ये सिफारिशें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। लेकिन चूंकि ये बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इसलिये अब उन पर इस वर्ष विचार किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

जो दो तिहाई प्रसार अध्यापकों को मुस्तकिल करने का आदेश दिया गया है, वह कब तक अमल में आवेगा ?

श्री राम प्रकाश--

आदेश दो तिहाई पद स्थायी करने के हैं। उन पर नियुक्ति के बारे में विभाग विचार कर रहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

किन कारणों से वह रिपोर्ट २ वर्ष तक पड़ी रही ?

श्री अध्यक्ष--

कारण आ चुके हैं ।

मंझनपुर तहसील में चकबन्दी

*२--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील मझनपुर में हुई चकबन्दी के व्यय को वसूल करने का कार्य-क्रम चल रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

(क) सभी ग्राम सम्पत्तियां चकों में सम्मिलित कर दी गई हैं ?

(ख) चकों की नाप सही नहीं है ?

(ग) आबादी तथा अन्य बचत की भूमि चकों में देकर यातायात के मार्ग रोक दिये गये हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

जी हां ।

क--जी नहीं । जहां पर ग्राम सभा की मजरूआ जमीन चक में शामिल की गई है, वहां उसके बदले में उतनी ही मालियत की दूसरी जमीन गांव सभा को दे दी गई है।

ख--जी नहीं, अधिकतर चकों की नाप सही है ।

ग--जी नहीं ।

कुछ लोगों ने सुरक्षित बचत की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था परन्तु उनको हटाया जा रहा है ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

तहसील मंझनपुर की चकबन्दी की कमियों की जांच के लिये फिर से कोई कमेटी नियुक्त करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यदि गलतियां बताई जावें तो विचार किया जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक--

जिन अधिकारियों ने भूल की थी फिर उन्होंने वैसे ही मान लिया जैसा बनाकर दिया था, तो सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह सब अदालती कार्यवाही होती है और उसके फैसले के अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नों में यह मामला हल नहीं होगा। मैं आपसे आधे घंटे के विवाद की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझ से समय मांगेंगे और न्यायसंगत होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या मंत्रीजी की जानकारी है कि अंधेरे में बैठकर चक काटा गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं।

*३--श्री ऊदल--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद कलेक्टरी के हाते में क्वार्टर

*४--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद की कलेक्टरी के हाते में बने क्वार्टरों में सरकारी आदमी रहते हैं और कितने बाहरी लोगों को किराये पर दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इन क्वार्टरों में केवल सरकारी आदमी ही रहते हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं रहता है।

छोटी सरयू पर अतरैठ बाजार का पुल

*५--श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)--

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत छोटी सरयू पर अतरैठ बाजार जाने वाली कच्ची सड़क पर कोई पक्के पुल के निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक कार्य रूप में आयेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)--

जी नहीं

श्री मारकण्डे--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि अतरैठ बाजार व मखनया और कमहरियाघाट व राजा-सुल्तानपुर से संबंधित हैं और इस पुल के बन जाने से आजमगढ़ जिले का संबंध फैजाबाद, गोरखपुर और बस्ती जिलों से हो जायगा ?

श्री मंगलदेव विशारद--

यह पुल आवश्यक तो है, धन होने पर विचार किया जायगा।

*६--श्री मारकण्डे--

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गांव सभा, गभिया सहराई के कत्थों के पेड़ों की नीलामी

*७--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को पता है कि ग्राम सभा रमनगरा, परगना व तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत के प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन का, जिसमें खैर (कत्था) लगभग ६०,००० रुपये का खड़ा था, केवल ,१२०० रुपये में कानपुर के व्यापारी के नाम फर्जी नीलाम नवम्बर, १९६६ से जनवरी १९६७ तक किया है जिससे ग्राम सभा रमनगरा को बहुत आर्थिक हानि हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

गांव सभा का नाम गभिया सहराई है न कि रमनगरा।

गांव सभा, गभिया सहराई के प्रधान ने पिछले अक्तूबर, नवम्बर में गांव सभा की भूमि पर खड़े खैर के पेड़ों का नीलाम १२५० रुपये में श्री राधेश्याम गुप्त के हक में किया था। प्रारंभिक जांच से अनुमान किया गया है कि इस नीलाम से गांव सभा को क्षति हुई है।

सम्बन्धित प्रधान तथा लेखपाल को निलम्बित करके उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही चालू कर दी गई है। प्रधान लेखपाल तथा नीलाम लेने वाले व्यापारी के विरुद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या यह सही है कि इस नीलाम में ग्राम सभा को एक लाख से अधिक की क्षति हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि ग्राम सभा के सदस्यों ने जिलाधीश को यह प्राथना-पत्र दिया था कि हम लोग इससे बिलकुल सहमत नहीं हैं और न इसमें हमारी राय ही ली गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री केशवदेव (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश को ग्राम सभा की जमीन देने का कोई अधिकार है या नहीं ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

यहां पर जमीन का कोई सवाल नहीं है, खैर के पेड़ों की नीलामी का सवाल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ग्राम सभा की प्रापर्टी को बचाने के लिये क्या मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि एस० डी० एम० अनिवार्य रूप से साल में एक बार ग्राम सभा की प्रापर्टी को चेक कर लिया करें ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह तो उसका कर्त्तव्य पहले से ही है ।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कानूनन गांव सभा की सम्पत्ति के ऊपर एस० डी० एम० का अधिकार होता है और उसके आदेश के बिना ऐसे काम नहीं हो सकते, क्या इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने एस० डी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना एस० डी० ओ० की इजाजत के ऐसा कार्य न हो सके।

श्री चन्द्र शेखर (जिला वाराणसी)—

क्या गांव सभा के सदस्यों ने एस० डी० एम० के खिलाफ कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो एस० डी० एम० को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक मुझे मालूम है, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गयी थी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब कानूनगो नीलाम के समय मौजूद था तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कानूनगो को मौके पर नहीं जाना पड़ता । एस० डी० ओ० को सुपरसेशन के अधिकार हैं। अगर वह कहीं गफलत करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नीलाम जो गांव सभा के सभापति ने किया, उसकी तसदीक या स्वीकृति हाकिम परगना ने की थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, मेरी सूचना के मुताबिक तो ऐसा नहीं है ।

श्री भग्गू राम (भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव समाज की सम्पत्ति की नीलामी से जो गांव समाज का नुकसान हुआ है, उसको क्या सम्बद्ध व्यक्तियों से वसूल कराने की वह कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर हो चुका कि उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह सारी गांव समाज की सम्पत्ति का इससे १ लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो इस बड़े नुकसान को देखते हुये और इस बात को देखते हुय कि जिन

अधिकारियों ने ऐसा किया है उन में हाकिम परगना भी शामिल है और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुये क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कमिश्नर, रुहेलखंड डिवीजन को आदेश देंगे कि वह मौके पर जाकर पूरी जांच पड़ताल करें और उसकी रिपोर्ट वह सरकार के पास भेजें ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि परगनाधीश का हाथ उसमें है लेकिन जो गबन हुआ है और सरकार का नुकसान हुआ है वह बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुये सभी सम्बन्धित लोगों की जांच जरूर कराई जायगी और वह कम से कम जिलाधीश द्वारा अवश्य कराई जायगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जैसा कि मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि सरकार का भारी नुकसान हुआ है और लेखपाल आदि को तो निलम्बित करा दिया गया लेकिन क्या उस कत्थे की नीलामी की दोबारा व्यवस्था की गई और वह किस को दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जब यह सूचना मिली तब तक पेड़ कट चुके थे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिन व्यक्तियों के कारण यह सरकार का नुकसान हुआ है उनके खिलाफ मुअत्तली के अलावा इस नुकसान को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सभी सम्बन्धित लोगों को, उस व्यापारी को भी और इन दोनों अधिकारियों को नोटिस दी गई है और सम्भव होगा तो सम्बन्धित व्यक्तियों से पैसा वसूल करने की पूरी कोशिश की जायगी ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एक लाख रुपए की हानि हुई है सरकार को इसकी जानकारी कब और किसके द्वारा हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस के लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जब यह नीलाम हुआ उसके बाद गांव सभा के सभापति ने थाना पूरनपुर में रिपोर्ट लिखाई कि गांव सभा की बड़ी भारी सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है और क्या इस को देखकर मंत्री जी जनहित में कमिश्नर, रुहेलखंड डिवीजन से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

पुलिस में रिपोर्ट की तो कोई सूचना नहीं है, बहुगुणा जी चाहेंगे तो सूचना मंगा कर दे दी जायगी ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या गांव सभा की यह सम्पत्ति लेने वाला कानपुर का व्यापारी था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, वह कानपुर का व्यापारी था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें प्रधान गांव सभा न कोई अनुचित लाभ उठाया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसी लिये तो उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस में जो रिपोर्ट की गयी, वह किस धारा के अन्तर्गत की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह मुझे मालूम नहीं है कि किस धारा के अन्तर्गत दर्ज की गयी है क्योंकि उस रिपोर्ट की नकल मेरे पास नहीं है । यह अवश्य है कि मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री चन्द्रशेखर—

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि वह कानपुर का व्यापारी था, और लगभग एक लाख रुपये के अपहरण की साजिश में शामिल था तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह और कितनी जगहों पर और मामलों में शामिल रह ह ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम सभा के लोगों ने ग्राम सभा के लेखपाल के खिलाफ जिलाधीश को शिकायत की । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब शिकायत की गयी और वे पेड़ काटे गये तो उसमें कितना समय लगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह सूचना तो नहीं दे सकूंगा जिस वक्त यह सूचना मिली, उसकी जांच की कोशिश की गयी और उसमें यह पता चला कि पेड़ काटे गये हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिलाधीश के पास शिकायत की गयी थी और पेड़ों की बचत नहीं हो सकी तो क्या माननीय मंत्री जी सही बात जानने के लिये निश्चित रूप से इस सारे कांड की जांच कमिश्नर के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, वैसे तो जो सूचना प्राप्त है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि जिलाधीश या कलेक्टर ने कोई गफलत नहीं की है लेकिन चूंकि माननीय बहुगुणा जी चाहते हैं, म इसकी जांच कमिश्नर द्वारा करवा लूंगा ।

श्री त्रिवेणी—

श्रीमन्, गांव समाज मैनुअल में यह लिखा हुआ है कि गांव की नीलाम होने वाली सम्पत्ति को उस गांव के रहने वाले या आस पास के गांव वालों को ही दी जायगी तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों किया गया कि ४–५ जिले छोड़कर बाहर वाले को यह दी गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या यह सही है कि जिलाधीश, पीलीभीत को इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये गये कि वे जंगल न कटें ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जब कमिश्नर द्वारा जांच होगी तो सब चीजों की जांच हो जायगी ।

*८–९—श्री मुक्तिनाथ राय—

[७वें मंगलवार के लिये प्र० सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०—श्री राम सजीवन तथा श्री ऊदल—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बीकापुर तहसील में खरीफ की फसल को हानि

*११—श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की बीकापुर तहसील में विगत खरीफ सन् १९६६ की फसल में कितने प्रतिशत की क्षति हुई थी ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में विगत खरीफ १३७४ फसली में ६३१ ग्रामों में ५० प्रतिशत एवं अधिक की क्षति हुई थी ।

*१२—श्री राजबहादुर द्विवेदी—

क्या सरकार ने क्षति के परिणामस्वरूप लगान माफ करने का विचार किया है ? यदि हां, तो कब तक लगान माफ हो जायगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

तहसील बीकापुर में उक्त क्षति स्वरूप रबी १३७४ फसली की वसूली देय होने तक के लिये मालगुजारी की वसूली का स्थगन स्वीकृत किया जा चुका है ।

श्री राजबहादुर द्विवेदी—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ६२१ गांवों में ५० प्रतिशत एवं अधिक की क्षति हुयी है । तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि ५० प्रतिशत से अधिक कितने प्रतिशत की क्षति हुयी है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय माल मंत्री जी, मूल उत्तर जो आपका है, उसको आप साफ कीजिये । अगर यह हो कि कुछ गांवों में ५० फीसदी तक क्षति हुई है और कुछ में ज्यादा है तो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि कितने गांवों में कितनी कितनी क्षति हुई है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

गांव वाइज आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, और न पूछे गये हैं। तहसील बीकापुर के बारे में पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष--

वह यह पूछना चाह रहे हैं कि ५० फीसदी तक कितने परसेंट गांव में क्षति हुई और कितनों में ५० से अधिक हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

कितने गांव में ५०, ६०, ७०, ८० फीसदी क्षति हुई, इस प्रकार से मेरे पास सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो सूचना देने पर बता दिया जायगा।

श्री राज बहादुर द्विवेदी--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न में था कि कितने प्रतिशत की क्षति हुई है, तो सूचना पूरी दी जानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्न में था इसीलिये मैंने स्वयं पूछा।

श्री राजबहादुर द्विवेदी--

मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने क्षति के परिणाम स्वरूप लगान माफ करने का विचार किया है ? यदि हां, तो कब तक माफ हो जायगा लगान ? उत्तर भिन्न प्रकार का है जरा आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

जवाब तो अब यह ठीक है, आप प्रश्न करना चाहें तो कर लें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

सदस्य की शिकायत तो ठीक है, मान्यवर।

श्री राज बहादुर द्विवेदी--

मेरी जो जानकारी है बीकापुर तहसील में विगत तीन फसलों की काफी क्षति हुई है ५० से ७४ फी सदी तक क्षति हुई है, मैंने स्वयं तहसील में जाकर के आंकड़े नोट कर लिये हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कि जहां क्षति ७०, ७५ फीसदी तक है क्या सरकार ने वहां का लगान माफ करने का विचार किया है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां, वहां का लगान माफ करने का निर्णय हो चुका है कि नहीं किया जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां ५० फीसदी से ज्यादा क्षति होती है वहां हमेशा उस जिले का लगान माफ किया जाता है ? ऐसा नियम होते हुये जब फैजाबाद जिले में ७५ फीसदी तक नुकसान हो गया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो फिर वहां लगान माफ न करने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ऐसा नहीं है। खरीफ की फसल में जब ५० या उससे ऊपर फीसदी का नुकसान होता है तो लगान स्थगित किया जाता है। यह नुकसान चूंकि खरीफ से संबंधित है इसलिये लगान स्थगित किया गया था।

श्री चन्द्र शेखर--

मंत्री जी ने बताया कि खरीफ की फसल में अगर ५० फीसदी से ऊपर नुकसान होता है तो केवल मालगुजारी स्थगित की जाती है, तो जब फसल मर जाय लगान भी मर जाना चाहिये। अगर मंत्री जी इसको सही समझते हों तो क्या फिर इन नियमों को इस सिद्धान्त के हिसाब से बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, नियम तो अभी तक के तजुर्बे के ऊपर बने हैं और मैं समझता हूं कि उनके बदलने की आवश्यकता नहीं है।

*१३--श्री कल्याण चन्द मोहिले--

[२८ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४--श्री हरिगैन राम--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

नरऊ गांव में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१५--श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नारऊ, तहसील जलेसर, जिला एटा में मई, १९६७ में आग लग जाने से लगभग ३५ परिवारों के मकान जल कर भस्म हो गये थे ? यदि हां, तो कितने धन की क्षति हुई तथा उन परिवारों को क्या आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

ग्राम नरऊ वीरनगर तहसील जलेसर जिला एटा में दिनांक ९ मई, १९६७ को आग लग जाने से ३८ परिवारों के मकानों को क्षति पहुंची। इन मकानों तथा अन्य सम्पत्ति को आग लगने के कारण लगभग २३,०१२ रू० की क्षति हुई। प्रभावित परिवारों में से २३ व्यक्तियों को ५७५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में वितरण किया गया।

श्री रघुवीर सिंह--

जिन २३ व्यक्तियों को यह अहेतुक सहायता दी गयी वे कितने परिवारों के थे और शेष ३८ परिवारों के लोगों को सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इन २३ परिवारों को अधिक आवश्यक समझा गया इसलिये उनको दे दी गयी और बाकी को जरूरत नहीं समझी गयी, इसलिये नहीं दी गयी।

श्री रघुवीर सिंह--

ये २३ व्यक्ति २३ परिवारों के नहीं हैं और ३८ परिवारों को देना आवश्यक नहीं समझा गया तो इसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने उत्तर में पूरी बात कह दी। जिनको ज्यादा जरूरत थी उनको दे दी गयी। जिनको कम जरूरत थी उनको नहीं दी गयी और यह नहीं कहा कि २३ परिवारों को दी गयी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह अहेतुक सहायता कब दी गयी और वह सरकार के द्वारा अथवा जिलाधीश के द्वारा दी गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जिलाधीश के द्वारा दी गयी लेकिन तारीख का पता नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर---

जिन २३ व्यक्तियों को सहायता दी गयी क्या यह सत्य है कि वे ३, ४ परिवारों के ही थे और बकिया को नहीं दी गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह तो नहीं बता सकता कि वे ३, ४ परिवार के थे अथवा ६ परिवार के थे लेकिन देने की कसौटी आवश्यकता ही थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

प्रति व्यक्ति आम तौर पर कितना रुपया दिया गया, कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---

यह जो धनराशि दी गयी यह प्रार्थना-पत्रों पर दी गयी, तो अन्य प्रार्थना पत्र भी आये थे या केवल २३ के ही प्रार्थना-पत्र पाये थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

आवश्यकता के आधार पर यह सहायता दी गयी। अब दरख्वास्त पर दी गयी या बिना दरख्वास्त के दी गयी इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवीर सिंह---

माननीय मंत्री ने कहा कि २३०१२ रुपये की क्षति हुई लेकिन मेरी जानकारी पर विश्वास करते हुये क्या सरकार जांच करायेगी कि क्षति कई गुना अधिक हुई है और जितने परिवारों को आर्थिक ठेस पहुंची थी सबने प्रार्थना-पत्र दिये थे कि उनके जीवन यापन के लिये सहायता दी जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

माननीय सदस्य को जब स्वतः जानकारी है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसे मैं मान सकता हूं लेकिन अगर वह चाहेंगे तो मैं इंक्वायरी करा लूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि उससे लाभ नहीं होगा क्योंकि फौरी सहायता की जो जरूरत होती है उसके लिये समय निकल चुका है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

क्या माननीय मंत्री के पास यह सूचना है कि किस व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

दुनका तथा बैरमनगर में चकबन्दी

*१६—कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला बरेली, तहसील बहेड़ी के दो ग्राम दुनका एवं बैरमनगर में चकबन्दी नहीं की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पिछले दो वर्षों में उपरोक्त ग्रामों दुनका तथा बैरमनगर में चकबन्दी जारी कराने के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्रामों के ग्रामवासियों की ओर से सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

जी हां, क्योंकि कथित ग्राम चकबन्दी क्रिया के लिये, उपयुक्त नहीं पाये गये। पिछले दो वर्षों में इस सम्बन्ध में कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें अधिकतर वही बातें लिखी थीं जिनको ग्रामों में चकबन्दी न कराये जाने के निर्णय के समय विचार कर लिया गया था।

कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्राम दुनका तथा बैरमनगर में चकबन्दी का कार्य शुरू हुआ था? और यदि हुआ था तो किस स्टेज तक हुआ था?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इनके कागजात तैयार हो चुके थे और दुरुस्ती वगैरह जो कागजात में की जाती है वह भी हो गयी थी।

कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव चकबन्दी योग्य हैं या नहीं इसकी जांच फिर से करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपने कोई बात तो बतायी नहीं कि क्यों करायेंगे?

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के कागजात तैयार हो जाने के बाद भी चकबन्दी क्यों रोक दी गयी? क्या किसी ने शिकायत की थी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

चकबन्दी के कागजात तैयार होने के बाद भी चकबन्दी को रोकने का प्राविधान है और उसी के अनुसार यह रोक दी गयी थी। उसके आगे जब कार्य चला तो उसमें जो दिक्कतें आयीं उनको देखते हुये अधिकारियों ने समझा कि यहां चकबन्दी नहीं करायी जा सकेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कागजात तैयार हो जाने के बाद चकबन्दी अधिकारियों के सामने कौन सी दिक्कतें आयीं चूंकि कृषकगण लगातार, सरकार से प्रार्थना करते रहे कि हमारी चकबन्दी करायी जाय? तो वह कौन सी दिक्कतें थीं जिनके आधार पर सुओ मोटो चकबन्दी अधिकारियों ने रोक दी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह तो मैं नहीं कह सकता कि वह सुओ मोटो रोक दी गयी या किस तरह से रोक दी गयी लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त कागजात तैयार हो जाते हैं तो मौका देखा जाता है। ये दोनों गांव नदी के किनारे हैं और कटाव बहुत जोरों से होता है। इनकी जमीन एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाती थी। तो पहले तो ऐसी जमीन का पता लगाना मुश्किल होता है और अगर पता भी लगा लें तो फिर डिमार्केशन करने में झगड़ा होता है। इन सब कारणों से अधिकारियों ने सोचा कि यहां चकबन्दी करना मुश्किल है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कठिनाई यह है कटाव ज्यादा है। मेरी सूचना है कि कुछ भाग जो नदी के किनारे है वहां तो कटाव है लेकिन बाकी में कटाव नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी आधे में ही चकबन्दी करायेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इस सम्बन्ध में एक सूचना और दे दूं। वैसे इसकी जांच फिर से करायी जा रही है और यदि सम्भव होगा तो चकबन्दी भी करा दी जायगी।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों में चकबन्दी नहीं की जायगी उसका निर्णय कौन अधिकारी करते हैं और निर्णय करते समय उस गांव की पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की कोई राय लेते हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसका निर्णय तो संबंधित अधिकारी ही करते हैं और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उस में गांव वालों की राय ली जाती है या नहीं, तो एक ही बात निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह कि अगर गांव वाले यह चाहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी न की जाय तब उनकी राय की कीमत होती है और चकबन्दी नहीं की जाती है। वैसे अधिकारी अपनी तरफ से निर्णय लेते हैं कि हम इन-इन गांवों में चकबन्दी करने वाले हैं।

*१७–१८—श्री धर्मराज सिंह तथा श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

[२८ जुलाई १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[५ वें गुरुवार के लिये प्र० सं० २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिर्जापुर जिले में टेस्ट वर्क्स मजदूरी

*२०—श्री रामनाथ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिला के राबर्ट्सगंज, दुद्धी मिर्जापुर व चुनार तहसील में जो टेस्ट वर्क चल रहा है उन श्रमिकों को मजदूरी कितने दिन बाद मिल रही है और दो महीने पहले (अप्रैल, मई, १९६७) उनको कितने दिन पर मजदूरी मिलती थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

मिर्जापुर जिले में जो टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं उन पर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी सामान्यत: एक सप्ताह में बांट दी जाती है। सिंचाई विभाग द्वारा चलाये जाने वाले टेस्ट वर्कों पर १० से २० दिन में मजदूरी बांट दी जाती है जब तक कि कोई ऐसी विशेष कठिनाई न हो जिसका निवारण शीघ्र न किया जा सके। जून के महीने में इस जिले के घोरावल ब्लाक के

कुछ टेस्ट वर्कों पर मजदूरी बांटने में विशेष बिलम्ब हुआ जिसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जुलाई के मास में मजदूरी के भुगतान में पर्याप्त प्रगति हुई है।

२—अप्रैल-मई ६७ में भी टेस्ट वर्कों पर सामान्यतः १ सप्ताह में मजदूरी बांट दी जाती थी। परन्तु कभी-कभी मजदूरी बांटने में किसी विशेष परिस्थिति के कारण तीन सप्ताह तक का समय लग जाता था।

श्री रामनाथ—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि कैथी, बिलखुरी सड़क, पसही और राबर्ट्सगंज में मजदूरों को मई के महीने की मजदूरी आज तक नहीं बांटी गई है और बहुत से टैस्ट वर्क में दो महीने की मजदूरी पड़ी हुई है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्या मंत्री जी जल्दी मजदूरी बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, ऐसा नहीं है। महीने डेढ़ महीने तक किसी की मजदूरी नहीं रखी गई है। इस समय स्थिति यह है कि किसी की मजदूरी बाकी नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी जानकारी में ऐसे स्थान हैं जहां एक महीने से अधिक से मजदूरी नहीं बांटी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, एक स्थान ऐसा था घोरावल ब्लाक जहां अधिक समय तक मजदूरी नहीं दी गई थी और जैसा कि जवाब में पढ़कर सुनाया गया कि वहां के अधिकारी के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गई है।

श्री रामनाथ—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो काम पसही, बिलखुरी सड़क तथा कैथी में चल रहे हैं वहां मजदूरी नहीं बांटी गई है, वहां जल्दी मजदूरी बंटवायेंगे और अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से जांच करायेंगे और अगर कोई बात पाई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जब राष्ट्रपति सूखे के संबंध में दौरा कर रहे थे तो उस समय उनकी गाड़ी रोक कर मजदूरों ने कहा था कि हमारी मजदूरी महीने डेढ़ महीने से नहीं मिली और कुछ लोगों को शिकायत थी कि एक रुपये के बजाय उनको मजदूरी केवल ६० पैसे मिले तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक मुझे सूचना है वह यह है कि प्रेसीडेंट महोदय को यह शिकायत की गई थी कि जितनी मजदूरी मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिली। कारण यह बताया था कि इन लोगों ने जितना काम करना चाहिये उतना नहीं किया। लोग चाहते थे कि काम पूरा किया हो या नहीं लेकिन मजदूरी पूरी दी जाय। इसकी जांच की गई तो मालूम हुआ की मजदूरी न देने का कारण यह था कि ये लोग कम मजदूरी लेने के लिये तैयार नहीं थे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विलम्ब करके मजदूरी देने का कारण यह होता है कि फर्जी मस्टर रोल बनाने में सुविधा मिल सके क्योंकि मजदूरी न मिलने के कारण मजदूर वहां से भाग जायं, तो क्या वे इसकी जांच करायेंगे कि जिन स्थानों में मजदूरी बिलम्ब से दी जा रही है वहां बड़े पैमाने पर फर्जी मस्टर रोल पर पेमेंट किया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मजदूरी देर से देने का कारण यह नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान हो जहां माननीय सदस्य कहते हैं कि यहां फर्जी मस्टर रोल तैयार किये गये हैं, अगर बतायेंगे तो मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य--

मंत्री जी ने कहा है कि सात दिन पर मजदूरी दी जाती है, या एक महीने पर मजदूरी देने का नियम है । वहां के मजदूरों की दशा देखते हुये क्या सातवें दिन ही मजदूरी दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मूल उत्तर में कह चुके हैं कि साधारणतया एक हफ्ते का नियम है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

ऐसा पहले नियम था, ऐसे मजदूर भी काम करते हैं जिनको दैनिक खाने को देना पड़ता है, उनको दूसरे दिन भी मजदूरी दी जाती थी, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जायगी कि दूसरे दिन मजदूरी दे दी जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि तीन मील से लेकर १५-१६ मील के फासले पर टेस्ट वर्क चल रहे हैं । उसमें एक-एक अफसर इंचार्ज को करीब-करीब तीन हजार मजदूरों को देखना पड़ता है । एक टेस्ट वर्क पर पांच छः सौ मजदूर काम करते हैं । इस हिसाब से इतना काम करना पड़ता है । हफ्ता समाप्त हो जाता है तो हिसाब-किताब करना पड़ता है । तो तुरन्त दूसरे दिन देना सम्भव नहीं हो पाता ।

बुलन्दशहर जिले में चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत

*२१--श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारी सर्किल पहासू, जिला बुलन्दशहर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपदस्थ हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री उपरोक्त सर्किल के लालगढ़ी और छतारी गांवों की चकबन्दी पर पुनर्विचार करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र देने की कृपा करेंगे जिनकी चकबन्दी से सम्बन्धित शिकायतें क्रमशः जिलाधीश बुलन्दशहर तथा चकबन्दी कमिश्नर को क्रमशः मई, १९६७ तथा जून, १९६७ के महीने में दी जा चुकी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिला बुलन्दशहर के भूतपूर्व स्थानापन्न चकबन्दी अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र शर्मा की अस्थाई सेवायें उनको सेवा शर्तों के मुताबिक एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दी गईं । ऐसा करने में कोई वजह नहीं बताई जाती है । लालगढ़ी तथा छतारी ग्रामों के चकों से संबंधित अपीलें तथा निगरानियां क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा जिला उप निदेशक चकबन्दी के न्यायालयों में विचाराधीन हैं । इस समय शासन द्वारा इन दोनों गांवों की फिर से चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश देना वांछनीय नहीं है ।

*२२--श्री नाथूराम शिक्षक--

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अदीक्षित अध्यापक

*२३--श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को मई या जून, १९६७ में कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है कि प्रशिक्षित अध्यापकों के मिलने पर अप्रशिक्षित अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में न रखे जायें? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां। इस प्रकार के आदेश शिक्षा निदेशक द्वारा २० मई, ६७ को जारी किये गये हैं तथा उनमें शासन द्वारा आंशिक संशोधन ११ जुलाई, १९६७ को किया गया है।

उक्त आदेश पत्र तथा संशोधन सम्बन्धी राजाज्ञा की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९९-५०१ पर)

*२४--श्री माता प्रसाद--

क्या सरकार ३ वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री राम प्रकाश--

प्रशिक्षण संस्थायें पर्याप्त संख्या में चल रही हैं, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री माता प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ११ जुलाई का जो संशोधित आदेश भेजा गया है उसमें लिखा गया है कि दो साल से कम जो अप्रशिक्षित अध्यापक हैं उन्हें तो हटाया जा सकता है लेकिन जो दो साल से अधिक काम कर रहे हैं, उन्हें भी चाहें तो हटाया जा सकता है, तो क्या ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जो दो साल से अधिक काम कर रहे हैं और प्राविडेंट फंड उनका कट रहा है उन्हें न हटाने का आदेश देंगे ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, एक जुलाई को जो आंशिक संशोधन आदेश दिया गया है उसमें दो वर्ष से अधिक काल से जो अदीक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके बारे में स्वायत्त शासन संस्थाओं के विवेक पर छोड़ा है, उनको अनुमति दे दी गयी है, कि चाहें तो हटा दें या न चाहें तो न हटाएं। इस व्यवस्था के अनुसार जिनको हटाना उचित नहीं है वह अपने स्वविवेक से नहीं हटाएंगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

क्या माननीय मंत्री जी का यह आदेश जैसा कि उन्होंने अभी बताया, उसके विपरीत नहीं जाता जिसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना का जिक्र उन्होंने सदन में किया था ?

नोट:--तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, मैं जरा इस सम्बन्ध में विस्तार से बता दूं। अभी तक प्रदेश में लगभग ४९ हजार अध्यापक अदीक्षित हैं और इस वर्ष जो अध्यापक ट्रेंड होकर नये प्राप्त होने की आशा है वह लगभग १६ हजार होंगे। इस प्रकार से १६ हजार जो ट्रेंड अध्यापक प्राप्त होंगे उनमें से नवीन अध्यापक जो नियुक्त करने जा रहे हैं विस्तार के कारण, ६ हजार अध्यापक नये इस साल नियुक्त किये जायंगे। इसमें एक हजार जो महिलाएं सेवा निवृत्त हो रही हैं उनको एडजस्ट किया जायगा। पांच हजार ट्रेंड टीचर्स लिये जायंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अदीक्षित अध्यापक जो ट्रेनिंग के लिए भेज दिये गये हैं, वह भी ट्रेंड होने पर ले लिये जायंगे। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता अनुभव हुई तो दो वर्ष से कम जिनकी अवधि हुई है ऐसे जो अध्यापक हैं उनको स्थान-स्थान पर जिला परिषदें और नगरपालिकाएं अगर चाहें तो हटा कर ट्रेंड अध्यापकों को रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त दो-तीन साल के अन्दर इसी प्रकार से सम्पूर्ण जितने भी अप्रशिक्षित अध्यापक हैं वे सब प्रशिक्षित हो जाएंगे।

*२५--श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

नौगढ़, तहसील में लेखपालों की मुअत्तली

*२६--श्री प्रभु दयाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नौगढ़ तहसील, बस्ती में माह मई से २७ जून, १९६७ के अन्तर्गत कितने लेखपाल मुअत्तल हुये हैं? मुअत्तली का कारण क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मई से २७ जून, १९६७ के अन्दर नौगढ़ तहसील जिला बस्ती के कुल चार लेखपाल मुअत्तल हुये। इनके खिलाफ लेवी की वसूली में लापरवाही का चार्ज है। एक लेखपाल के विरुद्ध ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का भी चार्ज है।

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

*२७--श्री गोपाल राम दास (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सचिव इस पद पर कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और क्या वे सरकारी कार्यालय के ही एक भाग में रहते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश--

लगभग ८॥ वर्ष से और यह पद स्थानान्तरण की व्यवस्था में नहीं आता।

जी हां, सरकारी कार्य की सुविधा एवं आवश्यकता हेतु।

अलीगंज तहसील में असिंचित भूमि

*२८--श्री लटूरी सिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अलीगंज, जिला एटा में कितनी कृषि योग्य भूमि गत दो वर्ष से असिंचित रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

वर्ष १९६५-६६ में १,५३,५९८ एकड़।

वर्ष १९६६-६७ में १,४९,२८४ एकड़।

अतारांकित प्रश्न

बी० टी० सी० के लिये नामिनेशन

१—श्री माता प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बी० टी० सी० के लिये नामिनेशन के समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नामजद करने में रिजर्वेशन का ध्यान रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

आगरा नगर महापालिका अध्यापकों को एडहाक वृद्धि न मिलना

२—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि आगरा नगर में महापालिका द्वारा सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को २० रुपये मासिक एडहाक वृद्धि के रुपये १ अगस्त, सन् १९६५ से फरवरी, सन् १९६६ तक देकर सरकार ने बाद में यह रुपया देना बन्द कर दिया है ? यदि यह सही है, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । रुपया दिया जाना इस कारण बन्द किया गया कि वास्तव में यह एडहाक वृद्धि स्थानीय निकायों द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को देय नहीं थी ।

३—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या सरकार उपरोक्त २० रुपये मासिक की एडहाक वृद्धि महापालिका द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को देगी ? यदि हां, तो कब से दिया जायगा और यदि नहीं, तो क्यों नह ?

श्री राम प्रकाश—

जैसा कि प्रश्न संख्या २ के उत्तर में कहा गया है, प्रसंगगत वृद्धि स्थानीय निकायों द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को देय नहीं है ।

शिवाजी इण्टर कालेज, सहसों के अध्यापकों का वेतन

४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि शिवाजी इंटर कालेज, सहसों, जिला इलाहाबाद के अध्यापकों को उनके निर्धारित वेतन-क्रम से कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

कथित विद्यालय के अध्यापकों को उनके निर्धारित वेतन से कम वेतन नहीं दिया जाता है । दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित विषय से संबंधित कोई शिकायती-पत्र भी उक्त विद्यालय के अध्यापकों ने सरकार को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं ।

दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

पूरनपुर परगना में गांव समाज भूमि के पट्टे

६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत की तहसील व परगना पूरनपुर में १ जनवरी, सन् १९६५ से ३० अप्रैल, सन् १९६७ तक ग्राम समाज की जमीनों के कितने पट्टे प्रधानों द्वारा किये गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

३२५ ।

७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह पट्टे जिन लोगों को दिये गये वह कहां के निवासी हैं और क्या सही माने में भूमिहीन हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पट्टेदार संबंधित ग्रामों के ही निवासी हैं तथा भूमिहीन हैं अथवा वे व्यक्ति हैं जो निर्धारित प्राथमिकता में आते हैं ।

प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्धित आपत्तियां

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के सिलसिले में मुझे एक बात कहनी है । मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी से संबंधित मेरा दूसरा और तीसरा प्रश्न था । मैं आपके जरिये माननीय शिक्षा मंत्री जी तक यह सूचना भेजना चाहता हूं कि इन प्रश्नों का जो उत्तर मिला है, वह शत प्रतिशत असत्य है और जिन आदमियों से शिक्षा मंत्री जी जांच करा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ शिकायतें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कौन से नियम में आप पूछ रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, नियम १८ के अन्तर्गत मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बहस चाहता हूं । इसकी सूचना अब आपको भी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं श्री वीरेन्द्र वर्मा जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस नियम के अन्तर्गत कोई सदन में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । हर एक माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि यदि उन्हें किसी उत्तर से असंतोष हो तो वह नियम १८ में मांग कर सकते हैं । उसे मैं देखूंगा और न्यायसंगत समझूंगा तो उस पर अनुमति दूंगा, वरना नहीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक निवेदन मुझे भी करना है । कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस बीच में जो दिये गये, उनके बारे में सरकार की तरफ से पता नहीं मिलता कि उनका जवाब कब मिलेगा या उनके बारे में क्या हुआ और क्या कब तक होने को है ? मेरा एक

छोटा सा सीधा सवाल था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किया गया था, मैं उसका नाम जानना चाहता था। इस विषय पर इसी सचिवालय से सूचना मिल सकती थी, लेकिन आठ दिन से ऊपर हो गया उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। वैसे मैं जानता हूं मान्यवर, आप यह कहेंगे कि मेरे चेम्बर में बात करो मैं क्षमा चाहता हूं। तो इस तरह से मैं श्रीमन्, आपके हाथ मजबूत करते हुए चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द प्रश्न का उत्तर यथा संभव दे दे।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई कमजोरी इस विषय में अनुभव कर नहीं रहा हूं, जो मेरे हाथ मजबूत किये जाने की आवश्यकता हो। मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता, देखूंगा और यदि आगे कोई कठिनाई होती तो कहना यही पड़ता है कि मेरे कमरे में मिल लें। सदन का समय बड़ा बहुमूल्य है, यह समय यहां पर बचाया जा सकता है।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, नियम ३८ का उप नियम (२) देखें। उसमें यह है प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में। मेरा एक प्रश्न था, जिस पर एक महीना हो गया, किन्तु उसका उत्तर आज था। कृपया आप 'क' के प्रश्न संख्या ६ देखें, यह एक बार स्थगित किया जा चुका था।

श्री अध्यक्ष—

आपको यह आपत्ति है कि जो उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, वह ठीक नहीं है ?

श्री अश्वनी कुमार—

श्रीमन्, यह बात नहीं है। पहले एक बार इसका यह उत्तर दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और इस बार यह उत्तर मिला कि प्रयत्न करने पर भी सूचना एकत्र नहीं की जा सकी है। तो श्रीमन्, आप यह बतायें कि इस प्रकार से कितने बार मौका लिया जा सकता है और टाला जा सकता है ? और कितने बार मौका दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो अश्वनी कुमार जी, आपका प्रश्न था, इसका मंत्री जी ने जवाब दे दिया। मैं सारे सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि कहीं पर हो सकता है सरकार की तरफ से जानबूझकर उत्तर देने में विलम्ब किया जा रहा है। यदि मैं ऐसा आभास पाता हूं तो मैं खुद कहता हूं। इस प्रश्न में मैं जानता हूं कि एक बार यह स्थगित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो इसमें समय लग सकता है। मेरा भी थोड़ा सा अनुभव इस संबंध में है और इस कठिनाई को मैं समझता हूं। इसलिये इसमें जो देर हुई उसको कोई अस्वाभाविक मानना या जानबूझकर अवहेलना मानना मुनासिब नहीं है। अब यह १५ दिन के बाद निश्चित रूप से आयेगा।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

तारीख १८ जून से लेकर ३ जुलाई तक लगातार हमने प्रश्न दिये थे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बहुगुणा जी से जो मैंने कहा था वह सारे सदन से कहा था और इसलिये आपसे भी कहा था। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप आयें, उसको देख लूंगा।

श्री भृगुनाथ (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, तारीख ७ जुलाई को प्रश्न १३ सदन की पटल पर आया था और आज भी था लेकिन वह नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रशेखर जी से जब मैं कह रहा था, उस वक्त बिजली न होने की बजह से वह आवाज आप तक नहीं पहुंची होगी। आप मुझे कठिनाई आकर बतायें, सदन का समय आप इस काम में क्यों लें?

मंत्रियों के दौरों पर व्यय के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सूचना

श्री अध्यक्ष

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने मेरे पास एक सूचना भेजी थी, जिसमें आप एक सूचना देना चाहते थे। यदि आप चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, अभी दो तीन दिन हुए (कई आवाजें सुनाई नहीं देता)।

श्री अध्यक्ष—

मालूम होता है कि मुझे भी सुनने का प्रयास करना पड़ेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जरा जोर से बोलने का कष्ट करेंगे।

*श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अभी तीन चार दिन हुए किसी माननीय मित्र ने यह टिप्पणी की थी कि मंत्रियों और उपमंत्रियों ने बहुत ज्यादा दौरे किये हैं। मैंने १८ तारीख को अपने अनुदान पर बोलते हुए यह बतलाया था कि गतवर्ष अप्रैल और मई में जितना खर्च गवर्नमेंट के मेम्बरों के ऊपर यात्रा व्यय में हुआ था उससे कहीं कम इस वर्ष उन दोनों महीनों में हुआ। तो विरोधी दल के माननीय नेता माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने यह कहा था कि इस में अबकी बार जो कूपन पर खर्चा हुआ रेल का, वह शामिल नहीं है। पिछले वर्ष कूपन था नहीं और इसलिये सारा खर्चा उसमें दिखलाया गया था लेकिन अबकी रेल का कूपन था और जो उसका खर्चा था इसमें शामिल नहीं है। उनका ख्याल था कि अगर उसको भी ले लिया जाय तो ज्यादा हो जायेगा। मैंने कहा कि मुझे ठीक नहीं मालूम है। मुमकिन है कुछ खर्चा हो मैं मालूम करके इत्तिला दे दूंगा। यह बात ठीक है कि अप्रैल और मई में कुछ उपमंत्रियों ने रेलों के कूपन इस्तेमाल किये और वह खर्चा ९५८ रुपये २८ पैसे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह ७६८ रुपये २७ पैसे हैं।

श्री चरण सिंह—

जी नहीं, मैंने मालूम कर लिया है वह ७६८ रुपये सिर्फ अप्रैल के थे और अप्रैल और मई का मिलाकर ९५८ रुपये २८ पैसे आता है। मैंने उस रोज जो आंकड़े दिये थे उसमें पिछले वर्ष से इस बार अप्रैल और मई में २६,५७४ रुपये की मैंने उसमें कमी बतलाई थी और अगर यह ९५८ रुपये महीना कर दिये जायं तब भी इन दो महीनों का जो कम खर्चा हुआ है वह २५,६१९ रुपये फिर भी कम रहा है। यह मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक मुझे भी जैसा तजुर्बा है जब कोई दौरे किये जाते हैं या अपनी मोटर से दौरे करते हैं तो बाहर के जिलों में जाकर पेट्रोल लिया करते हैं और पेट्रोल के बिल दो तीन महीने बाद ही डिपार्टमेंट में आते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या यह असरटेन कर लिया गया है कि अप्रैल और मई के जितने भी बिल हैं, उन सब बिलों का आपके यहां भुगतान हो गया है। अभी तक ऐसा होता था कि २, ३ महीने में बिल आया करते थे बल्कि कभी-कभी ६ महीने में भी बिल का पेमेन्ट हुआ करता था।

श्री चरणसिंह—

मैंने अध्यक्ष महोदय, उस रोज कहा था १८ जुलाई को जिस दिन मैंने बयान दिया था कि मुझे जो सूचना दफ्तर ने दी है, उसके अनुसार अभी तक जो बिल प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार यह सूचना है। मुमकिन है १, २ बिल रह गए हों क्योंकि बीच में अप्रैल और मई के बाद जून और १५ जुलाई का समय बीत चुका है। कुछ जून और १५ जुलाई तक जरूर आयें होंगे। मैं अपने साथियों से मालूम करूंगा लेकिन फिर भी अनुमान है कि २५ हजार रुपए की कमी पूरी नहीं होगी।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने पूछा था। उसका लिखित उत्तर मुझे मिला है। मुझे जो उत्तर मिला है, उसके मुताबिक एक मन्त्री ने इन विचारणीय महीनों में १,६०० रुपए के बिलों का भुगतान किया है टी० ए० के रूप में। उनके ६ बिल थे जिनमें अभी दो बिल तैयार नहीं हुए हैं। केवल ४ बिलों का रुपया १,६०० रुपया था?

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हो सकता है कुछ बिल रह गए हों। उसमें जितनी भी संख्या हो।

आचार्य दीपंकर—

यह १,६०० रुपया केवल एक मन्त्री की बात है।

श्री अध्यक्ष—

मुमकिन है कि यह जो २५ हजार रुपए की कमी है वह उन सारे बिलों में जो भी रह गए हैं, उनमें पूरी न हो पाए।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल

न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन राशि के अतिरिक्त ३५,८९,२०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३५,८९,२०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९—निर्वाचन

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,०३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,०३,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

*न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५५,३१,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस अनुदान पर जो वाद विवाद होगा वह करीब ढाई बजे तक चलेगा। (न्याय मन्त्री से) आप न्याय मन्त्री हैं, दूसरे सदस्यों के साथ न्याय हो, इसलिए आप अधिक समय न लें।

श्री श्यामलाल यादव—

अवश्य ही मैं आप की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए मैं प्रारम्भ में बहुत बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में जो हमारी नीतियां थीं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उस सम्बन्ध में इस माननीय सदन में एकाधिक बार चर्चा हो चुकी है और एतद्विषयक घोषणा भी की जा चुकी है। मैं उन की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उस को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने में सुविधा हो और उन्हें सुझाव देने में भी सहायता मिल सके।

न्याय पालिका और कार्य-पालिका के पृथक्कीकरण का सिद्धांत शासन ने स्वीकार कर लिया है। उसे कार्यान्वित करने के लिए एक उपसमिति बनायी गयी है। इस उप समिति का प्रतिवेदन सम्भवतः तैयार हो रहा है जो इस महीने के समाप्त होने के पूर्व ही शासन के सम्मुख प्रस्तुत हो जायगा और हम इस बात की बराबर चेष्टा करेंगे कि अगले दो तीन महीनों में यथाशीघ्र, जहां तक सम्भव हो, शीघ्रता के साथ, इस पृथक्कीकरण की योजना को प्रदेश में कार्यान्वित कर दें। यह हमारी इच्छा इस लिए प्रमाणित होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं कि शासन सम्हालने के बाद तत्काल हमने उस समिति को नियुक्त किया जिसने अपना काफी कार्य शीघ्र कर लिया। मान्यवर, हमारे देश में जो संविधान प्रचलित है, उस के अनुच्छेद ५० के अनुसार यह निर्देश है कि राज्य की क्या पालिसी होगी, यह उस का आदर्श होगा कि न्याय-पालिका कार्य-पालिका से अलग की जाय। इस को कार्यान्वित करना हमारा परम पुनीत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्तव्य होगा और यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी कि हम इसको कर सकें। हम समझते थे कि इस को बहुत जल्दी किया जाना चाहिए, लेकिन जो वैधानिक परिस्थितियां हैं उन का परिपालन करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना रखने की बात थी और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय, उस के जो डिटेल्स हैं, जो ब्योरा है उस को तय करना आवश्यक था, अन्यथा इस प्रकार का भ्रम पैदा होता उन लोगों में जो कि न्याय के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं या इस बात का भी ध्यान था कि उस से जनता को असुविधा न हो इसलिए इस बात में थोड़ा सा समय लग रहा है। इस में किसी प्रकार का सन्देह करने का अवसर नहीं है कि इन का पृथक्कीकरण हम नहीं कर रहे हैं, इस लिए इस पर कोई विशेष बल दिया जाय। यह किस प्रकार होगा। इसके लिए आया कोई अधिनियम बनाना पड़ेगा या प्रशासकीय आदेश द्वारा यह कार्यवाही हो जायगी, यह प्रश्न भी विचाराधीन है। कई प्रदेशों में यह कार्यवाही अधिनियमों के द्वारा भी हुई है और कई जगहों पर प्रशासकीय आदेश के अनुसार जो संविधान है उसके अनुच्छेद के अनुसार शासन को जो अधिकार प्राप्त हैं उन के द्वारा विज्ञप्ति निकाल कर यह कार्य सम्पन्न किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ शुरुआत इस प्रकार से मान्यवर हो चुकी है कि इस प्रदेश में मुंसिफ को मैजिस्ट्रिअल पावर दे दिए गए हैं। यह आज्ञा प्रसारित कर दी गयी है और मैं समझता हूं कि इससे एक प्रकार से पृथक्कीकरण की योजना का प्रारूप प्रारम्भ हो जाता है कि जो मुन्सिफ हैं वे अब फौजदारी के मुकदमे को करें। इस सम्बन्ध में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पदों को समाप्त करके उस परम्परा का श्रीगणेश किया गया, जिससे इस प्रदेश की जनता में काफी विश्वास उत्पन्न हो सकता है कि न्याय निष्पक्ष होगा और बिना किसी भेदभाव के होगा।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय रखा गया है कटौती के प्रस्ताव में वह है कि न्याय सुलभ और सस्ता होना चाहिए। यह अवश्य ही नीति है कि होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कठिनाई है वह भी हमारे सामने है। जो फौजदारी के सम्बन्ध में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया है मैं समझता हूं कि वह काफी सस्ता है, उस पर कोई बहुत कोर्ट फीस नहीं लगता, जो साधारण दरख्वास्त की फीस है वही लगता है। हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वह इस तरह से न्याय प्राप्त कर सकता है। दीवानी के मामले में जहां सम्पत्ति और माल का निराकरण लेना होता है वहां पर अवश्य कुछ कोर्ट फीस ज्यादा है। जो परम्परा विदेशों में है वह व्यवस्था यहां भी है। अगर कोई गरीब है, उसे किस प्रकार से न्याय मिल सके, इसकी भी व्यवस्था हमारे यहां कानूनों में पहले से प्राप्त है।

चलती फिरती अदालत होने की बात भी कही गयी। इस सम्बन्ध में हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित किए जायं। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय तो मोबाइल कोर्ट्स में होना मुश्किल सा लगता है, लेकिन छोटे मोटे मसले जैसे लोकल बाडीज के मुकदमे, म्युनिसिपैलिटीज आदि के मुकदमे, हेल्थ के सम्बन्ध में मुकदमे तो वे देख सकते हैं लेकिन इस प्रश्न पर अभी हमने पूर्ण रूपेण विचार नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या हमने जरूर बढ़ा दी है। जुलाई से हमने आदेश दे दिया है कि इस प्रदेश में २० और अस्थायी सिविल और सेशन जजेज कोर्ट स्थापित कर दिए जायं। यह आज्ञा हमने प्रसारित की है और हाई कोर्ट उसके अनुसार व्यवस्था कर रहा है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर और फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अदालत स्थापित करने के सम्बन्ध में भी हाई कोर्ट अपना आदेश देगा और वह उसकी व्यवस्था करेगा।

जहां तक हाई कोर्ट के मुकदमों के निस्तारण का प्रश्न है आप देखेंगे कि सन् ४८ से उनकी संख्या बढ़ी है। जजों की संख्या में बराबर बढ़ोत्तरी हुई है। पहले हाई कोर्ट में जजों की संख्या १२ थी और अवध चीफ कोर्ट में ५ जज थे। सन् ४८ में २२ जज हुए और सन् ५१ में यह संख्या बढ़ा कर २४ कर दी गयी। इस प्रकार से २४ जज तो स्थायी जज हैं और इसके अतिरिक्त १५ जज और हैं जिनकी समय-समय पर नियुक्ति आवश्यकता को देखते हुए होती रहती है। हाई कोर्ट में जो मुकदमों में बढ़ोत्तरी हुई है, उसके सिलसिले में काफी विचार विमर्श हुआ और कई ऐसे सुझाव आए कि काम करने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ ऐसे

[श्री श्याम लाल]

सुझाव हैं जिन्हें कार्यान्वित करने की चेष्टा कर रहे हैं। निस्तारण सम्बन्धी मुकदमों का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें एक उल्लेखनीय है कि किसी को फांसी की सजा हो गयी तो उसके लिए दो महीने के अन्दर ही हाई कोर्ट द्वारा मुकदमे के निस्तारण की व्यवस्था है। पुराने मुकदमे लिए जायं और नए मुकदमों की डेट आगे न बढ़ने पावे, इस प्रकार की भी व्यवस्था हो रही है।

जहां तक शासन द्वारा न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रचलन का प्रश्न है, इसमें दो मत नहीं हैं कि वहां अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का प्रयोग अवश्य हो। अदालतों तथा हाई कोर्ट तक में हिन्दी में बहस करने तथा अन्य कार्य करने की सुविधा प्राप्त है। अभी तक हमारे न्यायालय अंग्रेजी में फैसला लिखते हैं यद्यपि नीचे की अदालतों में यह सुविधा प्राप्त है कि वे हिन्दी में फैसला लिख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि अभी हिन्दी में निर्णय अधिक नहीं हो रहे हैं। हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि नीचे की अदालतों में अधिक से अधिक निर्णय हिन्दी में हों। हाई कोर्ट को जैसा कि सदन को विदित है, हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार ही अपनी भाषा को बनाना होता है। अब अदालतों में हिन्दी का प्रचलन बढ़ा है और उससे अधिक बढ़ाने की चेष्टा हम कर रहे हैं और करेंगे। हमारे आगे भी यह चेष्टा रहेगी कि हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक हो।

एक बात फिजूल खर्ची के सम्बन्ध में कही गयी। मैं समझता हूं कि न्यायालयों के सम्बन्ध में जो खर्चा होता है, उसमें कहीं कोई फिजूलखर्ची नहीं है। जो हमारे सीमित साधन हैं उन्हीं को सामने रख कर उन पर खर्च किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया। इस प्रदेश में मातहत अदालतों की कार्यवाही आदि से सारा प्रदेश अवगत है। शासन की ओर से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ नियम भी बनाये गए हैं। इस न्याय के सम्बन्ध में जो लोग लगे हुए हैं वे इस प्रदेश के एक पढ़े लिखे समुदाय में से हैं जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए भी बड़ा काम किया है। मेरा मतलब वकील बन्धु से है। उनसे प्रयास से भी हम आशा करते हैं कि भ्रष्टाचार अदालतों में कम होगा। ऐसी सूचनायें भी मिली हैं कि इस सरकार के आने के पश्चात् अदालतों में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी अपने सुझाव देंगे, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। सहर्ष उनका स्वागत किया जायगा। इस ग्रान्ट में, माननीय सदस्यों को विदित होगा, मैजिस्ट्रेट वगैरह पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है, वह सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होता है। उच्च न्यायालय, उनके अधीन न्यायालयों आदि का व्यय इसमें सम्मिलित है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए जायेंगे, उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कटौती का उद्देश्य है सरकार की नेत्रहीन नीति की आलोचना करना।

श्री अध्यक्ष---

कटौती का प्रस्ताव ही पेश कर दीजिए, और बातें तो आप अपने भाषण में कहेंगे ही।

श्री अब्दुल मुईज खां—

कमी करने का उद्देश्य—(१) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव। (२) न्याय को सस्ता, सुलभ, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने हेतु समुचित कानून में यदि आवश्यकता हो तो संशोधन का प्रभावकारी कदम उठाना। (३) चलती फिरती अदालतों को कायम करने हेतु कदम उठाना जिससे जनता को तत्काल न्याय सुलभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट की तैयारी के मौके पर हमारी सरकार के सामने कोई नीति, कोई योजना न्याय के बारे में नहीं थी। न्याय प्रशासन के बारे में इस सरकार ने जो बातें अपने बजट लिट्रेचर में रखी हैं, उनको देखने से ऐसा शुबहा होता था कि शायद कुछ बातों को माननीय न्याय मन्त्री जी अपने भाषण के समय कहेंगे जिससे कुछ नयी बातें मालूम होंगी। मुझे उस बजट साहित्य को पढ़ने के बाद तथा माननीय न्याय मन्त्री जी का भाषण सुनने के बाद यकीन हो जाता है कि सरकार की नीति अन्धी नीति है, नेत्रहीन नीति है और इसके सामने कोई योजना नहीं है। अफसोस है कि न्याय और इन्साफ का बजट हमारी सरकार के सामने है और ऐसी सरकार ने न्याय का बजट हमारे सामने रक्खा है जो खुद ही न्याय पर आधारित नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार की ओर से जुडीशियल आफिसर्स और हाई कोर्ट के ऊंचे-ऊंचे जजेज के सामने सरकार की ओर से अगर न्याय की बात कही जाय और उनको कुछ सुझाव दिए जायं, कुछ आदेश दिए जायं तो इनका क्या असर होगा। इस सिलसिले में मुझे तो याद आता है, ऐसा मालूम होता है कि यह ऐसा ही है कि कोई भी स्त्री जो अपना पति छोड़ कर दूसरा पति कर ले और उसी जिन्दा पहले पति के सामने रहे, सिंगार करे और इठला-इठला कर चले और वह बातें करे चेस्टिटी की, जैसे-सरकार करती है न्याय की और ईमानदारी की। डर की वजह से न्याय के अन्दर जनरल पब्लिक कुछ न कहे लेकिन मैं कहूंगा कि उन पर उसका असर क्या होगा? औरतों पर उसका असर क्या होगा। क्या उस स्त्री के जबानी चेस्टिटी का और स्वांग भरने का कुछ असर होगा? इसी प्रकार मुझे अफसोस है कि मौजूदा सरकार न्याय पर आधारित नहीं है। अन्याय पर आधारित है और माननीय मुख्य मन्त्री जी से मुझे बहुत आशायें थीं और मैं शुरू से इनकी बहुत इज्जत और कद्र करता रहा हूं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस पक्ष को छोड़ने के बाद उसी एलेक्टोरेट से जो मैनडेट लेकर आए थे, उसका उल्लंघन करते हुए मन्त्रिमण्डल बनायेंगे। हमारे प्रदेश में ऐसी परम्परायें हुई हैं कि मन्त्री ने जब फ्लोर क्रास किया है या उस पद के किसी आदमी ने फ्लोर क्रास किया है, वे त्यागपत्र देने के बाद फिर से चुने गए, जीतकर आए हैं और फिर मन्त्रिपद सम्हाला है।

यह कहने के बाद श्रीमन्, जो बजट के आंकड़े हैं उनको सदन के सामने रक्खूंगा। दो चार बातें जो उसमें छोटी-छोटी कही गई हैं उनमें मुझे कोई बात जंचती हुई मालूम होती है तो वह एक है कि हाई कोर्ट के कर्मचारियों का वेतन-क्रम सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों के वेतन-क्रम के बराबर किया गया है। लेकिन उसमें भी किसी इन्साफ का जिक्र नहीं है। मैं मोटे तौर पर उदाहरण के रूप में यह रक्खूंगा कि हाई कोर्ट के अन्दर शुरू से १९४७, १९५१–५२ और १९५७ में जो हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश हुए हैं उनसे वहां के जो सुपरिंटेंडेंट्स हैं, वहां के पर्सनल असिस्टेंट्स हैं माननीय जजेज़ के, उनको जो वेतन मिलता रहा है वहां के बेंच रीडर्स के भी वही समान वेतन रहे हैं। जो उनको वेतन-क्रम मिलता था वही वेतन-क्रम बेंच रीडर्स को भी मिलता था। बेंच रीडर्स का ताल्लुक एक ओर तो लिटीगेंट पब्लिक से होता है दूसरी ओर जजेज़ से होता है। लेकिन इस सरकार के द्वारा उनको असिस्टेंट्स का ग्रेड ही दिया गया है। यह उनके साथ न जाने क्यों अन्याय किया गया है।

जजेज़ के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो संख्या इस समय है, वही काफी है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि जजेज ठीक १० बजे बैठ जाते हैं, अन्तिम समय तक काम करते रहते हैं, यह नहीं है कि समय बेकार बातों में गुजारें, बहुत ठंडे दिल से पेशेन्ट हीयरिंग देते हैं, इतना होने के बावजूद भी वहां एरियर्स हैं। हजारों की संख्या में रिट्स वहां दायर किए जाते

*कटौती के अन्य प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ५०२–५०३ पर)।

[श्री अब्दुल मुईज खां—]

हैं। इसके अलावा मौजूदा आम चुनाव के बाद ४० से अधिक इलेक्शन पिटीशन्स दाखिल हो चुके हैं। अगर एक-एक पिटीशन का फैसला एक जज करे तो डेढ़-डेढ़, दो-दो महीने लग सकते हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि सरकार ने कुछ जजेज को अस्थाई तौर पर नियुक्त कर दिया है लेकिन कोई आया या नहीं अथवा उसका क्या फल हुआ, जाहिर नहीं हुआ। केवल तीन पिटीशन्स में नोटिसेज जारी किए गए हैं, बकिया में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके अलावा जिलों में जो कोर्ट्स हैं उनकी कार्यवाही तो माननीय सदस्यों से छिपी नहीं है। उनकी तरफ माननीय मन्त्री जी का कोई ध्यान नहीं गया है। सेपरेशन आफ जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव की बात कही गयी है। मैं नहीं समझता कि आखिर कौन-सी कठिनाई है जिसके कारण हिचकिचाहट हो रही है। इलाहाबाद बार एसोसियेशन के सामने माननीय मन्त्री जी ने २०–२२ रोज हुए कहा था कि यह सवाल पिछली सरकार के भी विचाराधीन था और हमारी सरकार उस पर जल्दी ही फैसला लेगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कहा गया कि इस माह के आखीर तक कमेटी रिपोर्ट दे देगी। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर अगर कमेटी की रिपोर्ट का ही इन्तजार था तो कुछ जिलों के मुन्सिफों को मैजिस्ट्रियल पावर्स क्यों दे दी हैं और कुछ को क्यों नहीं दी। मेरा तो ऐसा खयाल है कि मौजूदा सेशन से छुटकारा पाने के लिए ही ऐसा किया गया है। वरना आपने सारे प्रदेश के लिए एक ही कदम उठाया होता। रिपोर्ट के आने में १ महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है और उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसको खत्म भी किया जा सकता है।

जहां तक सेपरेशन की बात है उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। संविधान के आर्टिकिल २३७ के मुताबिक गवर्नर महोदय को पूरा अधिकार है कि वह एक नोटीफिकेशन के जरिए सारे जुडीशियल आफिसर्स को अधिकार दे सकते हैं। यह अलग बात है कि जिन जुडीशियल आफिसर्स को अधिकार दिए जायं उन में से किन को मामूली अधिकार दिए जायं और किन को ऊंचे दर्जे के अधिकार दिए जायं। इस के बारे में आप नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद कुछ सोच सकते थे.....

श्री अध्यक्ष—

आप का ५ मिनट का समय बाकी है, इस तरह से आप अब अपने भाषण को फैलावें।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

मैं निवेदन कर रहा था कि आर्टिकिल २३७ के अधीन एक नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार गवर्नर महोदय के द्वारा किसी भी मैजिस्ट्रेट को जुडीशियल सर्विस की पावर्स दे सकती थी। काम जारी हो जाता, मुन्सिफ अपने जगह पर थे, उन्हीं की तरह से जुडीशियल आफिसर आ सकते थे और वह जिला जज के अधीन हो कर सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि कुछ जिलों में मुन्सिफों को मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं, उसी तरह से नोटिफिकेशन कर के सभी जुडीशियल अफसरों को या उनमें से जो अच्छे समझे जाते थे, या सुपीरियर या सीनियर थे, या २–३–४ साल के एक्सपीरियन्स की कैद लगाकर उनको अधिकार दिए जा सकते थे और दस दिन में वह पूरी योजना तैयार हो सकती थी और काम आरम्भ हो सकता था। लेकिन मुझे डर है कि हमेशा से जो अड़चन इस मामले में रही है और पिछली वांचू कमेटी के सामने जो एवीडेंस आई थी उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जहां तक चीफ सेक्रेटरी का सवाल है उन को तो सेपरेशन से थोड़ा विरोध था लेकिन एक लिमिटेड तरीके के सेपरेशन पर वह राजी थे लेकिन पुलिस की तरफ से उसका घोर विरोध था। अब यह पुलिस सरकार और यह सरकार जो जनता की जबान पर ताला लगाना चाहती है, यह सरकार जो हर जगह पर अपने दल के सदस्यों तक पर जबरदस्ती और ज्यादतियां कर रही है, सिर फोड़े जा रहे हैं और जो तरह-तरह की ज्यादतियां हो रही हैं वह पुलिस के अधिकार कम करना चाहेगी। क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट जिला जज के अधीन हो जाते हैं तो बड़ा फर्क हो जाता है,

वह पूरी तरह से हाई कोर्ट के अधीन हो जाते हैं। इसलिए अब इस सरकार को हिचकिचाहट और जबान से बात कहते हुए भी मैजिस्ट्रेट्स को यह जिला जज या हाई कोर्ट के अधीन करना नहीं चाहती।

इस सरकार का रिकार्ड कोई बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है, यह ३ मास की सरकार है, १५–२० दिन तो सरकार के बनने में, पोर्टफोलियोज के बंटने में और काम सम्भालने में लग गए, आप समझ सकते हैं कि दो ढाई माह की सरकार का काम क्या हो सकता है लेकिन इसी बीच में इस सरकार ने जो कुकर्म करने शुरू किए हैं उनके लक्षण ऐसे हैं कि कांग्रेस के लिए जो २० साल की बात कही जाती है, उसके मुकाबले में अगर इनको खुदा न ख्वास्ता २० साल मिल गए तो ऐसा मालूम होता है कि यह सूबे में अपने कुकर्मों से कयामत या प्रलय ही ले आयेंगे। अभी हमारे एक ऊंचे मन्त्री जी के सगे भतीजे पर ३७६ आई० पी० सी० का मुकदमा चल रहा था और इस सरकार का यह पहला रिकार्ड है कि उसने शासन सम्भालते ही जिला अधिकारियों की राय के खिलाफ, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय के खिलाफ उस मुकदमे को वापस ले लिया। फिर अपने दल के एक माननीय सदस्य के ऊपर पाकिस्तानी होने का आरोप था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अदब करता हूं लेकिन कहे बिना नहीं रहूंगा। पाकिस्तानी होने का मुकदमा चल रहा था। हमारी सरकार का दूसरा रिकार्ड यह है कि शासन सम्भालते ही बिना किसी वजह के वह मुकदमा वापिस ले लिया गया। अगर उनके पाकिस्तानी होने का या हिन्दुस्तानी होने के बारे में कोई शुबहे की बात थी और मामला न्यायालय के सम्मुख था तो बेहतर होता कि वह इज्जत के साथ उस न्यायालय से बरी होते। लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें बचा कर और मामला समाप्त कराकर हमको इस से वंचित रखा कि मालूम करें कि वाकयी ये आरोप सही थे या गलत।

इन बातों के कहने के बाद मैं फिर कहूंगा कि हमारी सरकार की, इस बजट के आंकड़े बनाते समय, कोई योजना नहीं थी, कोई सिद्धांत नहीं थे, आगे चलने की कोई स्कीम नहीं थी और इसी वजह से यह बजट और दूसरे विभागों के बजटों की तरह से केवल एक बात में रिकार्ड हासिल करता है और वह यह कि पुरानी सर्विसेज, पुराने वेतन-क्रम जो अस्थायी चले आ रहे थे वे स्थायी कर दिए गए। जो पिछली सरकार के काम चल रहे थे अधिकतर इस सरकार ने उन्हीं को हाथ में लिया है और आंकड़ों का खेल दिखाकर यह बजट प्रस्तुत किया है। इन्होंने उससे आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा) (जिला लखनऊ)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझ जैसे नये आदमी को, एक अनभिज्ञ आदमी को, इस सदन में सम्बोधित करने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष——

विषय के तो आप पंडित हैं।

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)——

श्रीमन्, मैं इस न्याय प्रशासन के बजट के पक्ष में अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके पहले कि मैं इस बजट के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं, मुझे यह निवेदन करना है, और आपके माध्यम से, श्रीमन्, अपने माननीय सदस्यों से यह कहना है कि मैं जिस वक्त इस सदन में निर्वाचित हो कर आया, मुझको बहुत खुशी थी कि शायद मैं अपने प्रदेश की कुछ सेवा कर सकूं, मगर जब मैं इस सदन में आया और मैंने यहां पर माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझको बहुत दुःख हुआ। इस सदन में जैसा कि मैं समझता हूं, शायद एक-एक मिनट भी सैकड़ों रुपए से ताल्लुक रखता होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीशंकर शर्मा—]

मगर सिवाय इस एक महीने के अर्से में दोनों पक्ष से एक दूसरे की बुराई, पिछले कारनामों का जिक्र कि हमने यह किया, आपने यह किया, परन्तु कभी भी मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे मौके आये कि किसी ने भी कोई अच्छे सजेशन्स आपके सामने प्रस्तुत किये हों। मैं जानता हूं कि डेमोक्रेसी में यह जरूर है कि डिस्कशन के बीच में कभी-कभी इर्रिलीवेंट बातें की जाती हैं, मगर शुरू से आखिर तक, क्योंकि अब तो काफी अर्सा हो गया, इसके बाद भी उसी तरह के दोषारोपण एक दूसरे की तरफ चलें, मैं समझता हूं कि शायद हम लोग माफ कर दें, मगर इस सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आगे आने वाले पीढ़ी के लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिये क्या समझेंगे, इसके लिये कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने के बाद अब मेरी दशा यह है कि जब मैं सदन में आता हूं तो मुझे इस सदन के अन्दर आने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं ज्यादातर वक्त लाबी में बैठकर व्यतीत करता हूं और कोशिश करता हूं इस बात की कि कितना कम समय इस सदन में आने में लगे। मैं अपने माननीय सदस्यों से, जो बहुत पुराने हैं, मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा है, छोटे मुंह बड़ी बात है, प्रार्थना करूंगा कि जब हमारे प्रदेश की यह दशा है तो हम लोगों को चाहिये कि हम अपना पूरा वक्त इस बात की कोशिश में लगायें कि गवर्नमेंट की अच्छाइयों और बुराइयों को और उसमें कुछ सजेशन्स भी हों, देकर हमें प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये।

इसके बाद एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि इस प्रजातंत्र में न्याय प्रशासन एक बड़ा महत्व-पूर्ण विषय है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र ठीक कायदे से चले तो हमारे लिये जरूरी होगा कि हमारा न्याय प्रशासन अच्छा हो। हमारे न्यायाधीश, हमारी अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट और बड़ी न्याय की समझने वाली होनी चाहिये। और दूसरी बात कोई भी उन पर किसी तरह का दबाव इक्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं होना चाहिये। जहां तक मुझे थोड़े दिन का तजुर्बा है मैं समझता हूं कि पता नहीं हमारी इस गवर्नमेंट में क्या सूरत हो, मगर मेरा खयाल यह है कि हमारी इस जुडिशियरी में जो अप्वाइंटमेंट होने लगे हैं वह एक पोलिटिकल अप्वाइंटमेंट की सूरत में हो गये हैं। यह कोई ठीक रास्ता नहीं है। हम सबका कर्त्तव्य है कि हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम चाहे जिस तरह से अपनी पोलिटिकल लाइफ पेश आयें, मगर जुडिशियरी को इससे अलग होना चाहिये। और नतीजा यह है कि दिन पर दिन हमारी जुडिशियल लाइन में भी बहुत काफी भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज इस न्याय की निस्बत में यह होनी चाहिये, जहां तक मैं समझता हूं, कि हमारी अदालतों में न्यायाधीश ऐसे होने चाहिये जिन पर कि जनता को विश्वास हो। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हमारी अदालतें सब बेकार हैं।

दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वह यह है कि अदालतों में फैसले जितनी जल्दी हो सकें होने चाहिये। हमारे वहां हाईकोर्ट में जो एरियर्स का हाल है, सिविल कोर्ट में सिविल केसेज का जो हाल है, हम लोग कहते हैं कि अगर एक शख्स ने दावा दायर किया और वह हाईकोर्ट तक पहुंच गया तो शायद उसके पोतों तक उसका फैसला होने की नौबत आवे। मैं न्याय मंत्री जी से इस बात की इस्तदुआ करूंगा कि वह इस मसले को बड़े गौर से देखें और इस बात की कोशिश करें कि ये एरियर्स जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे घटाया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में १५—२० साल के केसेज पड़े हुये हैं। लखनऊ बेंच में भी काफी मुकदमात हैं, हालांकि वहां एरियर्स का वह हाल नहीं है। लखनऊ बेंच में फौजदारी के मुकदमों में सन् ६६ की अपीलें चल रही हैं, लेकि. इलाहाबाद बेंच में सन् ६३—६४ तक नौबत आई है। आखिर इसकी वजह क्या है? लखनऊ बेंच जब कायम हुई थी, उसके पहले यहां जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट था और हमारे प्रदेश में दो हाईकोर्ट्स थीं। यह सोचा गया कि प्रदेश में दो हाई कोर्टस् नहीं रहना चाहिये क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि एक ही मसले पर मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन्स ला के होते थे। अतएव १९४८ में हाईकोर्ट अमलगमेशन आर्डर पास हुआ। पंत जी और अन्य लोगों की तरफ से यह कोशिश की गयी कि लखनऊ बेंच में १२ जिले रहें। लेकिन उस आर्डर के पास होने के बाद भी कुछ जिले निकल गये थे, जैसे सुल्तानपुर और फैजाबाद। उसके बाद दुबारा जब हमारे

चीफ जस्टिस देसाई आये तो उन्होंने ये जिले वापस किये। अब भी कुछ मुकदमात इनकम टैक्स और कम्पनी ला के ऐसे हैं जो इन १२ जिलों के भी इलाहाबाद में ही होते हैं। मैं इस मत का नहीं हूं कि इलाहाबाद में मुकदमें होने से कुछ नुकसान होता है। बल्कि मेरा यह कहना है कि जुडिशियरी में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, अगर आप एक जगह एक अदालत में इतने मुकदमें कर देंगे तो यह मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी हालत में भी मुकदमात वहां जल्द फैसल हो सकें।

श्री अध्यक्ष---

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)--

१० मिनट।

श्री अध्यक्ष---

आप ५ मिनट ले लें।

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)--

मैं समझता हूं कि इसके महत्व को आपने भी बहुत कम समझा क्योंकि उसके लिये आपने आधा ही दिन मुकर्रर किया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। यह नेता विरोधी दल और नेता सदन खास तौर से तय करते हैं।

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)---

मेरा मत है कि जिस तरह की बेंच लखनऊ में है, इसी तरह की बेंचेज प्रदेश में और कायम कर दें तभी मुमकिन हो सकता है कि ये एरियर्स जो इतने बढ़ गये हैं, इनमें कुछ कमी आ सके। क्योंकि आपको भी बहुत काफी तजुर्बा है, हाई कोर्ट में जितना काम है वह एक चन्द वकीलों का सेट है उन्हींके हाथों में ज्यादातर रहता है। नतीजा यह होता है कि अगर एक जगह ज्यादा काम हो जाता है तो उनके लिये उतना काम करना गैर मुमकिन हो जाता है। नतीजा यह होता है कि वह मुकदमे काफी बढ़ते रहते हैं। अगर हम डिफरेंट जगह बेंचेज कायम कर दें तो वह मैनिपुलेशन जो एक जगह होता है वह कम हो जायगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई कोशिश हमारी सरकार की तरफ से की जाय तो मुमकिन है कि सुधार हो। आप देखें कि लखनऊ बेंच कायम होने के बाद जो १२ जिले थे अभी कुछ रिट्स ऐसी हैं जो कि इलाहाबाद में फाइल होती हैं। यानी उन १२ जिलों का भी पूरा काम इस लखनऊ बेंच में नहीं है। नतीजा क्या होता है कि जो रिट इलाहाबाद में गवर्नमेंट के खिलाफ होती है उसके लिये वहां पर एफीडेविट फाइल करने के लिये, मुकदमे की पैरवी करने के लिये यहां के अफसरान वहां जाते हैं जिस में ऐडमिनिस्ट्रेशन का काफी पैसा भत्ते वगैरह में खर्च होता है। मैं न्याय मंत्री जी से आपके माध्यम से इस्तदुआ करूंगा कि कम से कम वे १२ जिले जो कि आपने इस लखनऊ बेंच में रखे हुये हैं उनका पूरा काम तो इसमें हो, ऐसा कोई आप लेजिस्लेशन लायें आपको पावर्स हैं। ऐसा करने से खर्चा भी कम हो जायगा और वक्त की भी बचत होगी क्योंकि लखनऊ बेंच के मुकदमे आसानी से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जाकर कर सकते हैं। माननीय गुप्ता जी के जमाने में एक लेजिस्लेशन यहां पर आया था। माननीय अली जहीर साहब जब न्याय मंत्री थे तो उन्होंने हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन बिल यहां पेश किया था जिसमें ये दिक्कतें जो लखनऊ बेंच के काम के बारे में थीं उनका उल्लख किया गया था। और जहां तक मुझे ज्ञान है शायद कौंसिल में वह बिल पेश भी

[श्री श्रीशंकर शर्मा—]

हुआ था, मगर इसके पहले कि असेम्बली में वह आये कुछ कारणों से वह रोक दिया गया। उसके बाद कुछ दिक्कतें ऐसी पैदा हुईं, जिनकी वजह से वह फिर नहीं आ सका। मैं न्याय मंत्री जी का ध्यान उस बिल की तरफ आकर्षित करूंगा कि उससे बहुत सी तकलीफें और परेशानियां कम हो सकती हैं।

तीसरी बात एरियर्स के सिलसिले में जैसा कि मैंने बताया .....

श्री अध्यक्ष—

तीसरी और आखिरी।

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)—

आपका हुक्म शिरोधार्य है। बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है ऐसे पचासों मुकदमे होते हैं, जिनमें एक ही प्वाइंट इन्वाल्व होता है मगर उनकी तारीख अलग-अलग तारीखों में होती हैं। अगर हम उनको छांट करके ग्रुपवाइज करके हियरिंग करें तो वे सब केसेज जिनकी इतनी काफी तादाद है एक साथ डिसाइड हो सकते हैं और इस तरह से काफी एरियर्स कम हो सकते हैं। इसके बाद इस गवर्नमेंट ने जो जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव को सेपरेट किया....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सेपरेशन कर दिया ?

श्री श्रीशंकर शर्मा (उपनाम लालो शर्मा)—

वह कर ही दिया समझिये। बहुत जल्द उसके बारे में कानून आने वाला है। आपको ताज्जुब हुआ और ताज्जुब होना भी चाहिये क्योंकि जिस काम को आप बीस साल में नहीं कर सके वह इन्होंने दो, ढाई महीने में कर दिया। (व्यवधान)

यहां बहुत पुराने-पुराने लोग हैं और वक्त बहुत कम है। मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैंने वह काम किया तो मैं भी उसी लाइन में आ जाऊंगा। इस वास्ते मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं अपने दोस्तों से इस्तदुआ करूंगा कि जो कुछ भी बात हो, उसको हम लोग बाहर मिलकर तय कर सकते हैं। यहां हम अपना वक्त खराब न करें।

श्री अतीकुर्रहमान (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा से और आज्ञा से इस अनुदान के 'कटौती के प्रस्ताव' के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन के बजट के दिन यह घोषणा इस माननीय सदन में की थी कि वह जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव से सेपरेशन करने वाले हैं। यह एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शुबहा नहीं है और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि खुद हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस बात की हिदायत है। लेकिन न तो मुख्य मंत्री जी ने और न मंत्री जी ने इसको स्पष्ट किया कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन साहबान उसके मेम्बर हैं। चूंकि यह एक बड़ी अहम बात है कि आपने एक खास काम के लिये संविधान में जो हिदायत दी गई है, उसको पूरा करने के लिये एक कमेटी बनाई, जनता की जो एक मांग बहुत दिनों से थी उसको पूरा करने के लिये एक कमेटी बनाई। लेकिन यह नहीं देखा कि यह कमेटी उस खास काम के लिये उपयुक्त है या नहीं ?

यह कमेटी सामान्य प्रशासन के अफसरान पर मुश्तमिल है। मैं अर्ज करूंगा कि उनकी लियाकत का हमें पूरा एतराफ है। लेकिन प्रशासन करने के लिये एक खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो उनको दी गई है और उनको वैसा ही होना चाहिये। लेकिन जब हमारी मंशा सेपरेशन व अलाहिदगी की है तो हमें ऐसी कमेटी बनानी चाहिये थी जिसका दृष्टिकोण वही होता जो हमारा है क्योंकि हम कम्पलीट सेपरेशन न्यायपालिका और कार्यपालिका का चाहते हैं

लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें एक शुबहा होता है। शुबहा इस बात का नहीं होता कि व एबव बोर्ड नहीं हैं। लेकिन इस बात का शुबहा होता है कि उनका दृष्टिकोण वह नहीं है जो हमारा है या इस कमेटी का होना चाहिये। शासन चलाने के लिये उनका दृष्टिकोण ठीक है और वह रहना चाहिये क्योंकि वह मुफीद है। इस कमेटी के बनाने में या तो हाई कोर्ट से परामर्श किया जाता या जो वकला हैं, जजेज हैं, जरिस्ट्स हैं, इनमें से आदमी होने चाहिये थे और एक दो आदमी सामान्य प्रशासन के भी होने चाहिये थे। इस किस्म के लोगों की कमेटी बनानी चाहिये थी। मेरा खयाल यह है और मैं अपने सुझाव यह रखना चाहता हूं कि कम्पलीट सेपरेशन करने के बाद, जिसमें प्रिबेंटिव सेक्शंस भी शामिल होने चाहिये जिनके मुकदमे डिप्टी कलेक्टर करते हैं, यह सब जुडीशल आफिसर्स मुंसिफ जो नाम रखें, सब हाई कोर्ट के नीचे आने चाहिये और प्रदेश की एक जुडिशियल सर्विस कायम होनी चाहिये, एक उनका केडर आयम करना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इम्तहान होना चाहिये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। इसपर मैं जरूरी नहीं समझता कि लम्बी चौड़ी तकरीर करूं, इसलिये कि इसका सदन में रोज जिक्र होता ही रहता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार जुडिशियरी में है यह बहुत गम्भीर बात है, चूंकि जुडिशियरी मुद्दतों तक भ्रष्टाचार से आजाद रही है या भ्रष्टाचार बहुत कम रहा है नहीं के बराबर, लेकिन अब है। यह अफसोस की बात है। इसके लिये यह तरीका होना चाहिये कि जुडियिशल डिस्क्रीशन को इस्तेमाल करते हुये जिन अफसरों की शिकायतें आयें, अगर प्राइमाफेसी केस पाया जाय तो उनको मुअत्तल करके जरूरी कार्यवाही की जाय।

दूसरी बात वकीलों से ताल्लुक रखती है। जिलों में सरकार जिन वकीलों को सरकारी वकील मुकर्रर करती है वह वकील बहुत ज्यादा लायक नहीं होते। यह तो जानी बूझी बात है। ऐसा भी होता है कि कोर्ट इंस्पेक्टर और सरकारी वकील दोनों तरफ के लोगों से मिल जाते हैं और रिश्वतें चल जाती हैं। इसके लिये और इफीशियेंसी बढ़ाने के लिये बेहतरीन सूरत यह है कि जो आठ दस वकील ऊंचे, चोटी के जिले में हों, उनसे सरकार काम ले और उनको फीस दे। उनकी फीस मालूम होती है और उसका ताअम्मुन भी हो सकता है। अगर रूल्स बनाना चाहें तो वह भी बन सकते हैं। माकूल फीस देकर बड़े मुकदमों में उन वकीलों से काम लिया जाय। छोटे मुकदमों के लिये जो होशियार, मेहनती, नौजवान वकील हैं उनका एक पैनल बनायें और पैनल में ऐसे लोगों को रखें। फीस जैसी मुकर्रर है दें। इससे अदालतों का भ्रष्टाचार कम हो सकता है।

एक एरियर्स की बात है। मुकदमों के एरियर्स न सिर्फ हाईकोर्ट में बल्कि जिलों की अदालतों में भी काफी रहते हैं। उनको खत्म करने की सीधी सी बात है कि जितना काम है उसके मुताबिक आफिसर्स होने चाहिये चाहे जितना खर्च हो। उसके अलावा जो डिलेइंग टैक्टिक्स मुकदमों के सिलसिले में चलायी जाती हैं उनको खत्म किया जाय। उनमें से एक चाल यह है कि एक मुकदमे में एक गवाही सुन ली, दूसरा मुकदमा ले लिया उसमें एक आर्डर दे दिया, तीसरा ले लिया। इसी तरह से चौथा और पांचवां ले लिया। एक एक अफसर के पास ६०-६५ मुकदमे होते हैं। होना यह चाहिये कि जब मुकदमा एक दफा टेक अप कर लिया जाय, तो जब तक वह खत्म न हो जाय तब तक दूसरा नहीं लेना चाहिये। इससे डिलेइंग टैक्टिक्स खत्म हो जायंगी और इस सिलसिले में भ्रष्टाचार भी खत्म हो जायगा।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं कुछ वक्त ज्यादा चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---

आज मेरी मजबूरी है, आज इस पर आधा दिन ही है।

श्री अतीकुर्रहमान--

अलावा सुझाव देने के मान्यवर, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अब जरा मेरी भी मजबूरी है, आप दो तीन मिनट में समाप्त कर लें, क्योंकि इसे ढाई बजे तक समाप्त होना है।

श्री अतीकुर्रहमान--

न्याय मंत्री जी ने चलती-फिरती अदालतों के बारे में कहा कि यह मुमकिन नहीं है। लेकिन यह चीज बड़ी जरूरी है, चलती फिरती मोबाइल अदालतों का प्रबन्ध होना चाहिये जिसमें छोटे मुकदमे म्युनिसिपैलिटीज आदि के ही नहीं फौजदारी के मुकदमे भी होने चाहिये। छोटे-छोटे मुकदमे तय करने का उनको अधिकार होना चाहिये, उनकी अपील और रिवीजन भी हो सकता है।

न्याय को सस्ता और सुलभ करने के लिये इस बात की भी आवश्यकता है जो शर्मा जी ने कहा--उस चीज को मैं जोर दे कर कहना चाहता हूं। जहां तक पश्चिमी जिलों का संबंध है, जैसे रुहेलखंड डिवीजन है, आगरा व मेरठ डिवीजन हैं, उनके लिये हाईकोर्ट का एक बेंच होना चाहिये। इसके न होने से इस क्षेत्र के लोगों को ३-३ सौ और ५-५ सौ मील का सफर अपने मुकदमों के लिये तय करना पड़ता है। लोगों का इससे बहुत खर्च होता है और समय की बरबादी के साथ-साथ काफी परेशानी रहती है।

इसके अलावा न्याय क सस्ता करने के लिये हर जिले में अगर शासन दिलचस्पी ले तो जिला जज के जरिये से यह किया जा सकता है कि वकीलों की, गरीबों और मुफलिसों का, काम करने के लिये सोसाइटियां बनाई जायें। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से ऐसा करते हैं, लेकिन अगर प्रशासन उसमें दिलचस्पी ले और जिले का जो डिस्ट्रिक्टजज होगा वह उसमें दिलचस्पी लेगा तो और लोग भी उसमें दिलचस्पी लेंगे। और जो लोग, जो वकील ऐसी दिलचस्पी लेंगे, मुकदमे मुफ्त करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे में कामयाब होंगे उनका एक रिकार्ड रखा जाये और सरकार की तरफ से उन्हें पैनल में रखने का प्रयास किया जाये। और उन लोगों को जजी के ओहदे के लिये उचित समझा जाये। ऐसी दिलचस्पी ली जायेगी तो वकीलों को मुफलिसों और पापर्स का काम मुफ्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब बाकी प्वाइंट्स आप लिख कर न्याय मंत्री जी को भेज दीजियेगा।

श्री अतीकुर्रहमान--

मान्यवर, मुझे बहुत कुछ कहना था, किन्तु अब आपकी आज्ञा है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को बुलाऊं, उसके पहले कह देना चाहता हूं कि अब ऐसा है कि जितना समय कुल था उसके लिहाज से ५-७ मिनट से ज्यादा किसी को देना संभव नहीं था। लेकिन मैं स्वयं समझता हूं कि इतने कम समय में इस महत्वपूर्ण विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता अगर १०-१२ मिनट से कम का समय दिया जाये। इसके अलावा सभी विज्ञ लोग सौभाग्य से सदन में मौजूद हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि १०-१२ मिनट से ज्यादा कोई न लें तो अच्छा होगा।

*श्री गंगाराम (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शर्मा जी की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे एक बात ऐसी कहनी है, वह मुझे माफ करेंगे, उन्होंने ऐसी बात कही है जो मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने फरमाया कि इस सदन का लेविल आफ डिस्कशन ऐसा नहीं है जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता, मुझे इस सदन के सम्पर्क में रहने का मौका ज्यादा नहीं मिला, फिर भी मुझे जो जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिली है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सदन का लेविल आफ डिस्कसन अब हायर अप हो गया है और मुझे पूर्ण आशा है कि इन कोर्स आफ टाइम लेविल आफ डिस्कसन और ऊंचा होगा।

मैं माननीय शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने ट्रेडीशंस के मुताबिक अपने माइन्ड को ओपेन रखें और आगे चलकर इस सदन में आने का मौका दें, उसको समझने और देखने और रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि वे इस सदन की कार्यवाही से सैटिसफाइड होंगे।

श्री अध्यक्ष--

गंगाराम जी, मैं आपके आबजरवेशंस के लिये आभारी हूं। मैं स्वयं अनुभव कर रहा था कि उनको टोकूं।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

लेकिन वह तो चले गये।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यह आवाज बहुत दूर तक जाती है।

श्री गंगाराम--

यह बात जरूर है कि हम लोग कभी-कभी दूर चले जाते हैं, उन चीजों से जो कि असल में डिमोक्रेटिक ट्रेडीशंस के कांसोनेंट्स हैं लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वह धीरे-धीरे आ जायेंगे और कोई ऐसी बात नहीं है कि भारतवर्ष में जो हम लोगों की यह असेम्बली है उसका स्टैन्डर्ड पार्लियामेंट आफ इंगलैंड के स्टैन्डर्ड से कम रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड भी उतना ही ऊंचा हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जो आज आपके सामने है, वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बड़ा आर्डिनरी मैक्सिम है कि "डेमोक्रेसी ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, दे गो हैंड इन हैंड।" अगर लोकतंत्र हमें कायम रखना है तो क्लीन ऐंड एफीशियेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिश का होना बहुत जरूरी है और अगर वह नहीं होगा तो डिमोक्रेसी नहीं पनप पायेगी।

श्री राममूर्ति--

तलवार साहब, उसमें "चीप" शब्द और जोड़ लें।

श्री गंगाराम--

जी हां, वह भी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रायरिटीज का सवाल है। वह पहले दोनों को प्रायरिटी देते हैं।

श्री गंगाराम--

मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि सेपरेशन आफ एक्जीक्यटिव ऐंड जुडिशियरी के संबंध में कुछ आर्टिकिल्स अपने कांस्टीट्यूशन की ओर मैं आपको मुतवज्जह करूंगा। आर्टिकिल २१७ है--

"217. (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appoint-

[श्री गंगाराम]

ment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court and shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty-two years."

अब इस में ऐसा है कि हर एक जज जो हाई कोर्ट का एप्वाइंट होगा वह भारत का प्रेसीडेंट इन कन्सल्टेशन विद दि चीफ जस्टिस आफ इंडिया करेगा और गवर्नर इन कंसलटेशन विद चीफ मिनिस्टर करेगा। अब अगर गवर्नर इन कंसलटेशन विद चीफ मिनिस्टर करेगा तो पोलिटिकल कलर जरूर आ जायगा। अगर ऐसा हूं मान भी लिया जाय तब भी गवर्नर शब्द ही रहने चाहिये यह नहीं होने से पालिटिक्स उसमें आ जाना लाजिमी है। अब इसके बाद आर्टिकिल २३६-(बी) आता है :—

"236. (b) the expression "judicial service" means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge."

इसका मतलब यह है कि जुडिशल सर्विस वह सर्विस है जिसमें वह लोग हों जो डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जुडिशल पोस्ट को आकुपाई करते हों और कोई किसी जगह नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल सेशन जज लीगल रिमेम्बरेन्सर बना कर इस विभाग में भेज दिए जाते हैं तो वह एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और सरकार के अन्डर हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर के अन्डर आ जाते हैं। इस वजह से यह मिक्सिंग हो रहा है। एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में ये लोग आ रहे हैं और लीगल रिमेम्बरेन्सर हो गए हैं। लीगल रिमेम्बरेन्सर होने के बाद हाई कोर्ट के जज हो गए तो उनका जो आउट लुक है वह गलत हो जायगा। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जुडिशल सर्विस एक्सक्लूसिवली जुडिशल सर्विस हो। उस में यह किसी तरह से मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तभी वह अपना सही पार्ट अदा कर सकते हैं। अगर उनको एक तरह से बिल्कुल अलग रखेंगे तो उनका प्वाइन्ट आफ व्यू क्लीयर हो जायगा। इसके लिए यहां पर कोई कानून बनाकर इस चीज को क्लीयर किया जाय तब जाकर यह ऐडजस्ट होगा नहीं तो उसमें कुछ कलर आ जाता है। इसलिए सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव बिल्कुल जुडिशरी से होना चाहिए। उसमें कोई एग्जीक्यूटिव का हेड ही रह जाय तो यह साफ हो सकता है।

इसके बाद "जस्टिस डिलेड ऐंड जस्टिस डिनाइड" की बात आती है। इन्साफ पाने में देर हो जाती है तो जो इन्साफ का मन्शा है वह खत्म हो जाता है। हम लोगों ने कानपुर में जस्टिस मूथम को इन्वाइट किया था। उन्होंने इंग्लैंड की जस्टिस के बारे में बताया कि इंग्लैंड के अन्दर कोई भी सिविल केस ६ महीने के अन्दर तय हो जाता है। यहां पर सिविल केस का पता ही नहीं रहता है कि कितना समय लगगा। यह बार क्रिमिनल केस के बारे में तो जरूर लगाई हुई है कि वह तीन महीने के अन्दर तय होगा। इसी तरीके से सिविल केस पर भी यह बार लगाना चाहिए। किसी कानून के जरिए से इसको बदलें या कोई चेन्जेज इसमें इन्ट्रोड्यूस करें ताकि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ६ महीने के अन्दर वह केसेज खत्म हो जायं। नहीं तो यह जस्टिस डिलेड ऐंड जस्टिस डिनाइड वाली बात हट नहीं पाएगी।

इसी तरीके से मैं एक बात यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि कास्ट आफ लिटिगेशन बहुत हाई है। मन्त्री जी ने यह कहा कि यह सभी प्राविन्स में है कि कोर्ट फीस हाई है। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर ऐसी परम्परा कायम रखनी चाहिए जिससे हम दूसरों को लीड कर सकें और यह बतला सकें कि ऐसी मिनिस्ट्री थी जिसने यह किया और नया काम किया। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस बजट में ऐडजस्ट करके अगर कास्ट आफ लिटिगेशन को कम कर सकें तो अच्छा होगा। इसी तरह से करप्शन की बात कही जाती है। मैं यह अर्ज करूंगा कि कुर्क अमीन क्या करता है, पेशकार या अहलमद क्या करता है यह बहुत लोग जानते हैं। इस पर सोचना यह है कि क्या मुमकिन किया जा सकता है। अगर सी० आई० डी० का कुछ इन्तजाम

हो जाय और वह अन्दर अन्दर वहां पर देखे कि किस तरह से गड़बड़ होती है और किस तरह से लोग करते हैं तो कुछ रोकथाम हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि अहलमद, पेशकार को कपड़ा भी मिलना चाहिए और सभी तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिस तरह से आप मिलिटरी को देते हैं तो इससे उनकी भावना बदलेगी। हम यह जानते हैं कि लिटिगेंन पब्लिक इसमें परेशान होती है। तो उससे कुछ उसमें रोकथाम हो सकती है।

इसी तरह से कानपुर में जजेज के लिए कोई एकोमोडेशन का इन्तजाम नहीं है। इससे उसकी प्रैस्टिज पर गलत असर पड़ता है। मैं मैजिस्ट्रेट्स को देखता हूं कि मकान ढूंढ़ रहे हैं। ऐसा मालुम होता है कि अपनी गवर्नमेंट जुडिशियरी के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है। तो यह सब बातें मुझे आप के सामने रखनी थीं और मैं समझता हूं कि मैंने अधिक समय नहीं लिया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, बहुत बार मेरे सामने सदन में न्याय विभाग की मांगें पेश हुई हैं और सदन के द्वारा वे स्वीकार की गयी हैं। मैं बहुत ध्यान से माननीय तलवार साहब का भाषण सुन रहा था और मेरा खयाल था कि वे मेरे सामने ही एक बहुत बड़े अन्याय के प्रति विद्रोह की बात कहेंगे, लेकिन मुझे दुख हुआ कि उन्होंने एक भी शब्द उस संबंध में नहीं कहा। श्रीमन्, न्याय विभाग के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना केवल एक औपचारिक बात नहीं होनी चाहिये और आपको तो स्मरण है कि कई विभागों के कटौती के प्रस्तावों को हम लोगों ने वापस लिया है लेकिन मैं आप की आज्ञा से यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज हम इस कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे। कटौती का प्रस्ताव जरूर रहेगा। श्रीमन्, क्या हो गया हमारे इस प्रदेश को और क्यों नहीं मेरे मित्र तलवार साहब जैसे अच्छे व्यक्ति, जिन्होंने कदाचित् बहुत अरसे तक न्यायालयों में कार्य किया है और जो न्याय की शिक्षा से भी संबंधित हैं, उन की आवाज इस संबंध में नहीं उठी। इस का मुझे आश्चर्य है।

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर), पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या हम न्याय का गला घोंटकर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात कर के इस सिद्धान्त के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? इस सदन में मैं आप का ध्यान उस योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा जिस में हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच का एक सेल कायम करने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी दिन इस सदन में कही थी। मैं इस के विरुद्ध बहुत गंभीरता से और तेज आवाज उठाना चाहता हूं। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज नहीं उठाता, इस लिये नहीं, बल्कि इस लिये कि उन्होंने इस प्रकार एक नये भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया है। क्या कहना चाहते हैं वे? यहां के प्रशासन में एक ही विभाग ऐसा था जिस के संबंध में हम गर्व से यह कह सकते थे कि इस विभाग की एक अपनी प्रतिष्ठा है, आभा है, यश है और इस विभाग के संबंध में आज देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहां, इस में भ्रष्टाचार नाम की जो चीज है, उसने इस विभाग को छुआ नहीं है। मेरा मतलब न्यायपालिका के संपूर्ण विभाग से नहीं, बल्कि जो सचमुच न्याय से संबंधित विभाग हैं, उन से है, यानी हाई कोर्ट और उस के अधीन जितने कर्मचारी और अधिकारीगण कार्य करते हैं, मेरा मतलब उन से है। मेरा मतलब जजेज से है, मुंसिफ से है, हाई कोर्ट के जजेज से है। मैं यह कह सकता हूं कि संसार में और भी बहुत से स्थानों पर न्याय पालिकायें हैं, हाई कोर्ट हैं, लेकिन इतना कहने की मुझे अनुमति दे दें कि संसार के उन हाई कोर्ट्स में हमारे हाई कोर्ट का स्थान भी अपने तौर पर बहुत ऊंचा है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जो सेल कायम कर दिया वह इसलिये कि उन के मन में एक भूत सवार है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब कोई आदमी आग से भागने लगता है तो उसे हर जगह आग ही आग नजर आती है। जिस प्रकार से वह मुख्य मंत्री बने बैठे हैं, उसी प्रकार की आग वह हर जगह समझते हैं

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

लगी हुई है। किस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिये उन्होंने सेल कायम किया है? एक ओर आप न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना चाहते हैं और एक ओर आप सेल कायम करते हैं न्यायपालिका में। यानी किस चीज की सेल क्यों उन्होंने यह कायम किया? क्या उन्होंने एक प्रकार से यह नहीं कह दिया कि हमारी अपनी न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है? आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाय। इस विरोधाभास के पीछे आखिर क्या भावना है? मैं इस चीज के प्रति इसलिये यह आवाज उठाता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एक प्रकार से अन्याय किया गया है इस प्रदेश की न्यायपालिका के साथ। मैं भी उनमें हूं जिनमें स्वाभिमान की भावना होती है। मैं तो इस चीज को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और मेरा निश्चित विश्वास है कि इस प्रदेश की न्यायपालिका और हाईकोर्ट कदाचित् इसके विरोध में आवाज उठावे क्योंकि इस प्रकार से आप कहने लगे कि तुम भी बेईमान, सब बेईमान, दुनिया बेईमान और मैं ईमानदार। मुझे माफ किया जाय, मैं और किसी चीज में न जाते हुये जो तथ्य है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी मांग है वह एक संकुचित दृष्टिकोण की द्योतक है जैसे कि आपने बेईमानी करने की कोई कसम खा ली हो। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका के विरुद्ध जो सेल कायम करने की बात है, उसे वापस लिया जाना चाहिये। किस चीज के लिये आप सेल बनाना चाहते हैं? मैं यह नहीं कहता कि सब जज, सब मुंसिफ ईमानदार ही हैं और उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत न हो। कुछ के खिलाफ शिकायतें आयी हैं और कुछ पकड़े भी गये हैं और उन पर मुकदमें भी चले हैं लेकिन यह जो रूल आफ ला की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी और जम्हूरियत में न्याय की बात करते हैं, जो नियम और अधिनियम की बात करते हैं उनके सम्पूर्ण दृष्टिकोण के अन्तर्गत यह चीज आती नहीं है और न इस प्रकार की चीजों का इस तरह से ढिंढोरा पीटा जाना चाहिये। मेरे खयाल में बहुत बड़ा अन्याय माननीय मुख्य मंत्री जी अपने इस प्रशासन काल में इस प्रदेश की न्यायपालिका के साथ करने जा रहे हैं। प्रदेश की न्यायपालिका और कार्यपालिका कैसे अलग होगी?

मैं अपने मित्र न्यायमंत्री जी से यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप अपनी कमेटी की परसोनेल को देखें जिनका कि जिक्र हमारे माननीय अब्दुल मुईज साहब ने किया। उसमें उन्होंने जो प्रतिनिधि रखे हैं क्या उसमें जुडिशियल आफिसरों को भी रखा है? यदि नहीं रखा है तो इससे ज्यादा कौन सा अन्याय उनके साथ होगा? ए० डी० एम० (जे०) को ले जाकर आप मुंसिफ बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करने जा ही रहे हैं लेकिन यदि आप ऐसा कर देंगे तो इससे बड़ा भारी अन्याय हो जायगा। आपने जो कमेटी बनायी है उसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि उसे कौन सा दर्जा दिया जाय और कौन सा दर्जा न दिया जाय, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सौभाग्य से हमारे पास माननीय न्याय मंत्री हैं, उनके सचिव महोदय हैं, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के बारे में उनको बहुत गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात बहुत दिनों से सब के बीच में चलती रही, सबके मन में चलती रही। सबसे पहले इसको अलग करने का परीक्षण इस उत्तर प्रदेश में ही हुआ और मुझे इसके लिये गर्व है। माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त के कार्यकाल में ही उसका प्रारम्भ हुआ था और उसने एक रूप लिया। कुछ ऐसे कारण हुये जिससे सम्पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सका या कुछ अलग किया जा सका। मैं चाहता हूं कि उसे जल्द से जल्द अलग किया जाय।

मुझे दुख हुआ, मैं सोचता था कि माननीय मंत्री जी कुछ जिक्र करेंगे पुरानी बातों का और इस बेचारी हिन्दी का जिसका जिक्र करते भी थकते नहीं जनसंघी मंत्रिगण और जिसकी हर रोज यहां चर्चा होती है। मुझे स्मरण है कि जब सन् ४७ में आजादी आयी तो कुछ मैजिस्ट्रेट

और मुंसिफ साहबान ने हिन्दी में जजमेंट लिखा और कुछ जजों ने भी लिखा। मुझे यह भी स्मरण है कि हिन्दी की शब्दावली तैयार करने के लिये यहां पर एक योजना बनी। मुझे बहुत दुख है, कि इस चुनाव के बाद हम चाहते थे कि हिन्दी की प्रगति होती और मेरी निश्चित धारणा थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि हिन्दी की निश्चित रूप से प्रगति हो और हम अपने प्रदेश को पीछे नहीं डालेंगे। एक ओर तो आप शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं हिन्दी को और दूसरी ओर आपके न्यायालयों में जो हिन्दी की दुर्दशा है उसका मैं भुक्तभोगी रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को एक बार फिर उसी तरह से पीछे डाल दिया गया है जिस प्रकार से यह प्रश्न ए०आई० सी० सी० में पीछे डाल दिया गया था। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट में हिन्दी के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना बनानी होगी, अभी तक कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी गयी, उसका कोई नया रूप हमारे सामने नहीं रखा गया। माननीय मंत्री जी जब अपना अंतिम भाषण दें तो उस संबंध में मैं चाहूंगा अपने विचार रखें।

एरियर्स को साफ करने के संबंध में भी कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी गयी। शर्मा साहब ने भी अपने भाषण में उसके लिये कोई योजना नहीं बतायी। हाई कोर्ट में एरियर्स बराबर बढ़ते जाते हैं। डिस्ट्रिक्टस कोर्ट स में बावजूद इसके कि जज बहुत अच्छे हैं, उनकी नीयत जल्दी न्याय करने की होती है, वे एरियर्स को साफ नहीं कर पाते, वे बढ़ते जा रहे हैं। इस संबंध में कोई ऐसी योजना बननी चाहिये जिससे कि एरियर्स खत्म हो सकें। सन् २३ की, सन् २६ की, सन् ३६ की, सन् ४८ की सिविल अपीलें अभी तक पड़ी हुई हैं।

यह जो न्याय को सस्ता करने की बात है, सभी इसके लिये कहते हैं, हमने भी इस पर बहुत बार विचार किया है, मगर आप को तो टैक्स चाहिये, और वह आप से कोर्ट फीस लेना चाहते हैं, तो न्याय सस्ता कैसे होगा? एक ओर महंगायी भी बढ़ रही है, वकीलों के सामने भी वह समस्या है, मैं समझता हूं यह भी प्रश्न ऐसा है, जिस पर गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

अंत में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इन सब समस्याओं पर विचार करें और विशेष कर न्यायालयों की इन्टिग्रीटी के संबंध में जो कालिख आप पोतने जा रहे हैं, वह पोतने की कृपा न करें।

श्री हरीश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया। मेरा समय न्याय कार्य में ही बीता है। मैं न्याय को संघर्ष का कार्य समझता हूं और न्याय को ही शान्ति का स्थान समझता हूं और शान्ति से हमारे सुख की समृद्धि और आपस में मेल जोल बढ़ सकता है। आशा है मेरे मुख से जो इस संबंध में टूटे फूटे शब्द निकलेंगे उससे इस सदन को कुछ लाभ होगा।

न्याय संघर्ष कम करता है। यदि न्याय न हो तो आपस में व्यक्तिगत तौर से, सामाजिक तौर से और राष्ट्रीय तौर से संघर्ष होते रहें। न्याय न होने पर ही संघर्ष हुआ करते हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती हैं। इसलिये यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि जैसे अंग्रेजी की मिसाल है कि "जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड"। जल्दी की जाती है इस विषय के साथ। मैं समझता यह हूं कि समय अधिक देना चाहिये था हमारे मित्रों को चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों और ऐसे सुझाव देना चाहिये जिससे हम लाभान्वित हो सकें। एक चीज जिस पर मैं खास तौर से जोर देना चाहता हूं वह यह है कि न्याय का ढांचा जो हमारे काम में लाया जा रहा है वह अंग्रेजों की देन है। ढांचा खराब नहीं है, ढांचा सुन्दर था। लेकिन अब जो समाज बदल रहा है, हम स्वतंत्र भी हुये हैं और आजादी का भोग कर रहे हैं इसलिये उस ढांचे को भी कुछ बदलने की जरूरत थी। उस ढांचे के न बदलने का सबसे बड़ा दुःख यह हो रहा है कि न्याय में देरी हो रही है बहुत ज्यादा। मैं यह समझता हूं कि

[श्री हरीश्चन्द्र सिंह]

हमारे यहां न्याय के दो भाग हैं। मुख्यतः एक तो दीवानी का, जिसमें मैं समझता हूं, रेवेन्यू भी शामिल कर देना चाहिये और दूसरा फौजदारी का, क्रिमिनल। साधारण छोटे-छोटे मुकदमे जो दीवानी में दायर होते हैं और हाई कोर्ट में पहुंचते पहुंचते शायद दायर करने वाले कुछ ही जीवित रहते हैं बाकी मर जाते हैं, इतना समय लगता है। मैंने इस सम्बन्ध में जापान की न्याय पद्धति के बारे में कुछ पढ़ा था। यहां तो एक मुकदमा एक अदालत में खत्म हुआ। साल भर लगा, दो साल, तीन साल और चार २ पांच २ साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर अपील में दुबारा दायर हुआ, वहां भी समय लगा। उसके बाद हाईकोर्ट गया और ज्यादा जाने का मौका हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। बड़ा समय लगता है इस तरह से। जापान में तरीका बड़ा सुन्दर है। नीचे एक अदालत से मुकदमा खत्म हुआ। उन्होंने पार्टी को बुलाकर पूछा कि तुम सन्तुष्ट हो या असन्तुष्ट हो। उन्होंने कहा असन्तुष्ट हैं। तो जज ने कहा, "गो अप" उन्होंने मिसिल उठाई और ऊपर भेज दी। तारीख लगाई और तारीख पर सुना। न कोई छपवाई और न ही कोई विशेष सुनवाई है। उन्होंने तो साधारण तौर पर कह दिया सैटिसफाइड नहीं हैं तो "गो अप" ऊपर जाओ। हमारे यहां तो एक ही मुकदमे के फैसले में वर्षों गुजर जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मुकदमा करने वाले ही मर गये अगर जीत भी गये तो हो गया और हार गये तो मर ग ।

जस्टिस हमारे यहां एक तो बहुत ज्यादा देरी से होता है और दूसरा जस्टिस एक दूकानदारी का सामान बन गया है। कितना खर्च इसमें होता है, इसका अन्दाजा तो मुझे है। मैं कई कैपेसिटी में रहा हूं, लिटिगैन्ट और जज भी रहा हूं और उसको बाहर से भी देखने वाला रहा हूं। मैं देखता रहा हूं कि कितना खर्च होता है। खर्च भी छोड़ दीजिये, यह तो छबन गई है दूकान। किस जजी से एक लाख बचा, दो लाख बचा। यह बचाना किस लिये, यह कोई दूकान है ? इसलिये हमको इस दृष्टि से देखना है कि न्याय सस्ता (जस्टिस चीप) हो जाय। गरीब आदमी जस्टिस नहीं पा सकता एक मालदार आदमी के मुकाबिले में। तो मैं समझता हूं कि देश का प्रशासन गिर गया है और वह जस्टिस नहीं हो सकता। अगर्चे बहुत सी बातें मेरे दिमाग में हैं लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिये मुख्य मुख्य उनमें से कहने की कोशिश करूंगा। एक बात तो यह है कि जिस समय हमारे नेता पंडित जवाहरलाल जी, क्विट इंडिया के बाद जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले तारीफ की सबार्डिनेट जुडिशियरी की और यह कहा कि भारत भर में यू०पी० की सबार्डिनेट जुडिशियरी ने जिस तरह से काम किया है वह सराहनीय है। स्वराज्य मिलने के बाद वह स्थिति इस स्थान पर आ पहुंची है कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री को कहना पड़ा कि इसमें भ्रष्टाचार के लक्षण नजर आ रहे हैं। मैं उनकी बात को गलत क्या कहूं, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं कोई धब्बे जरूर नजर आये हैं। इस बात को मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन अब भी मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यू० पी० की सबार्डिनेट जुडिशियरी इतनी ईमानदार है, इतनी स्वतंत्र है कि शायद इसके मुकाबले में दूसरी जुडिशियरी अभी तक यू० पी० में नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं धब्बे नजर आ रहे हैं, तो उसके कारण को भी देखिये। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जुडिशियरी में कुछ टैक्निकल नालिज की जरूरत पड़ती है, २-३ साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वकालत करनी पड़ती है, तब सर्विस में आ सकते हैं। औरों के मुकाबले में जुडिशल सर्विस में आने में ३, ४ साल ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन नौकरी मिलने के बाद तनख्वाह वही जो एक फ्रैश ग्रैजुएट कालेज से निकलते ही पा जाता है। इस महंगाई के जमाने में सोचना होगा कि इसके एमाल्यूमेंट्स, तनख्वाह को कुछ ऊपर किया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

सेल के बारे में कुछ कहिये।

श्री हरीशचन्द्र सिंह—

मैं यह समझता हूं कि सम टाइम्स प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर । अगर कहीं पर हमारे नेतागण को कोई चीज गलत लगे तो उसके लिये प्राविधान किया गया है । करने में तो कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाय जिससे कोई अन्याय न बढ़ सके, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न मिल सके।

मान्यवर, सैपरेशन आफ जुडिशियरी व एक्जीक्यूटिव बड़ी पुरानी चीज है और हमारे संविधान में भी इसके लिये प्रावीजन है । कुछ कमेटियां भी बनीं। मुझे कमेटियों के मुताल्लिक ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सैपरेशन आफ जुडिशियरी एण्ड एग्जीक्यूटिव में आप कहीं यह न कर दें कि हमारा जो जुडिशल डिपार्टमेंन्ट अलग है, उस डिपार्टमन्ट से जो अभी तक एग्जीक्यूटिव रहा है, उससे सम्मिलित करके ऊपर नीचे कर दें । अगर ऐसा रवैया हो गया तो बड़ा अन्याय होगा और भ्रष्टाचार उसमें घुसेगा और ऐसा न हो कि उसकी जड़ें भी खोखली कर दें । इसलिये सरकार को ध्यान देना चाहिये कि सेपरेशन तो हो लेकिन ऐसा न हो कि मिला दिया जाय जुडिशियरी के साथ, जिससे जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस और उसका नाम भी सत्यानाश हो जाय ।

श्रीमन्, न्याय प्रजातंत्र की आधारशिला है। यदि हम न्याय को ऊंचा नहीं उठावेंगे और न्याय से प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हमारा प्रजातंत्र बिलकुल नाकामयाब हो जायगा। प्रजातंत्र में कहते यह हैं कि हेड्स गिने जाते हैं, हैंड्स नहीं गिने जाते हैं। अगर हैंड्स गिने गये तो यह हो सकता है कि वे हैन्ड्स ऐसे आदमियों के इकट्ठे हो जावें, जो कि अत्याचारी हों, अनाचारी हों, व्यतिक्रमी हों, और दूसरों के अधिकारों पर कब्जा करना चाहते हों, उन की अवहेलना करते हों । यदि प्रजातन्त्र को जीवित रखना है, तो उस के लिए हम को एक इन्डिपेंडेंट और सैटिस्फाइड जुडिशयरी की जरूरत है। अगर हमारी जुडिशरी इन्डिपेंडेंट नहीं है, अगर उसके ऊपर एक्जीक्यूटिव का जोर है, तो प्रजा के हुकूक का संरक्षण नहीं हो सकेगा । उनके अन्दर असन्तोष भी नहीं होना चाहिये । जिस आदमी के अन्दर असन्तोष होगा वह फ्रस्ट्रेटेड हालत में होता है और वह न्याय नहीं कर सकता । इसलिए उनके इमाल्यूमेंट्स (तनख्वाह) की भी थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिये।

हमारे पुराने धर्म-शास्त्र का मुझे पढ़ने का मौका हुआ । मैं ने उसमें यह देखा कि सन्तुष्ट जज ही अच्छा न्याय कर सकता है । सन्तुष्ट होने की मिसाल यहां तक ली गयी कि अगर कचहरी में बैठा हुआ जज बहस सुन रहा है और उस समय उस के माथे पर सिकुड़न हो जाय तो वह जज रहने के योग्य नहीं है । सिकड़न उसी जज के माथे पर नहीं होगी जो शान्त होगा, सन्तुष्ट होगा और जो न्याय में आस्था रखता होगा ।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को और सुन्दर विचार देने की आवश्यकता थी । मैं समझता हूं कि वे नहीं दिये गये और अगर दिये जावें तो यह जुडिशरी न मेरी है, न आप की है । यह पहले वालों की है और आनेवाली पीढ़ियों की भी है । अगर यह अच्छी होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और अगर खराब होगी तो हमारा देश बरबाद होगा ।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय लालू शर्मा जी ने जो प्रश्न सदन के सामने उठाया है, केवल उस के सम्बन्ध में २–४ मिनट का समय मैं लेना चाहता हूं । उन्होंने हाई कोर्ट और अवध कोर्ट के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके सम्बन्ध में केवल ४ मिनट में बोलूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

अधिष्ठाता जी, इस न्याय बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए हमारे एक सहयोगी माननीय शर्मा जी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की कि हाई कोर्ट की अलग अलग बेंच बनने की आवश्यकता है और उस परिक्रिया को उन्होंने विकेन्द्रीयकरण के नाम से पुकारा। उनका कहना यह है कि ऐसा करने से सरकार का खर्चा कम होगा। दूसरे जनता को भी इस से आराम होगा। मान्यवर, यह विषय बहुत पुराना हो चुका है। और कितनी ही बड़ी बड़ी कमेटियों ने इस विषय पर अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त की है और उन में इन दोनों बातों का भी उत्तर दिया जा चुका है। मान्यवर, जितने हाई कोर्ट आप बनाना तय करेंगे, उतनी ही बिल्डिंग्स और उतनी ही लाइब्रेरी आप को बनानी होंगी, क्योंकि बिना उन के अच्छे फैसले की सुविधा नहीं हो सकती। इस में जो खर्चा पड़ेगा वह छुटपुट खर्चों से बहुत ज्यादा होगा। जिस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उस को चार हिस्सों में बांट दिया जाय, उसी प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भारत बहुत बड़ा है सुप्रीम कोर्ट भी मद्रास, आसाम, बंगाल और बाम्बे में सरकिट कोर्ट होना चाहिये। लेकिन ठीक न्याय और सस्ता न्याय देने के नाम पर इस प्रकार का हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का विकेन्द्रीयकरण न्याय को नष्ट करने के समान होगा, ऐसा कमेटियों का निश्चित मत हो चुका है। उससे लिटिगेंट पब्लिक को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि जब कभी किसी को वकील की आवश्यकता होती है तो बड़े से बड़ा वकील करने का वह प्रयत्न करता है। अब अगर इलाहाबाद में कोई वकील २२० रुपया लेता है तो बाहर जाने से वही ५५० रुपया लेता है। अतः वह लिटिगेंट पब्लिक के हित में भी यह तरीका न होगा। इलाहाबाद के साथ अंग्रेजों ने भी बड़ा अन्याय किया। स्वराज्य मूवमेंट का वह एक केन्द्र रहा और राजधानी वहां से हटा दी गयी। मैं इलाहाबाद के पक्ष की बात नहीं कहता हूं लेकिन मेरा यह स्पष्ट मत है कि हाई कोर्ट का विकेन्द्रीयकरण न किया जाय बल्कि शनैः शनैः जैसा कि गवर्नमेंट का आश्वासन है अवध कोर्ट भी यहां से वाइन्ड अप कर दिया जाय।

एक बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सेल के सम्बन्ध में कही। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मुझे आपत्ति है वह यह है कि यद्यपि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि सेल में काम करने वाले हाई कोर्ट के मातहत होंगे लेकिन ये आफिसर चुने जायेंगे एक्जीक्यूटिव से ही, जो वहीं पर काम पूरा करने पर वापिस भी आयेंगे, और लौट आकर अपने महकमे में फिर पुलिस कप्तान और डी० आई० जी० होंगे। इस से न्यायपालिका उनसे बराबर डरती रहेगी। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिये कि अगर सेल बनें तो उसका रिक्रूटमेंट कौन करे, देखरेख कौन करे, उस को ट्रेनिंग कौन दे। मेरा ख्याल है कि उनको हमेशा के लिए डेप्युटेशन पर भेज देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो महान अनर्थ होगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह न्याय के साथ अन्याय होगा, यह न केवल इलाहाबाद के साथ अन्याय होगा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा और हमेशा के लिए इस के लिए सरकार दोषी मानी जायगी। मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय न्याय मन्त्री जी श्री लालू शर्मा की बात में फंसकर न्याय का गला नहीं घोटेंगे।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

(श्री अब्दुल मुईज खाँ का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री बलवीर सिंह—

अभी जो विचार माननीय बहुगुणा जी ने व्यक्त किये हैं, उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल उठाया गया और समय समाप्त होने के बाद भी बहुगुणा जी को समय दिया गया और उन्होंने इस तरह की दलील सदन के सामने रखी कि इलाहाबाब हाई कोर्ट की बेंच किसी हालत में भी पच्छिमी जिलों में न ले जायी जाय। इस अवसर पर मेरी आप से प्रार्थना है कि इस पर बहस के लिए अभी समय

बढ़ाया जाय और अगर वह नहीं बढ़ाया जाता है तो पश्चिमी जिले के लोगों के साथ जबरदस्त अन्याय होगा और अगर समय नहीं बढ़ाया जा रहा है तो कम से कम आप मुझे तो वाद-विवाद में. . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण न दें, मैं ने आप की बात सुन ली, आप बैठ जायं, आप जानते हैं कि इस अनुदान के लिए ढाई बजे तक का समय है, इसलिए मैं ने श्री अब्दुल मुईज खां को उत्तर के लिए बुलाया है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर कटमोशन दिया है और बहुत इम्पार्टेंट बातें मुझे सदन के सम्मुख रखना है, बहुत जरूरी बातें कहनी हैं । इसलिए हमें जरूर समय दिया जाय ।

श्री बलवीर सिंह—

क्योंकि बहुगुणा जी को समय समाप्त होने के बाद और कटौती के प्रस्तावक के खड़े हो जाने के बाद भी बहुगुणा जी को समय दिया गया है तो हमें भी मौका दिया जाय. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें] । मैं आपका संशय दूर करने का प्रयास करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री बलवीर सिंह—

मुझे डेढ़ मास से आज तक मौका नहीं दिया गया है । इस विषय पर मुझे जरूरी बातें कहनी हैं, यह पश्चिम के जिलों के साथ बड़ा अन्याय है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । रावत जी, आप भी बैठें । इसके पहले माननीय अध्यक्ष यहां विराजमान थे और उन्होंने माननीय बहुगुणा जी को समय दिया था, वह उन्होंने किन परिस्थितियों में दिया था यह मैं नहीं बता सकता, उस समय मैं यहां नहीं था । बाकी यह ग्रान्ट ढाई बजे तक समाप्त होनी है और यह ढाई बजे तक का समय इस अनुदान के लिए नेता सदन, नेता विरोधी दल और सदन की स्वीकृति से निश्चित हुआ है । जहां तक आप को समय देने की बात है, मैं आप को आश्वासन देता हूं कि जब भी आप खड़े होंगे, आप को समय देने का प्रयास किया जायगा ।

श्री अब्दुल मुईज खाँ—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बहस इस ग्रान्ट के सम्बन्ध में हुई और जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां रखीं, मैं ने उन को गौर से सुना । और इससे मैं अपने विश्वास में और पक्का हुआ कि यह बजट जो पेश है इस की प्रशंसा, इस की तारीफ में एक शब्द भी किसी माननीय सदस्य का ऐसा नहीं आया कि जिस में यह कहा गया हो कि यह प्रापर बजट है, उचित बजट है या एक माकूल बजट है । यहां सेपरेशन और एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की बात कही गयी हालांकि यह बजट के बाहर की चीज है क्योंकि बजट में कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो उस तरफ संकेत करता हो । इस बजट में जो प्राविजन किये गये हैं वह एकदम निकम्मे हैं और उन से इस सरकार की नीयत का पता चलता है कि उस के पास कोई स्कीम ऐडमिनिस्ट्रेशिन आफ जस्टिस के सम्बन्ध में नहीं है । माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों के सुझाव दिये हैं । उसी प्रकार से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । यहां पर प्रिजाइडिंग आफिसर्स के अन्दर करप्शन दूर करने की बात कही गयी, कोर्टस् के दफ्तरों के अन्दर करप्शन दूर करने की बात की गयी,

[श्री अब्दुल मुईज खां]

मुकदमों के फैसलों में देर होने की बात कही गयी। मुकदमों में दाखिल होने में जो देर हुआ करती है, जो पुराने मुकदमे हैं, उन के फैसले करने की बात कही गयी, इसी तरह से हाई कोर्ट्स के जजेज की नियुक्ति की बात कही गयी है। यही नहीं और भी बहुत सी बातें कही गयी हैं। न्याय प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उस के लिए समय चाहिए। इस वक्त में केवल २ बातें और कहना चाहता हूं। एक तो हाई कोर्ट के जजेज के एप्वाइन्टमेंट के बारे में है। इस के बारे में हमारे ला कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि:

"We take the view that it should be the convention that if the Chief Justice of a State makes a request for the appointment of additional judges and if the need for such additional judges is accepted by the Chief Justice of India, the Chief Justice's request should be acceded to."

इस में कहा गया है कि अगर किसी भी चीफ जस्टिस की यह मांग हो कि अतिरिक्त जजेज की नियुक्ति की जाय और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस से सहमत हों तो उस प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं इस सिलसिले में यह गुजारिश करूंगा कि जहां तक जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के करप्शन का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में इस ओर कुछ काम हुआ है। इस के अलावा मद्रास, और बम्बई प्रदेशों में भी ये दोनों विभाग अलग अलग हुये हैं, उन के कानून बने हुये हैं, उनकी कार्यवाही हो रही है, उनका पता लगाने पर, जो उन के अन्दर त्रुटियां हैं, खराबियां हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिये और तब बड़ी आसानी से हम अपना मत कायम कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा करने में क्यों पीछे रहें। हमारे प्रदेश के न्याय प्रशासन में जो बुराइयां हैं, उन का सब से बड़ा कारण गलत किस्म का सुपरवीजन है। यहां पर यह बात कही जाती है कि अगर एक्जीक्यूटिव अथारिटी का सुपरवीजन हट जायगा तो हमारे जुडिशियल आफिसर्स और मैजिस्ट्रेटों में इनएफिशियेंसी बहुत बढ़ेगी। हमारी दीवानी अदालतों में जो मुन्सिफ हैं और सिविल जजेज काम करते हैं, उन की एफिशियेंसी कोई कम नहीं है। तो इसी तरह से जो मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल आफिसर्स डिस्ट्रिक्ट जज के मतहत कर दिये जायेंगे, उन में कहां से खराबी, कहां से इनएफिशियेंसी आजायगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जहां तक इस का सवाल है मैंने अपनी पहली स्पीच में भी कहा था कि भारत के संविधान की धारा २३७ के अधीन राज्यपाल महोदय, एक नोटिफिकेशन के जरिये मौजूदा मजिस्ट्रेसी और जुडिशियल आफिसर्स या दूसरे मैजिस्ट्रेटों को जुडिशियल सर्विस के अधीन, इस श्रेणी में ला सकते हैं। सरकार यह भी कर सकती है कि ५ साल से अधिक प्रैक्टिस रखने वाले वकील और जो मौजूदा जुडिशियल आफिसर्स हैं उन सब को एक कम्पिटीशन का मौका दिया जाय और उन में से चुनाव कर के जो इस लायक समझे जायं उन को जुडिशियरी में लिया जाय और उन को डिस्ट्रिक्ट जज के मतहत किया जाय। बकिया जुडिशियल आफिसर्स जो पास नहीं होते उन को कलेक्टरेट में ही रख कर रेवेन्यू के छोटे छोटे केसेज उन से कराये जा सकते हैं। जहां तक इस का सवाल है कहा जा सकता है कि सेपरेशन से बाकी मैजिस्ट्रेट्स के काम में बाधा पड़ेगी तो मेरा कहना है कि अगर उन के पास से मुकदमात हट जायेंगे फौजदारी के और माल के जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के तहत हैं तो उन का काम हल्का होगा, ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। खाली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो इन्तजामिया दफात हैं उन के मुकदमात उन के पास रहेंगे। और जहां तक मौजूदा स्थिति का सवाल है मैं भी सहमत हूं कि उन को रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ में पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री श्याम लाल यादव—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बड़ी गम्भीरता से न्याय विभाग के बजट पर अपने विचार रखे। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये उनके प्रति हम पूरी जिम्मेदारी से विचार करेंगे और देखेंगे कि हम कहां तक उन को कार्यान्वित कर सकते हैं। चन्द बातें कही गयीं, उस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता था। समय बहुत थोड़ा है, इस लिए संकेत मात्र कहने का ही अवसर मिल सकेगा।

सर्वप्रथम एक प्रश्न यह उठाया गया कि हाई कोर्ट जजेज में जो नियुक्ति की जाती है वह पोलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, माननीय शर्मा जी और तिवारी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं कि उन की दृष्टि में जो वैधानिक स्थान है संविधान में वह ओझल रही। संविधान के आर्टिकिल ७४ के खंड (१) में राष्ट्रपति जो यूनियन कैबिनेट है उस के मश्विरे पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति स्वयं स्वविवेक से कोई कार्य इस संविधान के अन्तर्गत नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का प्रत्येक कार्य उस की मंत्रि परिषद् के मश्विरे पर आधारित है। इस लिए इस संविधान के अन्तर्गत जिस जज की नियुक्ति होगी वह केन्द्रीय कैबिनेट के मश्विरे पर राष्ट्रपति करेंगे। दूसरी स्थिति गवर्नर महोदय की है, वे इस संविधान में केवल दो हालतों में स्वविवेक से काम कर सकते हैं। अन्यथा वह मंत्रिमण्डल के मश्विरे पर काम करते हैं। वे दो स्वविवेक कहां पर हैं इस का वर्णन अनुच्छेद १६३(१) में है। जब गवर्नर नागा लैन्ड के सम्बन्ध में शैडयूल में दिये हुये कोई कार्य करते हैं या किसी अपनी सीमा से लगी हुई टेरिटरी के ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये जायं। इन दो परिस्थितियों में गवर्नर महोदय स्वविवेक से काम कर सकते हैं। अन्यथा जैसा १६३(१) में है गवर्नर मन्त्रि मण्डल की राय पर काम करता है। जब कि राष्ट्रपति का प्रत्येक निर्णय यूनियन कैबिनेट के मश्विरे पर आधारित है। इस लिए इस में राजनीति का प्रश्न नहीं उठता। बल्कि जो अधिकार उन को संविधान में है उस का परिपालन करते हैं। सामान्यत: ऐसे अवसर नहीं आये होंगे जब कभी नियुक्तियां इन ऊंचे पदों पर किसी और दृष्टि से की गयी हों अलावा उन की योग्यता, निष्पक्षता को देखते हुये।

हाई कोर्ट में जहां तक सैल का सम्बन्ध है, माननीय आचार्य जी बार-बार अवश्य कहते हैं कि वह किसी भावावेश में नहीं बोलते। मेरी ऐसी धारणा होती है कि वे तथ्यों को, इतने चतुर वकील अवश्य हैं कि भावावेश में, यह जामा पहनाने की कोशिश करते हैं कि जो असलियत है वह छिप जाय। जो कालिमा इस प्रश्न में पैदा हुई है न्यायापालिका की जो स्थिति है उस की चर्चा हम करें, उसे स्वीकार न करें तो कोई कालिमा धुल नहीं जायगी। जो तथ्य है उसे स्वीकार करना चाहिये। न्यायपालिका के लोग ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे काम भी होते हैं, जिन के लिए जनता का विश्वास है कि वे काम ठीक नहीं हैं, अगर उन कामों की जांच के लिए हाई कोर्ट के मातहत कोई अधिकारी नियुक्त कर दिये जायं, कोई संगठन बना दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने लगेगी। जो सेल बनेगा वह पूर्णतया न्यायपालिका के नियंत्रण में रहेगा, उसके द्वारा ही संचालित होगा और उसमें अन्तिम निर्णय करने का अधिकार भी न्यायपालिका को ही होगा। इस प्रकार हम हाई कोर्ट को एक साधन दे रहे हैं कि वह नीचे के लोगों पर नियंत्रण रख सकें। आज भी अगर कोई जरूरत हो तो इस काम को दूसरे व्यक्तियों के सुपुर्द किया जायगा। इस में यह हो सकता है कि किसी तरह से हस्तक्षेप हो, लेकिन इस सेल के जरिये से उस कमी को भी दूर करने की कोशिश की गयी है। इस से न्यायपालिका पर जो कालिमा है वह धुल जायगी और जनता को विश्वास होगा कि उसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ इन्साफ मिल रहा है। जब तक यह विश्वास जनता में पैदा नहीं होता है तब तक किसी बात का कहना अथवा न कहना कोई मानी नहीं रखता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल यादव]

हिन्दी के सम्बन्ध में आचार्य जी ने कहा कि कोई स्पष्ट फायदा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि वह भी वकील हैं और उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ है न्याय विभाग को देखने का। इसमें जितने काम किये हैं हिन्दी के प्रवेश के लिए उन्हें तीव्रतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो उसकी भाषा होगी वह नियंत्रित होती है, केन्द्रीय सरकार की भाषा नीति के अनुसार, हमारे अधिकार उस में लिमिटेड हैं। लेकिन नीचे की अदालतों में हम चेष्टा कर रियों पर पड़ेगा और हिन्दी का प्रवेश जहां नहीं है खास तौर से निर्णय देने में वहां भी इसका प्रवेश होगा। हिन्दी में जो हमारे यहां पुराने नियम थे उन के अनुवाद का काम दिया गया था। हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि इस काम को अधिक तेजी से और अधिक आदमी रख कर करायें ताकि हिन्दी में कानून और नियमावली प्राप्त हो सके।

हाई कोर्ट की बेंच के सम्बन्ध में बातें कही गयीं जो परस्पर विरोधी थीं। यह कोई नयी बहस नहीं थी। वस्तुस्थिति यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में स्थित है और जो कानून इस सम्बन्ध में बना था उस के मुताबिक काम हो रहा है और उसे रद्द करने का कोई इरादा हमारा नहीं है और न उस के अधिकार क्षेत्र को कम करने का कोई इरादा है। लेकिन प्रदेश में कोई और बेंच खोली जाय, फिलहाल ऐसा भी हमारा कोई इरादा नहीं है। उस के कई कारण हैं। साधनों की कमी हो सकती है, उस की उपयोगिता की बात भी हो सकती है। बहरहाल कोई विचार इस सम्बन्ध में अभी नहीं हो रहा है।

न्यायपालिका को कार्यकारिणी से अलग करने के सम्बन्ध में जो भावनायें प्रकट की गयीं मैं समझता हूं कि वे माननीय सदस्यों की आशंका मात्र हैं। जहां तक इस के सेपरेशन का सम्बन्ध है, उस की जानकारी का सवाल है इस में कोई दो मत नहीं हैं। मेरा निश्चित मत है कि वह होना चाहिये लेकिन उस में कुछ कठिनाइयां हैं। माननीय सदस्यों ने कहा—क्या कठिनाइयां हैं? मैं समझता हूं कि हर वकील इस बात को जानता होगा कि किन-किन बातों को हमें इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी होगी। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उन की क्या हैसियत होगी? उनका मर्जर हो या अलग से केडर स्थापित हो? उनके एमाल्युमेंट्स क ा रखे जायेंगे, किस प्रका र के केसेज उनको दिये जायंगे, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो मैजिस्टीरियल पावर्स हैं उनको उपयोग कभी-कभी करना पड़ता है, जो प्रिवेन्टिव सेक्शन्स हैं उनके इस्तेमाल का सवाल है, इन सब की क्या व्यवस्था की जाय, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिन पर पहले विचार करना नितान्त आवश्यक है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं समझता हूं कि उस बात से कोई भी और माननीय सदस्य सहमत नहीं होगा कि हम कार्यपालिका और न्यायपालिका को पहले अलग कर दें और जो कठिनाइयां हों उनको बाद में दूर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि कोई कार्य एक संदिग्ध वातावरण में नहीं होना चाहिये। इन्हीं सब बातों को तय करने के लिये हमने समिति बनायी है। हमने उसके ऊपर यह भार नहीं डाला है कि अलग करें या न करें बल्कि उसे किस प्रकार कार्यान्वित करें इसी बारे में उसे विचार करना है। उसमें प्रशासन के लोग भी हैं, न्यायपालिका के लोग भी हैं, वकील भी हैं। जितने जुडिशल आफिसर्स हैं, चाहे वे एग्जीक्यूटिव के हों, चाहे सिविल के हों उनकी राय को भी उसने सुना और बार की बात भी सुनने जा रही है। फिर वह जो कुछ सिफारिश करेगी उस पर विचार करने के बाद ही सदन कोई कार्यवाही करेगा। उसकी राय कोई अन्तिम नहीं है।

इसके अतिरिक्त जो दो एक और बातें कही गईं, हमारे जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि सरकार की कोई नीति नहीं है, तो नीति हमारी यही है कि हमारे न्याय का कार्य निष्पक्ष हो और जल्दी भी हो लेकिन जनता को यह विश्वास भी हो कि ईमानदारी के साथ न्याय किया जा रहा है। इस बात की हम चेष्टा करते हैं और हमें विश्वास है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से हमें इस काम में सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ म अनुरोध करूंगा कि इस बजट के अनुदान को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय न्याय मंत्री के भाषण के उपरान्त प्रस्तुत अनुदान पर विवाद समाप्त हो गया। अब मैं माननीय सदन के समक्ष कटौती का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५५,३१,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

*न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,७६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सूचना विभाग से संबंधित जो ग्रांट है, उसमें साल भर में ५१,००,३०० रुपये का प्राविधान है। इसमें से जितना रुपया लेखानुदान द्वारा स्वीकृत हो चुका था वह निकाल कर इस समय सदन के सामने ३१,७६,८०० रुपये का अनुदान प्रस्तुत किया गया है। सूचना विभाग का जो महत्व है उसके संबंध में बहुत कहने की जरूरत नहीं है और जैसा कि सदन के सम्मुख समय बहुत कम है, मैं ज्यादा बातें कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन कुछ बातें कहना आवश्यक भी हैं जिससे माननीय सदस्यों को अपनी राय प्रगट करने में, आसानी हो सके। जैसा कि शासन ने निर्णय लिया है कि इस विभाग में कुछ कमी की जाय, कुछ पदों को समाप्त किया जाय जिससे खर्चे में कमी हो और इसकी उपयोगिता बढ़ सके। यह बात अपनी जगह पर है। इसमें जो पद हैं उसमें केवल यानी सूचना निदेशालय में एक राजपत्रित और २१ अराजपत्रित पदों को समाप्त करने की बात की गई है और जिलों में कुल मिला कर ५४ राजपत्रित और ३७४ अराजपत्रित पद हैं जिनके समाप्त करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिलों में परिवार नियोजन संगठन के अन्तर्गत कुछ पदों का जिला सूचना अधिकारी के वेतनक्रम में सृजन किया गया है। जहां तक सम्भव होगा जिला सूचना अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जायेगा और उनके वर्तमान वेतन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सूचना निदेशालय के पुनर्गठन के संबंध में एक योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है जो शासन के विचाराधीन है। सुचना विभाग के प्रचार कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिये आवश्यकता है कि निदेशालय में अच्छे पदों पर सुयोग्य और कार्यकुशल अधिकारी हों। इस से विभाग की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी और सुयोग्य अधिकारियों को पदोन्नति का भी अवसर मिलेगा। यह भी निर्णय लिया है कि सामूहिक श्रवण योजना को समाप्त किया जाय। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल यादव]

जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना में भारत सरकार का सहयोग रहता है। इसलिये उसकी अनुमति के बिना कार्यवाही नहीं हो सकती है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसकी अनुमति दी जाय। जब तक अनुमति नहीं आती है तब तक यह स्कीम चलती रहेगी। वैसे गांवों में, शहरों में रेडियो और ट्रांजिस्टरों का जो प्रचार हुआ है उससे यह योजना ज्यादा सफल नहीं प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग में हिन्दी समिति का कार्य होता है। इसके द्वारा चेष्टा की जाती है कि डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये आवश्यक पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था की जाय। यह बहुत अच्छा काम है। इसकी पुस्तकों की बिक्री के लिये विशेष व्यवस्था की जरूरत है क्योंकि पिछले समय में काफी बिक्री नहीं हो सकी और पुस्तकें पड़ी रह गईं। इसलिये हमने उनकी बिक्री पर कमीशन देने का सोचा है। इस सम्बन्ध में इस बजट में काफी रुपया रखा गया है। विज्ञापन के लिये ५० हजार रुपया रखा जाता है जिसमें से ४६ हजार हिन्दी अखबार वालों के लिये और चार हजार रुपया उर्दू अखबार वालों को दिया जाता है। अन्य विभागों के विज्ञापनों के जो नियम हैं, उनके अन्तर्गत उनको सलाह दी जाती है कि लोग अपना विज्ञापन दें।

एक और हमारी यूनिट है, उसके अन्तर्गत बहुत-सी फिल्में बनाई जा रही हैं और चेष्टा की जाती है कि जो फिल्म्स बनाने का काम इस विभाग के अन्तर्गत होता है, इसमें इस प्रकार की फिल्में बनाने की चेष्टा की जा रही हैं, जैसे पैदावार से सम्बन्धित, योजनाओं से सम्बन्धित, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से सम्बन्धित, उत्तर प्रदेश के वन सम्पत्ति से सम्बन्धित। इस प्रकार की फिल्में बनायी जाती हैं। इनको सिनेमाघरों में दिखाया जाता है और जो जिलों में फिल्म यूनिट्स हैं उनको दी जाती हैं ताकि गांवों में यह फिल्में दिखायी जा सकें। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग अपनी बातें समझ सकें क्योंकि इन फिल्मों का प्रभाव लिखने से अधिक तेजी से होता है। मान्यवर, माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे तो दोबारा मैं अपने विचार रखूंगा। मैं समझता हूं कि इस विभाग को और अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए इसके कामों को प्रभावशाली बनाने के लिए यह कदम उठाये गये हैं। जो यह भ्रम फैलाया गया है कि हम विभाग के कर्मचारियों की बहुत बड़े पैमाने पर छटनी कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को काम देने की व्यवस्था हमने दूसरे स्थानों पर कर ली है।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है—सम्पूर्ण अनुदान संख्या–२८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–सूचना विभाग के अधिकारियों के पद हटाना एवं उनके स्थान पर उनके कार्यों का विकल्प न उपस्थित करने की आलोचना।

मान्यवर, माननीय सूचना मंत्री ने अनुदान पेश करते वक्त बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, यद्यपि उस पर अधिक न कहा, उन्होंने एक पुस्तक छापी है– उसका मैं पहला पैराग्राफ पढ़े देता हूं—"लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथों में रहती है। शासन के सभी कार्यों का संचालन जनता के प्रतिनिधि जनता के हित के लिए करते हैं। जन-प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाने की इस व्यवस्था में सूचना विभाग का विशेष महत्व है। जनता और प्रशासन के बीच यह विभाग एक कड़ी की तरह काम करता है। जनता को सरकार के नये कार्यक्रमों की जानकारी देना, उसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की दिशा में होने वाले प्रयत्नों से परिचित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*कटौती के अन्य प्रस्तावों के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०४ पर।

रखना और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना तथा सरकार को जनता की राय से अवगत रखना, सूचना विभाग के प्रमुख कार्य हैं। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि हमारे देश और प्रदेश में काफी अनपढ़ लोग हैं। तीन योजनाओं के बाद भी प्रदेश की लिटरेसी २१-२२ परसेंट से आगे नहीं बढ़ी है। इन योजनाओं के जरिए इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। हमारे यहां योजनाएं बनती हैं, कानून बनते हैं। यदि हमें लोगों के प्लानिंग के प्रति, योजनाओं के प्रति जाग्रति पैदा करना है तो इस विभाग का महत्व और भी बढ़ जाता है।

मुझे दुख है कि इस सरकार की कुल्हाड़ी सब से तेज इस विभाग पर पड़ी। बचत के नाम पर जो राजनैतिक गुस्सा है, जो राजनैतिक बदले की भावना है, जो राजनीतिक द्वेष है, उसको उन्होंने इस विभाग पर प्रकट करने की कोशिश की है। सब से बड़ा घोटाला इस विभाग में किया है। जो आपने मेमोरेंडम पेश किया है इसके अन्दर तीन-चार बातें कही हैं। अब संगीत और नाटक कार्यकलाप तथा हिन्दी पत्रिका 'त्रिपथगा' का प्रकाशन बन्द करने का निश्चय किया गया है। मितव्ययिता स्वरूप जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों का पद तोड़ देने का निश्चय किया गया है। 'क्षेत्र विस्थापन' और सामुदायिक श्रवण योजनाएं बन्द कर दी गयी हैं। हिन्दी की जो किताबें हैं, उनमें ७५ हजार रुपये की कमी की गयी है। यह कुछ नमूने हैं इनकी बचत के। मैं अदब के साथ यह पेश करना चाहता हूं। और जहां तक जिला अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनका क्या काम है, यह इसी पुस्तिका में पेज ५ पर लिखा हुआ है—"सूचना अधिकारी गांवों में दौरा करते हैं तथा रेडियो, देहाती रेडियो गोष्ठी, साहित्य वितरण, चलचित्र प्रदर्शन तथा अन्य साधनों द्वारा जनता को विकास कार्यक्रमों से अवगत रखते हैं। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र प्रचार इकाइयों ने परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बचत, खरीफ एवं रबी जायद फसल अभियान तथा सूखे के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थाओं का गांव-गांव में प्रचार किया। सूचना अधिकारियों ने आलोच्य वर्ष में ८,४८९ फिल्म प्रदर्शन और लगभग १,७०० सार्वजनिक भाषण आयोजित किये।" तो मान्यवर, यह इनका काम है। सूचना मंत्री जी ने कहा कि हम इन पदों को तोड़ कर फेमिली प्लानिंग के अन्तर्गत एक प्रचार अधिकारी के पद का सृजन करने जा रहे हैं। मान्यवर, हिस्ट्री में एक बादशाह हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, वह अपनी कुछ विशेषताओं के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से सिकन्दराबाद और पुनः सिकन्दराबाद से दिल्ली को बदली थी और उसने जिस तरीके से इसे किया था और उसका जो नतीजा हुआ है वह सभी को मालूम है, तो उसी तरह से हमारे सूचना मंत्री जी भी करने जा रहे हैं जो सूचना अधिकारियों को सूचना विभाग से खत्म करके उन्हें फेमिली प्लानिंग विभाग में नियुक्त कर उनसे वैसा ही काम लेने जा रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई, यदि मंत्री जी यह कहते कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है या वे इतने निकम्मे हैं कि उनको रखना ठीक नहीं है, तब तो उनको हटाने की बात समझ में आती। किन्तु मंत्री जी उनके काम की उपयोगिता भी स्वीकार करते हैं और उनको अन्य विभाग में नियुक्त कर उनसे वही काम भी लेने जा रहे हैं और उनको पे भी ज्यादा देंगे। जब वे इस पोस्ट पर भी रह कर फेमिली प्लानिंग का काम करते हैं तो उनके पदों को तोड़ने की क्या जरूरत है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मान्यवर, जो हमारे मंत्रीगण हैं इस वक्त, उनमें से कुछ कांग्रेसी हैं और कुछ गैर कांग्रेसी भी हैं। गैर कांग्रेसियों की तो इस बारे की बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पहले से शिकायतें रही हैं कि सूचना विभाग कांग्रेस का प्रचार करता है, इसलिये यह विभाग खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज कल जो सूचना मंत्री जी हैं वह पुराने कांग्रेसी रहे हैं और पिछले पांच साल इस सदन में भी रहे हैं, अब यह बात दूसरी है कि इस समय इन्हें मंत्रिमंडल में भी स्थान प्राप्त है, उनके द्वारा ऐसी नीति समझ में नहीं आती है। यह जो कहा जाता है कि राजनैतिक बदले की भावना से यह बात की गई है, यह इस बात से ठीक प्रतीत होता है जब श्याम लाल जी जानते हैं कि जिला सूचना अधिकारियों की पद पोलिटिकल नहीं है। शुरू-शुरू में कैसे लोग अप्वाइन्ट किये गये, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु मान्यवर, यह कहना चाहता

[श्री नवल किशोर]

हूं कि पंडित पन्त ने सन् ४६ में इसकी शुरुआत की थी उस समय सूचना अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी और सन् ६४ में इन लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना पड़ा था। इन पोस्टों का उस समय पेपर्स में विधिवत विज्ञापन हुआ था और बहुत से लोग इस परीक्षा में शामिल हुये थे, सभी को अपनी योग्यता दिखाने क पूरा अवसर प्राप्त हुआ था। तो आज वे परमानेन्ट पोस्ट पर हैं। न्याय मंत्री जी कह सकते हैं, क्योंकि सूचना और न्याय दोनों उनके पास हैं, कि कानूनन यह अधिकार हमारे पास है लेकिन कानूनी अधिकार सब प्रयोग नहीं किये जाते। कानूनों से ऊपर भी कोई चीज हुआ करती है। उनकी जो सेक्योरिटी आफ सर्विस थी—उनकी इस भावना को आपने बहुत बड़ा नुकसान इस तरह से पहुंचाया है। आपने उनकी सेन्स आफ सेक्योरिटी को अस्त-व्यस्त कर दिया है और इस तरह से सारे कर्मचारियों के माइन्ड को डिस्टर्ब करके रख दिया है।

मान्यवर, यही नहीं, इन्होंने इसके अलावा ९ मई को इलाहाबाद में एक भाषण दिया था, जोकि अगले दिन १० तारीख को 'लीडर' पेपर में प्रकाशित हुआ था। उसका कुछ अंश मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़कर सुनाना चाहता हूं—देयर वेयर ए लाट आफ पब्लिक कम्प्लेंट्स एबाउट दी फंक्शनिंग आफ ब्लाक्स एण्ड सम अदर डिपार्टमेंट्स, बट देयर वाज नो सच कम्प्लेंट्स अगेन्सट दी डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसर्स एण्ड देयर आफिसेज" तो मान्यवर, मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि कोई शिकयत इन अफसरों के बारे में नहीं थी और यह भी मानते हैं कि इनका महत्व भी है, उपयोगिता भी है, तो फिर इनको खत्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता सिवाय राजनीतिक बदले की भावना के।

मान्यवर, सन् ५१ में भी जब इस विभाग का बजट इस सदन में पेश हुआ था, उस समय चौधरी चरण सिंह जी सूचना मंत्री थे और उस बहस के दौरान यादवेन्द्रदत्त, राजा जौनपुर ने यह मांग की थी कि इस विभाग को खत्म कर देना चाहिये—यह केवल कांग्रेस का प्रचार करता है।" उस समय उन्होंने कहा था "आज दुनिया भर में हर प्रकार की गवर्नमेंट सूचना विभाग को रखना जरूरी समझती है। चाहे वे किसी भी किस्म की एकतंत्रवादी, फासिस्ट, कम्युनिस्ट, डिमोक्रेटिक कोई भी गवर्नमेंट हो, वे सब इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट विभाग को रखना जरूरी समझते हैं। ब्रिटिश इन्फार्मेशन सर्विसेज, यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विसेज या सोवियत इन्फार्मेशन सर्विस जितना अपने यहां खर्च करती है, अपनी आमदनी का जितना प्रतिशत वहां खर्च करती है, उसके मुकाबले में हमारी गवर्नमेंट अपनी आमदनी का बहुत कम प्रतिशत खर्च करती है। अगर मेरी स्मृति ठीक है तो इस विभाग का कुल बजट १३ लाख रुपये का है। ५२ करोड़ या ६२ करोड़ में से १३ लाख रुपया खर्च करना बेजा नहीं कहा जा सकता। यही नहीं कि बेजा ही न कहा जा सकता हो बल्कि कोई निष्पक्ष आदमी इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट पर अपने यहां बहुत कम खर्च हो रहा है। इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट रखने की जरूरत है और उसे रखना चाहिये। इस बाबत कोई बहस की जरूरत नहीं है और जब डिपार्टमेंट हमें रखना है तो सूचना मालूमात जनता तक पहुंचने के लिये साधन होने चाहिये।"

मान्यवर, उसके बाद उन्होंने आगे कहा—"उसका प्रचार किया जाय और उस जबानी प्रचार की हमारे मुल्क में बहुत बड़ी जरूरत है। इस जबानी प्रचार के लिये ही जिला सूचना अधिकारियों को रखा गया है।" इसके आगे उन्होंने फिर कहा—"इस बजट में और पिछले सालों के बजट में बराबर कई सालों से यह भवन जिला सूचना अधिकारियों की सर्विस को जारी रखने के लिये अनुदान मंजूर करता रहा है।" कहा यह गया है कि वे कांग्रेस का प्रचार करते हैं उसके लिये चौधरी साहब कहते हैं "अब सिर्फ सवाल यह है कि यह कांग्रेस प्रोपेगैन्डा में इस्तेमाल होती है। यह गवर्नमेंट के प्रोपेगैन्डा में इस्तेमाल होती है और होगी और उसका असर कांग्रेस के ऊपर भी पड़ता है। सिर्फ सवाल यह है कि मेरे लायक दोस्त इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की मुखालिफत कर रहे थे यह उनका यकीनन भ्रम है और जानबूझ कर दूसरों को भी वे भ्रम में डालना

चाहते हैं, जब गवर्नमेंट जो कुछ करती है उसी का प्रचार करने के लिये सूचना विभाग मुकर्रर किया गया है। अगर इससे कोई यह नतीजा निकाल ले कि उसके जरिये से कांग्रेस का प्रचार होता है तो हमारी मजबूरी है और हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी जमींदारी एबालिशन की एक योजना है और उसका प्रचार करना एक गवर्नमेंट की स्कीम का प्रचार करना है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी जिसकी यह गवर्नमेंट है वह जमींदारी अबालिशन की स्कीम से कमिटेड है और वह भी प्रचार उसी तरह का करती है। लेकिन इसका नतीजा अगर आप यह निकालें कि कांग्रेस का प्रचार होता है तो जैसा कि मैंने कहा इसका इलाज कोई नहीं है। जहां तक यह बात है कि हमारी गाड़ियां पार्टी के इलेक्शन के काम आती हैं यह बात मेरे नोटिस में तो अभी तक नहीं आयी है और न मुझसे किसी ने ऐसी शिकायत की है।" मान्यवर, मैंने यह इसलिये कि चौधरी साहब के ब्यूज हमारी सपोर्ट में थे कि डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसर की पोस्ट कायम रखनी चाहिये, इसकी उपयोगिता है, इसलिये मैं श्यामलाल जी से कहूंगा कि आप नाक को घुमा कर पकड़ने की कोशिश मत कीजिये। जो विभाग चल रहा है उसकी ऐफीशियेंसी बढ़ाने के लिये कोई स्कीम लाना चाहें तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यह कहूंगा कि इनको हटा कर दूसरी जगह रख दिया जाय इससे मैं यह समझा कि आपके दिमाग में नाराजगी होगी या उनके दिमाग में नाराजगी होगी जिनके आप आज जेलखाने में हैं। हां, इन लोगों का एक अपराध है कि इन्होंने हड़ताल नहीं की। जब एस० वी० डी० की सरकार बनी तो ७ अप्रैल को जी० पी० ओ० पार्क में हमारी सरकार के नेताओं ने मिस्टर शुक्ल के लिये हीरो, लीजेंडरी फिगर आदि शब्द कहे लेकिन आज उन्हीं शुक्ल के साथ क्या बर्ताव किया गया। जिन्होंने हड़ताल नहीं की उनको जब ये गद्दी पर बैठे तो नौकरी से निकाल दिया और जिन्होंने हड़ताल की उनको जेलखाने में भेज दिया। मुझे एक शेर याद आता है:—

"जब तक मतलब रहा कैसी खुशामद में रहे,
कैसी आंखें फेर लीं, मतलब निकल जाने के बाद।"

तो मान्यवर, जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि इनकी आज कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। वह यह तो है नहीं या आवश्यकता से ज्यादा है। हर मिनिस्टर जो चाहता है स्टेटमेंट दे देता है। टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने कहा था कि यह पद समाप्त नहीं होंगे। बरमेश्वर जी कहते हैं कि नहीं इनकी समाप्ति होगी। बरमेश्वर जी ने देहरादून में कहा कि डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन किसी सीनियर जर्नलिस्ट को बनाया जायगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्यामलाल जी को कि उन्होंने उनकी हीशियारी को चलने नहीं दिया। वह चाहते थे कि पांचजन्य के एडीटर को यहां बना दिया जाय। लेकिन श्यामलाल जी ने वह नहीं किया और अच्छा किया। श्रवण योजना जो सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत चला करती थी, उसको बन्द कर दिया। वह सरकार का जो साहित्य है उसमें इस बात को कहा है कि हमने इसको बन्द कर दिया है। बजट के वाल्यूम ४ में इस बात को कहा गया है .....

श्री श्यामलाल यादव—

इसको बन्द नहीं किया गया है और न उस मद में कोई कटौती की गई है। इस विषय में भारत सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री नवलकिशोर—

इस में बन्द कर दिया है शब्द लिखा है। शायद न्याय विभाग को लेकर उनकी आंखें बन्द हो गई हैं लेकिन अब बुद्धि पर भी कुछ असर आ गया मालूम होता है। अगर उन्होंने इस मद को नहीं काटा है तो उनकी मेहरबानी है। यह बात समझ में नहीं आती है कि डाइरेक्टोरेट का खर्चा तो ३३ लाख हो गया २८ लाख से। खर्चा बढ़ गया तो क्या यह कोई कारटून बनाने की बात है? सिर बड़ा, पेट छोटा, पैर पतले तो क्या इस तरीके से श्यामलाल जी इस डाइरेक्टोरेट को एक कारटून बनाना चाहते हैं? इन्फार्मेशन अफसरों को खत्म करके इस डाइरेक्टोरेट को आप बढ़ा रहे हैं। श्यामलाल जी को याद होगा कि एस्टीमेट कमेटी ने इसके सम्बन्ध

[श्री नवल किशोर]

में कुछ सिफारिश की थी। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था। उस कमेटी ने केवल एक प्रतिवेदन केवल इस इन्फार्मेशन के ऊपर ही किया था। उसमें हमने कहा था कि इस डाइरेक्टरेट में किफायत की काफी गुंजायश है लेकिन इस विभाग का जो आवश्यक अंग है उसको काटा जा रहा है। इकोनामी के नाम पर छंटनी की जा रही है। इससे मैं मंत्री जी के आडम्बर को खूब समझता हूं और यह आडम्बर बिल्कुल सामने आ जाता है। यह उपेक्षा की बात है। जितने बड़े-बड़े अखबारों के आडीटर हैं, उन सब ने अपने एडीटोरियल में इनके केस को सपोर्ट किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसर अत्यन्त आवश्यक हैं, इनको समाप्त न किया जाय।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। उस दिन चौधरी साहब ने कहा था कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का काम हम एस० डी० एम० से लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि डेमोक्रेसी में पब्लिसिटी के ऊपर जो तमाम सरकारें अरबों रुपया खर्च करती हैं उसका आप ब्यूरोक्रेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी की अनुभवहीनता के कारण यह ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा मजबूत और हावी होती जाती है। यह भी एक सच्ची बात है जिसको मुझे कहने में और आपको सुनने में तकलीफ होती है। एक बात और मैंने सुनी है जो मुझको बड़ी मसखरेपन की मालूम होती है। वह यह है कि आपके यहां जो गाड़ियां हैं वह एस० डी० एम० खुद ही चलाया करेंगे, ड्राइवर को रिट्रेंच कर दिया जायगा। अगर ऐसा है तो इससे अधिक और कोई बात मखौल की नहीं हो सकती है।

एक शिकायत मैं श्यामलाल जी की सेवा में और करना चाहता हूं। आपके यहां बड़े बड़े विज्ञापन पट बनते हैं। मुझको पता चला है कि आपके यहां २५० विज्ञापन पट बनाये गये। विभाग के अन्दर कोई ऐसे साहब थे जिनका कोई एक पेट आदमी था जिसको यह काम दिया गया। उन्होंने बजाय मोटी चादर के पतली चादर इस्तेमाल की, फ्रेम भी अच्छा नहीं बनाया और बजाय गर्डर के एंगिल्स पर ही उसे खड़ा कर दिया। इसमें करीब सरकार का दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। आप इसकी जांच करवा लें। मैंने इसे वेरीफाई नहीं किया है।

और एक बात है। मैंने प्रेस कांफ्रेंसों की बात सुनी है। वे होती हैं सूचना केन्द्र में और सूचना केंद्र में जो चाय पानी का मीनू बनता है उसे वह मिनिस्टर तय करता है जो प्रेस कांफ्रेंस होल्ड करता है। तो अगर जनसंघ के मिनिस्टर गये तो वे अपना मीनू तय करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर गये तो वे अपना मीनू तय करते हैं और उनका पेमेंट करता है सूचना मंत्रालय। इस तरह से आप का पैसा खर्च किया जाता है और नाम लिया जाता है मितव्ययिता का। इस की ओर आप ध्यान दें।

इसके अलावा एक प्रेस लियांजा अफसर हुआ करता था दिल्ली में। बहुत दिनों से उस की आवश्यकता थी। बात यह थी कि जो हमारे एम० पी० होते हैं उनको इस बात की जरूरत थी कि पता लगता रहे कि हमारी रकार की गतिविधियां क्या हैं, हमारी आवश्यकतायें क्या हैं, हमारी नीतियां क्या हैं ताकि वे पार्लियामेंट में उसी के अनुरूप अपनी आवाज उठा सकें। इसलिए हमने उस प्रेस लियांजा अफसर को वहां नियुक्त किया था। आपने उसे विदड्रा कर लिया और जब हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये तो वहां आप के पीछे तीन, चार जर्नलिस्ट वहां गये थे उन के साथ। मेरी आवाज इकोनामी कमेटी में भी काफी रही है और काफी दिनों मैंने उसमें सेवा की है। इसलिए अगर आपको इकोनामी करनी है तो जायज इकोनामी करनी चाहिए। इस के अलावा एक और लियांजा अफसर हैं जो बहुत ही हाइली पेड हैं, उनको अगर कम करने की बात सोची जाती तो ज्यादा अच्छा होता।

अब मैं हिन्दी समिति के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। हिन्दी समिति, जैसा सूचना मंत्री जी ने कहा, उसने हमारी अच्छी सेवा की है और उसकी एक स्कीम ऐसी थी कि जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से सेंट पर सेंट खर्च हमको मिला था। इस में जो रेयर टेक्स्टबुक्स हैं उनका

हिन्दी अनुवाद करा कर उन्हें उन्हें पब्लिक किया जाता है और नयी नयी किताबों का सृजन भी किया जाता है। मैं आशा करता था कि इस योजना को और बल प्रदान किया जायगा। जैसी कि सरकार की घोषणा है और बहुत सही है कि हमारी सारी शिक्षा का माध्यम रीजनल भाषा हिन्दी होगी, उसके लिये आवश्यक है कि हमारे पास साइंस और इंजीनियरिंग आदि की किताबें भी हिन्दी में हों, क्योंकि केवल आदेश देने से ही शिक्षा एक दम से हिन्दी में स्विच ओवर नहीं हो सकती। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी समिति को और ज्यादा मजबूत किया जाय और इसपर और ज्यादा पैसा खर्च किया जाय।

मान्यवर, एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप कोई कमेटी बनाने जा रहे हैं जिला स्तर पर और पब्लिसिटी का बहुत-सा काम उसके अन्तर्गत होगा। गाड़ियां भी उसके अन्दर्गत होंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। श्यामलाल जी, आपको याद नहीं है, आपके नौ-नौ खसम हैं। जिसके नौ खसम हों वह किस-किस को खुश करेगा। इसलिए कमेटी के द्वारा जो आप काम करना चाहते हैं उससे कंफ्यूजन पैदा होगा और इसलिए इसे आप करने की चेष्टा न करें।

इसके बाद मैं श्यामलाल जी से बड़े अदब से कहता चाहता हूं कि आप इस विभाग का पुनर्गठन करते जिससे इसकी क्षमता कुछ बढ़ती। इसके लिए आपने कोई स्कीम नहीं पेश की। गीत और नाटक का विभाग ही समाप्त कर दिया। चौधरी साहब वैसे तो सुना है अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन गीत और नाटक से उन्हें पता नहीं क्या नाराजगी है। एक ड्रामा था विजय-यात्रा नामक जिसे पाकिस्तानी हमले के समय जगह-जगह खेलने का आयोजन किया गया और उसे लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया और आपने उसको काटने का फैसला कर लिया है। जिस चीज की इतनी उपयोगिता हो, उसे काट देने से काम नहीं चलने का।

आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों का प्रचार हो तो सूचना विभाग के जो अधिकारी हैं वे तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और उनका काम गवर्नमेंट के कामों का प्रचार करना है। चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब वे उसके द्वारा किये गये कामों का प्रचार करते थे और अ आपकी गवर्नमेंट जो कि भानुमती का पिटारा है, उस भानुमती के पिटारे का प्रचार करेंगे। इसलिए उनसे इस बात के लिए नाराजगी होना कि उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रचार किया, आपके लिए उचित नहीं है। प्रदेश की जनता में जाग्रति का पैदा करना सरकार का काम है। उनके पास पहुंचने के लिये तथा उनकी कठिनाई आप तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि जो जिला सूचना अधिकारी के पद हैं, उनको आप समाप्त मत कीजिए।

चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि पिछले साल १८ हजार आदमी सरप्लस में थे। तो मैं आपको २ मार्च का जी० ओ० नं० ८८(१) ६६ ओ० एम० पढ़ूंगा तो नहीं लेकिन उसमें साफ लिखा है कि १८ हजार आदमी जो सरप्लस थे उनमें से हर व्यक्ति को एबजार्ब करने की पूरी स्कीम थी। इसके मुताबिक एक आदमी को भी, जो टेंपोरेरी हैंड भी हो उसे रिट्रेंच नहीं करेंगे। और आप हैं जो परमानेंट आदमियों को रिट्रेंच करने जा रहे हैं। इसलिए यह दोषारोपण जो कर्मचारियों पर लगाया गया है वह उचित नहीं है। हालांकि उस वक्त तो चौधरी साहब भी उस गवर्नमेंट में शरीक थे, श्यामलाल जी आप तो वहां थे भी नहीं, तो मैं कहूंगा कि जितने लोग भी सरप्लस हैं उनको एबजार्ब करने की स्कीम थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ अन्याय मत कीजिए और जो परमानेंट हैंड्स हैं उनको सड़क पर फेंकने की कोशिश मत कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो सूचना विभाग का अनुदान सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक है, सूचना विभाग वह विभग है जिसको

[श्री हरीसिंह]

जड़ को समाप्त किया जा रहा है और फूल को पनपाया जा रहा है। मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो सूचना अधिकारी हैं वे जरूर होने चाहिए क्योंकि आज के जमाने में प्रचार का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये सूचना अधिकारी १०-१० और १५-१५ साल से सर्विस में हैं और उनमें कई ऐसे आदमी हैं जिनको दूसरी जगह सर्विस मिलती थी और वे नौकरी में थे, लेकिन वे जनता के और सरकार के प्रति अच्छे सेवक सिद्ध होने आये थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इनमें कई अधिकारी एम० ए० पी० एच० डी० तक हैं। अगर ऐसे आफिसर सड़कों पर फेंक दिये जायेंगे तो यह बड़ा बुरा होगा। सूचना अधिकारियों को समाप्त करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार भी बराबर झटका देती रही थी वही आज हमारी इस सरकार ने भी किया है। मैं चाहूंगा कि अगर सूचना विभाग में छंटनी करना ही है तो जो चोटी के अधिकारी हैं उनकी छंटनी की जाय। जो ६ असिस्टेंट डाइरेक्टर हैं उनकी क्या आवश्यकता है, वे क्या काम करते हैं? उनके पास कौन से काम विशेष हैं। अगर छोटे कर्मचारियों के बजाय ऊंचे लेविल पर आप छंटनी करते तो उसका कुछ एफेक्ट भी होता। ६ लाख जिला लेविल पर खर्च हो रहा है। इसमें जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनमें कई ने अपनी जिन्दगी इस विभाग में गुजार दी, वे बेचारे बुढ़ापे की तरफ और फिर नौकरी से निराश हैं आखिर उन कर्मचारियों का क्या होना है? प्रजातंत्र के लिए सरकार के कामों के प्रचार की आवश्यकता होती है और उसके लिए सूचना अधिकारियों की बड़ी सख्त जरूरत होती है। यह सही है कि इस देश और प्रदेश में अज्ञानता है, बहुतों में साधरण विवेक भी नहीं है। अभी बहुत सारी जानकारी उनको नहीं है, यह विभाग तरह-तरह की जानकारी द्वारा देहात की जनता को शिक्षित करता है। वहां की जनता को बहुत सी बातें मालूम होती हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब ऐसे अधिकारियों को जिनके द्वारा देहात की जनता की सेवा होती है समाप्त करने का कार्य किया जाता है।

हमारे इस विभाग में फिल्म बनाने का जो कार्य होता है, उससे भी जनता को बड़ा लाभ होता है। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में इसके द्वारा बड़ा अच्छा प्रचार होता है। हमारे यहां बहुत सी ऐसी फिल्में बनायी गयीं जिनको केन्द्र भी चाहता था तथा दूसरे राज्यों ने भी उनको चाहा था। इस फिल्म डिवीजन को समाप्त करने से लाभ नहीं होगा। एकोनामी अगर करना है तो एकोनामी आप वहीं कीजिए जहां एकोनामी की जा सकती है। जो आपके यहां फोटोग्राफर्स हैं उन्हें, जो बड़े अधिकारियों एवं डाइरेक्टर्स आदि के परिवारों के फोटू तथा उनकी शादी ब्याह आदि के फोटू तैयार करने में लगे रहना पड़ता है, उनको भी आप दूसरा सरकारी काम दीजिए। उनसे दूसरे काम लिए जा सकते हैं। ऊंचे अधिकारियों के चंगुल से इन बेचारे फोटोग्राफर्स को बचाइए।

एक फिल्म के सिलसिले में मैं आप से कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने एक फिल्म "बहुजन हिताय" बनायी थी। उसमें उसने सरकार के सहयोग की प्रार्थना की थी। माननीय बनारसीदास जी जो उस समय सहकारिता मन्त्री थे उन्होंने उसको कोई सहयोग नहीं दिया। वह नौजवान जिसने वह तस्वीर तैयार की थी, पैसे के अभाव में मारा-मारा फिर रहा है। इस सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर उसकी सहायता नहीं की गयी तो वह नौजवान किसी दिन आत्म हत्या भी कर सकता है। कांग्रेस सरकार ने अगर सहयोग न दिया तो इस सरकार को उसको सहयोग देना चाहिए। कांग्रेसी सरकार और माननीय बनारसीदास के काले कारनामों को छोड़कर उसके साथ न्याय करना चाहिए ताकि हमारे यहां जो एक टेलेन्ट है वह खत्म न हो सके।

हमारी पिछली कांग्रेसी सरकार ने अपने आदमियों को विज्ञापन आदि देने के खयाल से तथा अखबार निकालने के ख्याल से कुछ समाचार पत्रों को मान्यता दी थी। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर इस सरकार को यह चीज खत्म करना चाहिए। मान्यता का यह पुराना सिलसिला खत्म होना चाहिए। आज हमारे यहां कुछ पेपर्स मान्यता प्राप्त हैं, और कुछ को

मान्यता प्राप्त नहीं है। यह भेदभाव की नीति गलत है। प्रदेश में सभी की मिलीजुली यह सरकार है, सभी को मान्यता देना चहिए, या इस मान्यता को समाप्त करना चाहिए। जो भी अखबार निकालना चाहे उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जब यह होगा तभी अच्छा जरनलिज्म हमारे यहां पनप सकेगा। प्रजातंत्र के अन्दर प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि हमारे यहां उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसको बढ़ावा मिलना चाहिए।

श्रीमन्, जिला लेविल पर पी० सी० एस० आफिसरों से काम लेने की बात कही गयी है। जिला सूचना अधिकारियों के स्थान पर इनसे काम लिया जायेगा, मैं समझता हूं कि गलत होगा। एक पी० सी० एस० आफिसर क्या देहात में जाकर किसानों से बात करेगा? वह क्या उनकी सेवा कर सकेगा? वह तो उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझता। कोई फेमिली प्लानिंग का प्रचार करना है तो वह क्या प्रचार देहात में जाकर करेगा? वह तो यह कार्य शान के खिलाफ समझेगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसरों का काम एक टेक्निकल काम है, उसको पी० सी० एस० वाले नहीं कर सकते। हमारे यहां ऐसे-ऐसे सूचना अधिकारी हैं जिनको २०–२० वर्ष का तजुर्बा है, अपने कार्य का उनको अच्छा ज्ञान है। यह विभाग टेक्निकल होने के नाते इसके आफिसरों में एक विशेष योग्यता की जरूरत है, उस योग्यता के लोग आज मौजूद हैं, उनको इस कार्य का अनुभव है, मेरा निवेदन है कि उनको रिटेन करना चाहिए, उनकी छटनी नहीं करनी चाहिए। छटनी अगर करनी है तो और जगह करिये। इनको बरकरार रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। मुझे अपनी सरकार के खिलाफ कहने में दुख हो रहा है लेकिन यह ऐसा अहम मसला बन गया है जिसको सोचना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा न कहकर यह कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग के जो हैंड बिल्स होते हैं वे डायरेक्टोरेट में डम्प पड़े रहते हैं। इनके बंटवारे का भी तुरन्त प्रबन्ध होना चाहिए। मैं यह भी देखता हूं कि फलां मंत्री साहब बुलन्दशहर और मेरठ जाने वाले हैं, उनके साथ काफी मात्रा में हैंड बिल्स होते हैं पर उनके बांटने का उचित प्रबन्ध नहीं होता है। इसके अलावा मुझे यह निवेदन करना है कि हिन्दी समिति के जरिए से जो सूचना विभाग ने किताबें छपवाई हैं, वह बड़ा अच्छा काम किया गया है, लेकिन प्राइवेट मार्केट में वे सस्ती मिल जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सूचना विभाग की ओर से सस्ता साहित्य प्राप्त हो। आखिर में मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार सूचना अधिकारियों की छटनी के प्रश्न को गम्भीरता से सोचे और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामावण राय (जिला देवरिया)––

मान्यवर, पिछले वर्ष से इस वर्ष के बजट में जो बचत की गई है वह ६ लाख ८१ हजार की बचत है। बचत बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बचत के नाम पर मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज इस विवाद के अवसर पर जिन मुख्य बचतों का प्रयास किया है, उनके ऊपर मैं चर्चा करूं और उनके पीछे मंत्री जी का आशय क्या है, संभव है, मंत्री जी स्वयं उन कटौतियों के कारण क्या भयावह परिणाम होने वाले हैं, न समझ पाये हों और उनकी दृष्टि उधर न गई हो। उससे कितना बुरा अनिष्ट सम्पादित होगा इस दिशा में भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, जहां तक इस विभाग का संबंध है, अपने देश में इस विभाग के गठन के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि हम जनता को किस प्रकार उद्बोधित करें जिसके चलते उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। गेहूं पैदा करने में जनता अधिक अभिरुचि ले, अधिक तत्परता दिखाए। इस भावना से हम जनता को ओत-प्रोत करना चाहते थे और साथ ही साथ हमारा यह भी उद्देश्य था कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, कल्चरल हैरिटेज की रक्षा कैसे कर सकें, एक वाक्य में यदि इस विभाग के गठन को रखकर इसके उद्देश्य

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

की ओर संकेत करना चाहूंगा तो मैं यह कहूंगा कि गेहूं और गुलाब पैदा करने के लिए भारतवर्ष में लोकमत का निर्माण कैसे किया जाय इसी पुनीत उद्देश्य को लेकर इस विभाग की रचना की गई थी। लेकिन आज होने क्या जा रहा है। जहां तक सांस्कृतिक पक्ष का संबंध है उसका स्रोत सूख जाने वाला है कटौती के नाम पर। माननीय मंत्री जी एक ऐसी नगरी से आते हैं जो हमारे देश की संस्कृति का मूल उद्गम है और बन्द करने जा रहे हैं आप "त्रिपथगा" को। आप समाप्त करने जा रहे हैं सांस्कृतिक कलापों को। केवल सूचना अधिकारियों का पद ही आप समाप्त करने नहीं जा रहे हैं और बचत कि नी करेंगे केवल ६,८१ हजार रुपये। सभ्यता और संस्कृति की रक्षा में जो लगे हुए थे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

अब भी लगे हुए हैं ?

श्री रामायण राय—

माननीय तिवारी जी ने उस बजट को शायद देखा नहीं है जो मंत्रीजी ने यहां प्रस्तुत किया है। त्रिपथगा पत्रिका को बन्द कर दिया गया है, सांस्कृतिक कार्यकलाप सब समाप्त कर दिये गये हैं। एकोनोमी के नाम पर जिला सूचना अधिकारियों की सेवायें नियोजन विभाग को हस्तान्तरित की जा रही हैं। फेमिली प्लानिंग का सारा पैसा कहां से आता है, किस उद्देश्य से आता है, यह इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मंत्री जी ने इस बात को बिलकुल ध्यान में ही नहीं रखा कि सूचना अधिकारियों के कन्धों पर कौन-कौन सा दायित्व है। मैं जब आपकी कटौतियों को देखता हूं तो मुझे दूसरा ही दृश्य नजर आता है। जर्मनी में जब हिटलर पावर में आया था तो उसने भी ठीक इसी प्रकार से कटौतियां की थीं, ठीक इसी प्रकार से पोलीटिकल स्ट्रेटेजी जर्मनी में चलाई गयी थी। यहूदियों से कह दिया गया कि तुम जर्मनी के विनाश के कारण हो, महिलाओं से कह दिया गया कि तुम्हारा काम केवल चूल्हा फूंकना है, फिलासफर को जेल में बन्द कर दिया गया, पागल करार दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है।

मान्यवर, सामूहिक श्रवण योजना को बिलकुल समाप्त ही कर दिया गया है। एक विद्वान् ने कहा है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान से लोकचित की सृष्टि होती है, सामूहिक मन का निर्माण होता है, लेकिन यह योजना भी समाप्त की जा रही है। गांव का गरीब किसान जो अपना रेडियो नहीं रख सकता था, राजधानी में होने वाली हलचल से परिचित होने के लिए अखबार नहीं पढ़ता था, उसके अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए इस योजना का सृजन किया गया था, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। कम से कम आपसे इस बात की आशा न थी। जब सूचना विभाग का भार आपके कन्धों पर डाला गया तो मुझे खुशी हुई कि काशी का तो कंकड़ भी शंकर होता है। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि आपके प्रति मिर्जापुर की वह कहानी चरितार्थ होगी—"भैंस के आगे बीन बजावे भैंस परी पगुराये।" लेकिन आपने अपने कृत्यों से यह साबित कर दिया कि आपकी वही विचारधारा है जो फासिस्टों की थी, जो कहते थे कि मेजोरिटी कंसिस्ट्स आफ फूल्स। उनका तो यह विश्वास था कि जनता जितनी ही अधिक अज्ञान और अन्धकार में डूबी रहेगी उतना ही फासिस्टवाद फैलेगा। उसके विपरीत आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कहा था कि किसी भी देश में जितने ही अधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, जनतंत्र उतना ही अधिक सबल होगा। सूचना विभाग केवल आपके कानूनों का ही प्रचार जनता में नहीं करता, वह फेमिली प्लानिंग योजना से भी गांव वालों को अवगत कराता है, उससे जीवन के विभिन्न पक्षों का विकास होता है लेकिन आप इस नये ढांचे से तो उसके उद्गम स्थल को ही सुखा देंगे। उस दिन सवालों में भी मैंने पूछे था। दिल्ली में एक राज्य सरकार का आफिस है। वहां पर एक प्रेस लाइज आफीसर रहता था। वह सोचता था कि हम अपने प्रदेश से गये हुये संसद सदस्यों को अपने प्रदेश की योजनाओं से और राज्य के विकास से कैसे

उनकी जानकारी करायें, आदि आदि बातों का कैसे उन्हें ज्ञान करायें और इसके साथ ही साथ हमारे राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण काम हैं, उनसे दिल्ली के लोग कैसे अवगत हो सकें। इस आवश्यक उद्देश्य से इस पद का सृजन हुआ। आपने बड़ी चतुराई से कि हमने इन पदों को समाप्त नहीं किया है बल्कि उनकी सेवायें वहां स्थानान्तरित कर दी हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये थे तो उनको अपने साथ ३ जरनलिस्ट्स को दिल्ली ले जाना पड़ा। श्री नवल किशोर जी के शब्दों में नहीं बल्कि सचमुच आपके काम दिल्ली से दौलताबाद वाले ही मालूम पड़ते हैं। परन्तु याद रखिए कि आपकी इन भूलों के जो भयावह फल होंगे और उनसे जो प्रदेश का अहित होगा उस अहित के नाम पर मैं प्रार्थना करूंगा कि इतने अपवित्र कार्य के संकल्प को आप समाप्त करें। केवल दिल्ली की बात नहीं है बल्कि इस प्रदेश के लोग बड़ी-बड़ी नौकरियों में बम्बई, मद्रास कलकत्ते में हैं और वहां भी हमारे इस विभाग के छोटे-छोटे कार्यालय खुलने चाहिए। प्रदेश के दस बीस लाख नागरिक वहां काम करते हैं जो प्रदेश के कार्य कलापों से जानकारी रखना चाहते हैं, वहां पर ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि यहां कितनी गुंजाइश व्यापार उद्योग की है, बम्बई का कोई उद्योगपति यदि यहां कोई उद्योग लगाना चाहे और प्रदेश में औद्योगीकरण का कोई कदम उठाना चाहे तो उसको मालूम नहीं है कि यहां की राज्य सरकार इस दिशा में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करती हैं। दूसरे राज्यों का आप पता लगायें कि वहां क्या हो रहा है, दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने अपने सूचना कार्यालयों का विस्तार किया है और उनका प्रसार चारों ओर किया है और वह समझते हैं कि प्रदेश के कार्यकलापों की जो दूसरे लोगों की जिज्ञासा है उनको वह जागृत कर सकेंगे।

लेकिन आप बजाय विस्तार के और यह ६ लाख की कटौती कर रहे हैं। यह कटौती देखने में छोटी है लेकिन यह कोई साधारण कटौती नहीं है लेकिन इस के पीछे जो उद्देश्य है वह कोई राजनैतिक उद्देश्य है और उसके लिए जिम्मेदारी के साथ आपके ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं। आपका जनतंत्र से विश्वास उठ चुका है, आप जनतंत्र के नये मूल्यों से प्रदेश की जनता को शिक्षित नहीं करना चाहते और इसीलिए आप जनतंत्र के मूल्यों को बढ़ाने वाली शक्तियों और प्रयासों पर पर्दा डालना चाहते हैं। हमें सोचना होगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की कैसे रक्षा हो, हम जनजीवन में अपनी संस्कृति के मूल्यों का कैसे प्रसार करें लेकिन आप उस दिशा में सारे दरवाजे बन्द करना चाहते हैं और इसीलिए आपने सांस्कृतिक कार्यकलाप के विभाग को बन्द किया है और त्रिपथगा जैसी पत्रिका को भी आपने समाप्त करने का निश्चय किया है, सामूहिक श्रवण योजना को भी आप समाप्त करने जा रहे हैं। बचत अच्छी चीज है लेकिन जो बचत त्रिपथगा जैसी पत्रिका को बन्द करके की जाय और दूसरी तरफ श्री रुस्तम द्वारा थाने बढ़ाये जायं, कोई भी समाजवादी देश अगर पुलिस बढ़ाकर बचत करे तो उसको कौन सोशलिस्ट देश कहेगा। लोग ठीक कहते हैं कि आप पुलिस स्टेट की ओर जा रहे हैं और यह एक भयंकर स्थिति होगी। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता हूं लेकिन जो नतीजा सामने है उसको मैं एक वाक्य में कहूं तो मैं यह कहने को मजबूर हूं कि जनतंत्र से विश्वास उठने के बाद आप पुलिस राज्य की स्थापना की ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था किन्तु अपने से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य की कुछ बातों को सुनकर और उनसे प्रेरणा ली कि मैं भी कुछ बातें कहूं। सूचना विभाग के संबंध में उन्होंने एक खास बात यह बतायी कि सूचना विभाग देश की जनता में वर्तमान के प्रति जागरूकता पैदा करता रहा है। यह ठीक है लेकिन थियोरी और प्रैक्टिकल में बड़ा अन्तर रहता है, वह भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। सूचना विभाग इस सरकार का केवल रिकार्ड मात्र रहा है। जो रिकार्ड बजाता रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्रकाश त्रिपाठी]

और अपनी ढपली का राग जनता को सुनाता रहे। सरकार का आभास जनता को उसके कार्य के द्वारा होना है, सूचना विभाग लाख किताबें छापता रहे, नहीं होता है। सूचना विभाग लाख अपने लाउड स्पीकर्स और रेडियो द्वारा प्रोपोगन्डा करता रहे, लेकिन अगर सरकार कार्य करने वाली नहीं है तो जनता और बुद्धि जीवी जनता वह चीज नहीं समझ सकती है। मैंने महात्मा गांधी जी का एक लेख पढ़ा है और जो कैलिफोर्निया के रेडियो स्टेशन से रिले भी हुआ था। उनका कहना है कि किसी भी सत्ता का आभास जनता को हो जाय तो यह सत्ता की सफलता मानी जाती है। अभी तक सबसे बड़ी असफलता इसी में थी कि सरकार का आभास ही क्या था। लखनऊ में सरकार थी, मंत्रीमंडल था, विधान सभाओं में विधायक लोग बैठे लेकिन सरकार नहीं थी और जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि चारों ओर "बन्द" के नारे लग रहे थे, ठेला बन्द, बसें बन्द, स्कूल बन्द, बाजार बन्द। चारों ओर एक अराजकता का वातावरण फैला हुआ था और जनता को आभास होने लगा था कि आज कोई सरकार ही नहीं है। आज की सरकार ने जैसे निर्णय लिये हैं, यह सब कुछ होने के बाद भी, देश के बच्चे, बूढ़े, इंसान, किसान और मजदूर आज हर एक नागरिक की जबान पर चौधरी साहब का नाम चढ़ा हुआ है। हर रोडवेज का कंडक्टर यह कहता है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह हैं, हर कचहरी के अन्दर काम करने वाले कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी आज यहां पर हैं। तो वह देश जिसमें यह भावना उत्पन्न हो जाय उससे सत्ता का आभास मिलता है।

उन्होंने कहा कि कार्यालय खोले जायं, लेकिन कार्यालय खुलने से कुछ काम नहीं चलता। जैसे आप कचहरियों को ही ले लीजिये। आज उनके संबंध में प्रातः से यहां पर बड़ा वादविवाद होता रहा और उनके बारे में शिकायतें होती रहीं लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि आज के हमारे कार्यालय कार्यालय के रूप में कार्य नहीं करते हैं। आप कचहरी के दरवाजे पर खड़े हो कर देखें। वहां से हजारों आदमी जब कचहरियों से निकलते हैं अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हारे मुकदमें में क्या हुआ तो शायद ९५ फीशदी आदमी यही बतायेंगे कि तारीख बढ़ गयी। तो ये न्यायालय-न्यायालय न रहकर तारीखालय हो गये हैं। तो इस प्रकार से अगर सूचना विभाग से सरकार अपना ढोल बजवाना चाहती है तब तो दूसरी बात है। संस्कृति की बात बड़ी जरूरी है, लेकिन संस्कृति से सांस्कृतिक शब्द बना है। उसको आपने इन २० वर्षों में कहां तक पहचाना है। संस्कृति के नाम पर दिल्ली में सुन्दर-सुन्दर लड़कियों से कार्यक्रम कराकर देश की संस्कृति को जनता में नहीं रखा जा सकता है। देश की संस्कृति को जनता में रखने के लिये हमें सच्चे कार्य करने होंगे, जैसा कि आज की सरकार ठोस कार्य कर रही है। महिलाओं का डेपुटेशन मिला या नहीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री का उत्तर मुझे अवश्य सुनने को मिला था। उन्होंने नारी के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला था। हमने आज मिस इंडिया बनना शुरू किया, ब्यूटी कंपटीशन में नारियां भेजना शुरू किया, इस प्रकार से संस्कृति नहीं जिन्दा रहती। उसके लिये सूचना विभाग काम नहीं कर सकता। मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संस्कृति जिन्दा रखने वाले तत्व गांवों के अन्दर वे आंगन हैं, छोटे-छोटे आले हैं जिनमें आज भी पुरानी माताओं और बहनों की मान्यतायें चल रही हैं। सूचना विभाग द्वारा किसी मंत्री के पहुंचने पर या फिल्म शो दिखा देने से संस्कृति जिन्दा रहने वाली नहीं है। इस में प्रदेश की जनता के पैसे का अपव्यय था। इसलिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले इन कदमों के साथ मेरी पूरी-पूरी सहानुभूति और सहमति है। हां, इतना अवश्य है कि जहां पर उन्होंने दिल्ली कार्यालय के संबंध में जो सुझाव दिया है कि प्रदेश और केन्द्र दोनों के बीच में एक माध्यम के रूप में जो कार्यालय चल रहा था उसका महत्व है और मैं भी उनके विचारों के साथ सहमत हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि जहां पर उन्होंने बताया कि इसके बिना कार्य ही नहीं चल सकता, ऐसी बात नहीं है। जनता उन कार्यालयों से आशा नहीं करती, बल्कि अपने जन प्रतिनिधियों से आशा करती है जो संसद सदस्य हैं कि वे इतने समझदार होंगे कि वे केन्द्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में काम करेंगे, और जनता की आवाज को वहां पर रखेंगे। अधिक न कहकर मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, जो बातें कही गयी हैं, उनकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता। मैं अपने विचार इस दृष्टि से रखना चाहता हूं कि हमारा समाज और राष्ट्र जिसको हम आगे बढाना चाहते हैं उसके सुखी जीवन और शुष्क जिन्दगी की घड़ियों में अगर मनोरंजन के साधन न हों तो आपका हाल वही होगा जो एक माझी का समुद्र में होता है। जो कि यात्रा कर रहा है और उसके टिकने के लिये कोई जगह नहीं है। एक कवि ने बड़ा ही सुन्दर कहा है:—

"There needs must be a green Isle in the deep wide sea of misery, or the Mariner worn and wain could never thus voyage on."

अगर आप संसार में जिन्दा रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जिन्दगी में खुशियों की घड़ियों को अर्जित करना निहायत जरूरी है वरना मनुष्य थक कर डिसअपौइन्टेड हो जाता है। केवल कल्चरल ऐक्टिविटीज के द्वारा ही नई जागृति समाज में ला सकते हैं। इट इज औनली टु दि गेटवे आफ कल्चरल ऐक्टीविटीज दैट यू इन्ट्रोड्यूस न्यू व्यूज ऐंड आइडियाज इन द मासेज। अगर आप जन जागृत करना चाहते हैं, जन क्रांति करना चाहते हैं तो कल्चरल ऐक्टीविटीज के जरिये जनता और समाज में कर सकते हैं। जिन्होंने सोशल साइंस को पढ़ा है और साइंटिफिक ऐनेलिसिस को समझने की कोशिश की हो तो वह इस बात का महत्व समझते होंगे कि कल्चरल ऐक्टीविटीज और उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह फिजूल खर्ची नहीं है। अगर हम अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में एक रेनासेंस लाना चाहते हैं तो सांस्कृतिक क्षेत्र में बेकारी नहीं पैदा कर सकते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिये। कल्चरल ऐक्टिविटीज के माने यह नहीं हैं कि इंगलैंड के सिनेमा की नकल करें। यह स्वाभाविक है कि जिस प्रकार देश में बसन्त छा जाता है तो कोयल बोलती है अगर बसन्त आया और कोयल न बोली तो लानत है उस समाज पर। और उस मुल्क पर और उस जमात पर। अगर हमारे मुल्क में बेदारी है तो उसे उभड़ना चाहिये। मुल्क अगर समृद्धिशाली है तो उस में एसथेटिक सेंस होगा। जहां सुन्दरता राज्य करती है तो कला का कानून (ऐडमिनिस्ट्रेशन) उसे संभालता है। मैं चाहता हूं कि देश में हमारा जीवन शुष्क न हो, सुखी हो, उसमें एसथेटिक सेन्स डेवलप करे। हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अंग्रेजों, जर्मनों, रूसियों तथा अमेरिकन्स की नकल न करें। हमें अगर जिन्दा रहना है तो अपने विचारों, अपनी संस्कृति पर, और अपने तौर तरीके पर जिन्दा रहना होगा। हर मुल्क के डेवेलपमेंट में कई सीढ़ियां होती हैं। कुछ नेसेसरी ईविल्स होते हैं उन को बाहर करने का प्रयास होना चाहिये और इसी प्रकार से कुछ कमियां कल्चरल ऐक्टिविटीज में भी हो सकती हैं लेकिन उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिय। जब हमारा एस्थेटिक सेंस बहुत ऊंचा हो जायगा और जब ह्यूमेन रियलिटीज फेस करनी होगी, तो ये कमियां खुदबखुद खत्म हो जायंगी।

जहां तक सूचना विभाग का सम्बन्ध है वह तो दूसरे मकसद से बनाया गया था। इस का परपज है सरकार और जनता के बीच में एक रिश्ता जोड़ना। इसी लिए उस पर किसी भी जिले के अफसर का कोई कन्ट्रोल नहीं था क्योंकि उसको वह दबा सकता था। लेकिन धीरे-धीरे हम इस विभाग को क्या चाहते थे बनाना और क्या बना गया, उसका हम को महान दुख है। हम चाहते हैं कि जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय का जो कार्यक्रम है वह स्वतंत्र होना चाहिये, ठीक ढंग पर होना चाहिये। जल्दबाजी से कोई काम ठीक नहीं चल सकता। ठंढे दिल से हुकूमत को ऐसे मामलों पर सोचना चाहिये। अफगानिस्तान के बादशाह अमनुल्लाह ने अफगानिस्तान को माडर्नाइज करना चाहा। उस ने गली गली में हज्जाम बिठा दिये मुल्लाओं की डाढ़ी सफा करने के लिए लेकिन मुल्लाओं ने उसे ही दफन कर दिया और मुल्क का विकास हो नहीं सका। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि विकास की योजनायें

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

होनी चाहिये लेकिन उन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये। उसके अन्दर दृढ़ संकल्प होना चाहिये, उदारता होनी चाहिये, केवल वाह-वाही और तारीफ के लिए नहीं होना चाहिये। यह बुद्धिमत्ता नहीं हुआ करती।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

*श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो यह अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी अभी हमारे रावतजी और उस के पूर्व श्री रामायणराय जी ने भाषण दिये और यह कहा कि यह सरकार जैसे दौलताबाद को राजधानी का स्थानान्तरण हुआ था उसी प्रकार का कार्य कर रही है। सही बात तो यह है कि हमारे माननीय सदस्यों को वहां पहुंचने के बाद यह पता चला कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सचमुच प्रदेश को नष्ट करने के लिए, जैसी कि उन्होंने एग्जाम्पिल दी, ठीक मुहम्मद तुगलक जैसा काम किया था और अब उस की सफाई करने में उन्हें परेशानी हो रही है। कहा जाता है कि सूचना विभाग को खत्म कर के प्रदेश का बड़ा भारी अहित हो रहा है। सच बात तो यह है कि इस विभाग से सिर्फ दो ही काम हुये हैं। एक तो भूतपूर्व मिनिस्टरों के कार्यकलापों का ढिंढोरा पीटा गया सरकार की बुराइयां छिपाने के लिए केवल कागजी नाव दौड़ायी गयी और इतने बड़े अधिकारी हर जिले में बैठाये गये। उस अधिकारी का क्या काम था? यही सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर...

श्री रामायण राय—

आप को तो संस्कृति की मुखालिफत नहीं करनी चाहिये।

श्री भुवनेशभूषण—

जो ठीक संस्कृति है, उसी को तो कह रहा हूं। यह संस्कृति तो कांग्रेसियों की पैदा की हुई है।

श्री रामायण राय—

संस्कृति एक दिन में पैदा नहीं होती।

श्री भुवनेशभूषण—

एक दिन में नहीं, बीस साल में पैदा की गयी है। हां यह जो कहा जाता है कि किसी राजनीतिक भावना को ले कर यह समाप्त किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए आज से नहीं बल्कि १९५७ से, जब मैं चुन कर आया था, तब से बराबर इस विभाग का विरोध होता रहा। माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि सूचना विभाग के कितने ही बन्डल गोमती की तह में मिलते थे। यह हमारा गरीब प्रदेश है। इस में खाली इस के लिए कि मंत्री जी कहां जा रहे हैं तो उन की गाड़ी घूम रही है इसके अतिरिक्त और कुछ काम नहीं हुआ। इस के जो योग्य अधिकारी हैं, जो तनख्वाह पाते हैं उन्हें निकाल देने की मंशा मन्त्री जी की नहीं है। उन्हें कहीं और जगह रखा जायगा जिस से पैसे की बचत होगी। लेकिन ये रास रंग जरूर बन्द हो जायेंगे। यह जो दिखावा होता था वह बन्द हो जायगा। मुझको अनुभव है, मैं देखता था। जिला सूचना अधिकारी से एम० एल० एज० का काफी सम्पर्क न रहता है। अगर कहीं तीन दिन प्रोग्राम लगायेंगे तो वहां रहेंगे नहीं बल्कि अपने स्थान से वहां जायेंगे और जाने के पश्चात् शाम को लौट आयेंगे और दूसरे दिन फिर आना है। कितना पेट्रोल बर्बाद कर दिया केवल जी हुजूरी करने के लिए। मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है। एक बार हमारे इटावा जिले में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में बड़े विशेषज्ञ आये थे। ब्लाक में गये। वहां देखा तो इतने अच्छे अच्छे सांड, ये धान के खेत। वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखने से ऐसा मालूम पड़ा कि सचमुच उत्तर प्रदेश बिलकुल स्वर्ग हो गया है। लेकिन जब ब्लाक के बाहर आये तो दिमाग में आया कि यह तो हम सपने की दुनिया जो रचा रखी थी उस में विचर रहे थे। बाहर गांव में गये तो एक चेंच का पेड़ खड़ा हुआ था जो अरहर के पेड़ की तरह होता है। वहां जो विशेषज्ञ था वह अधिकारी से कहता है कि यह अरहर का पेड़ है जिस की दाल हम लोग खाते हैं। एक मामूली किसान इस बात को सुन रहा था। पहले तो वह कुछ सोचता रहा कि इन लोगों के बीच में बोला जाय या नहीं। लेकिन उससे रहा नहीं गया और बोला साहब यह तो चेंच का पेड़ है। वह बोला तुम क्या जानो ? मैं कृषि विशेषज्ञ हूं। मैंने एम०एस०सी० (ए जी) किया है। सच बात यह है कि कागज की दुनिया में विचारने वालों का यही हाल होता है। उनको प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ नहीं होता है। इसीलिए वह किसान को चेंच के पेड़ को अरहर का पेड़ बताता है। एक किसान ने ठीक बात हुई तो उस से झझंट हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप के यहां ऐसे ऐसे अधिकारी पड़े हुये हैं। बताइये भला वे क्या देश का और जनता का भला कर सकते हैं। ऐसी ही आपकी योजनायें हैं। आप ने देश को बरबाद कर दिया है। आप तो क्षमा करें और अपनी वकालत बन्द करें। हमारी भूतपूर्व सरकार ने एक एक योजना के नाम पर एक एक विभाग खड़ा कर दिया और उस में अपने सम्बन्धियों को लगा दिया। देश कहीं चला जाय, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने कलेजे पर हाथ रखें और बतायें कि जितना इस विभाग पर खर्च होता था, उसका क्या उपयोग हुआ ? कोई उपयोग नहीं हुआ। आप यह कह सकते हैं कि इस में बहुत थोड़ी बचत हुई। लेकिन यह बचत करने के लिए आगे बढ़ने का एक कदम है। यह सरकार एक एक कर के बुराई कम करती जा रही है। जिनका आप उपयोग करते थे और आपका सूचना विभाग भाँड़ों का कारखाना था। यह सरकार अपने गुणगान आप की तरह से भाँड़ों के द्वारा नहीं कराना चाहती है। यह तो अपने कार्यों से गुण-गान कराना चाहती हैं। इस प्रकार जनता में जायेंगे तो समझ में आयेगा। यह दिन देखने को न मिलता। इसका एक मात्र कारण आप की अकर्मण्यता तथा गलत योजनाओं का सृजन है। आप भड़भड़ाइये। जिन की कुर्सी छिन गयी है उनका एक ही प्रयास रहता है कि किसी तरह से उन को प्राप्त करें। नवल किशोर जी को बड़ी परेशानी रहती है। वे कहते हैं कि "अगर तूफाँ डुबा देता तो मुझे गम न होता, किनारे आकर निकला तो किनारा बेवफा निकला।" उनके दिल में बड़ा दर्द है कुर्सी छिनने का। उनका यह है कि किसी तरह उनकी कुर्सी मिल जाये और फिर वही रास रंग होने लगे। भंड़ेरी बन्द हो गयी है उस की यह वकालत करते हैं। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और कृतज्ञता प्रगट करता हूं कि आप ने मुझे इस सदन में सूचना विभाग के ऊपर जो विचार विनिमय हो रहा है उस पर बोलने का अवसर दिया उस के लिए मैं पुनः कृतज्ञता प्रगट करता हूं। मैं अभी सदन में जो चर्चा हो रही थी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण सुझाव सुन रहा था। श्रीमन्, एक बड़ी ही बिचारणीय बात है जबकि वह सब विपक्ष के सम्मानित सदस्य खड़े होते हैं तो कोई बात कहें युक्ति संगत तो सुनने में भी अच्छा लगता है। किन्तु बात इस के विपरीत होती है और ऐसा प्रयास करते हैं ऐसा अपनी गतिशीलता का परिचय देते हैं, मानों सारे के सारे वही प्रणेता और उद्गमस्थल हैं, विचारणीय सारी की सारी शक्ति एक बार उन से क्षमा याचना करने को उद्यत हो जाती है, और साधुवाद देने को भी तत्पर हो जाती है। किन्तु यह बात उनके तर्कों के विपरीत है।

श्रीमन्, प्रत्येक युग के शासन में उसके द्वारा क्या कार्य सम्पादित हुये हैं क्या उसकी रूप-रेखा है इसका प्रचार होता है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंन प्रत्यक्ष

[श्री राज बहादुर]

और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से स्वीकार किया, चाहे हम काम कर के सिद्ध करें अथवा जो काम किये गये हैं उन का बखान करके अतीत के कार्यों को जनसाधारण के श्रवणों तक पहुंचायें। यह परमावश्यक है। जब यह बात आवश्यक है समाज और शासन दोनों में तो उस विभाग का रहना परमावश्यक हो जाता है। उस विभाग का संचालन किन गतिविधियों के द्वारा कैसे किया जाय यह बात अपने अपने ढंग की होती है। बीस साल की चर्चा की बात एक प्रकार से बड़ा अमोघ अस्त्र है वह तो माला कि गुरिया बार बार घूमती ही है। अगर बीस वर्षों के पहले का इतिहास आप के सम्मुख है। अगर आप उस को भुलाना चाहें तो इतिहासवेत्ता कभी नहीं भुला सकते। इन बीस वर्षों में हमने बहुत से काम किये। बहुत सी कमियां दूर कीं। यह भी ठीक है कि अब भी कमियां हैं। जो काम हमने बीस वर्षों में किया उसके फलस्वरूप आज यहां के नवयुवक सदन और समाज में अपने विचार प्रकट करते हैं। अगर बीस वर्षों के आंकड़े में जायं तो लम्बी बात हो जाती है। सूचना विभाग में जिसका काम है शासन के द्वारा किये हुये कार्यों को प्रजा के बीच में पहुंचाना, छः लाख रुपये की कटौती आप ने की। कहां घटाया? उन आदमियों को आप कहते हैं कि दूसरे विभागों में खपा देंगे। होता यह है कि आप एक नया रूप देते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। उसे भोजन जीवन रखने के लिए बड़ी कठिनाई से मिलता था। एक बार बाघ को जब शिकार मिला नहीं तो वह कंठी-माला तिलक लगा कर बैठ गया जंगल में, जिससे लोग यह जाने कि यह बड़ा पुजारी हो गया है। सौभाग्य से एक बन्दर उसके पास आ गया और उसकी भक्ति देखकर उसने नमस्कार किया जाकर बाघ को। बाघ ने मौका देखा और बन्दर को बगल में दाब लिया। इस पर बन्दर बड़े जोर से हंसा जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसने छूट कर छलांग मार और वह पेड़ की डाल पर पहुंच गया। तो बन्दर जब डाल पर पहुंचा तो रोने लगा। इस पर बाघ ने पूछा कि अब जब तुम हमारे चंगुल से छूट कर डाल पर बैठे हो तो रोते क्यों हो जबकि मेरे पास थे तो हंस रहे थे। तो उसने कहा कि मैं रोता तो इसलिए हूं कि तुम्हारी यह भक्ति न हमारे ऐसे कितने ही लोगों को नमस्कार किए जाने पर अपने चंगुल में लेकर खत्म कर दिया तथा कर देगी तो यह बात इस शासन पर भी श्रीमन्, उसी प्रकार से घटित होती है। प्रत्येक युग की प्रत्येक विचारधारा वाली सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनजीवन को सुखी करे, उसे समृद्धिशाली बनाए। सौभाग्य से सरकार बदली लेकिन किन परिस्थितियों में बदली यह भी आपको मालूम है। कारण बहुत साफ था, कुछ को पद का लालच था, बेचारे वह लोग अपने लोभ का संवरण नहीं कर सके और उधर चले गए और सरकार का परिवर्तन हुआ। उसके पीछे और उसके पहले लक्ष्य क्या थी? वह यह थी कि जनसाधारण का जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो। जब शासन का यह उद्देश्य रहा हो तो कोई प्रश्न नहीं आप शासन सम्भाले, स्वागत है आपका, बड़ी बूढ़ी हो जाय आपकी सरकार। लेकिन कृपा करके सोचिए जरा, जिन लोगों ने जिस कारण से आपका स्वागत किया है वह काम करिए---

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त। आप बैठ जायं।

श्री राजबहादुर---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सूचना मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सूचना विभाग जिसके अनुदान पर आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहस हो रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मैं समझता हूं कि यहां सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष के विधायकों को जिस तरह अपनी बात कहने की आदत पड़ गयी है, उससे वे सही मानों में अपने मन की बात नहीं कहते हैं और न अपने क्षेत्र की जनता की बात करते हैं। जो हम लोग सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं सरकार की हर बात का समर्थन करते हैं और करना पड़ता है। यह सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रदेश को बहुत अर्से के बाद अच्छा प्रशासन मिला हुआ है, प्रदेश को जनप्रिय सरकार मिली हुई है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी हर बात का यहां पर समर्थन किया जाय, आंख बन्द कर उसकी बात मानी जाय। यह आवश्यक नहीं है कि जनता की सरकार के सारे काम और नीतियां जनता की इच्छाओं के अनुरूप और प्रदेश के हित में ही हों। इसी तरह विरोध पक्ष में बैठने वाले लोग हर बात में सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार के सही कामों की भी आलोचना करते हैं।

मैं मन्त्री जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में जिला स्तर पर छोटे पत्रों, जिला पत्रों के पत्रकारों आदि को सुविधाएं देने के विषय में कोई चर्चा नहीं की। मैं समझता हूं, मैं खुद भी काफी अर्से तक अपने जिले में बहुत से हिन्दी पत्रों का प्रतिनिधि रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिला स्तर पर पत्रकारों को जो कठिनाइयां हैं, उनका जिक्र मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई नहीं किया है जिसका जिक्र आना चाहिए था। यदि २० वर्षों के कांग्रेसी शासन काल में बड़े-बड़े पत्रों को, पूंजीपतियों को प्रश्रय दिया गया, उनको विज्ञापन देकर उनकी झोलियां भरी गई अपने प्रचार के लिए, अपनी फोटो छपवाने के लिए, तो जनवादी सरकार का यह आवश्यक कर्तव्य था और मन्त्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए थी छोटे पत्रों को प्रश्रय देने के लिए तथा कहना चाहिए था कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि छोटे पत्रों को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिया जायगा।

इसके साथ-साथ मैं निजी तौर पर इस पक्ष में नहीं हूं जो यह कहा जाता है कि सूचना विभाग बिलकुल व्यर्थ का विभाग था। यह सही है और यह मानता हूं कि पिछली कांग्रेसी सरकार ने सूचना विभाग को अपना गीत गवाने के लिए रखा था, तो आपको यह चाहिए था कि आप सूचना विभाग की कार्यशैली में, कार्यकलाप में आमूल चूल परिवर्तन करते और आप ऐसा बनाते कि वह इनके गीत गाने के बजाय जनता की बहबूदी के गीत गाता। मैं श्री रामायण राय जी की इस राय का समर्थन करता हूं कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसी सुदूर विशाल नगरियों में जहां हमारे प्रदेश के २०–२२ लाख व्यक्ति काम करते हैं—

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उन्हें अपने प्रदेश के हालात की जानकारी तक नहीं हो पाती और इसके लिए हमारा सूचना विभाग होना चाहिए।

जहां तक जिला सूचना अधिकारियों के खत्म करने का सवाल है, उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा पैदा हुआ चीन और पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तब सूचना विभाग के लोगों ने जनता में जागृति पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जनता का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर सूचना विभाग के अधिकारीगण मन्त्रियों की तारीफ करते हैं तो उसको आपको बन्द करना चाहिए था आपको उनको इस बात की ताकीद करनी चाहिए थी कि वह मन्त्रियों का प्रचार न करें लेकिन मैं अपने मन में यह महसूस करता हूं कि सूचना विभाग की समाप्ति प्रदेश के हित में हो नहीं सकती। सूचना विभाग जनता और सरकार के बीच की कड़ी है जिससे जनता को सरकार के समस्त कार्य-कलापों का ज्ञान होता है। जहां तक सवाल है दैनिक पत्रों के सम्बाददाताओं और छोटे-छोटे पत्रों के सम्पादकों का उनके प्रति जिलाधिकारियों का जो रवैया रहता है उन पर माननीय मन्त्री जी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो पुलिस कप्तान और कलक्टर जिले में होता है वह दैनिक पत्रों के सम्बाददाताओं को और छोटे-छोटे पत्रों के सम्पादकों को सही स्थिति का ज्ञान नहीं

[श्री भारतसिंह चौहान]

कराते और सही आंकड़े उनको नहीं देते। माननीय मन्त्री जी को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि सूचना विभाग बौद्धिक लोगों का विभाग है और वह बौद्धिक लोगों में जागृति नहीं कर पाता लेकिन आज इस प्रदेश का बहुत बड़ा भाग, ८० प्रतिशत भाग में जनता बौद्धिक नहीं है। आज उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि हम प्रदेश की प्रगति के बारे में किसी विभाग के माध्यम से उनकी सही-सही जानकारी करावे। लोग कहते हैं कि अच्छी सरकार है और अच्छी सरकार होने के नाते जनता में उसके बहुत प्रचार की आवश्यकता नहीं है लेकिन चाहे हम सरकारी प्रचार न करायें लेकिन सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकारी कामों को जनता की निगाह में रखने के लिए सूचना विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। सूचना विभाग को समाप्त करने का मतलब होगा कि आज जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है उनको बेरोजगारी के कगार पर खड़ा कर देना। मैं नहीं चाहता कि बेरोजगारी की समस्या उनके सामने पैदा हो। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं, लेकिन माननीय मन्त्री जी को सुझाव देता हूं कि अगर उन्होंने भी वैसा ही काम किया जैसा इस २० साल के कांग्रेसी निजाम ने किया तो कांग्रेस वालों की भाँति उनको भी उन्हीं कुर्सियों पर लौट जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि यह सरकार जो जनता के हितों को देखने वाली है समाप्त हो। आज बसों में, मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में चौधरी चरणसिंह जी की हुकूमत की चर्चा है। चौधरी चरणसिंह का राज्य जनता के मन को अच्छा लगता है लेकिन कहीं हमारे अपने कारनामे चौधरी चरणसिंह को भी बदनाम न कर दें। इन शब्दों के साथ में अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने वादविवाद में भाग लिया, धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब केवल २५ मिनट हैं, इसमें आप और मन्त्री जी आधा-आधा कर लीजिए।

श्री नवलकिशोर—

तो श्रीमन्, मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूं। अच्छा तो यह होता कि अगर माननीय मन्त्री जी पहल जवाब दे देते तब मैं कहता। मैंने तो अपनी बात पहले ही कह दी थी।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी को आखिर में ही जवाब देने का अधिकार है।

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बेश्वर प्रसाद)—

यह इतनी जल्दी भूल गए, श्रीमन्।

श्री नवलकिशोर—

बहुत सी बातें मैं भूल गया और बहुत सी बातें आप भूल गए।

श्री अध्यक्ष—

आप का भूलना ठीक ही है वरना बहुत तूफान होने लगेगा।

श्री नवलकिशोर—

मेरे दोस्त भुवनेशभूषण जी ने मेरी गैर हाजिरी में एक शेर पढ़कर सुनाया था। कोई गलतफहमी न हो, इसलिए मैं उनको याद दिला दूं कि ९ मई को कौंसिल और कौंसिल आफ

स्टेट के लिए चुनाव हो रहे थे। मतदान होने के बाद मेरे एक बहुत पुराने दोस्त माधव प्रसाद जी त्रिपाठी हार रहे थे तो मैंने उनके दिल को तसकीन देने के लिए एक शेर पढ़ा था। आज मैं फिर उनको एक शेर पढ़कर सुनाए देता हूं ताकि उनको और तसल्ली हो जाय। "तदूरत से न देखो सायल यूं तूफाँ को, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं।" इसलिए आप ज्यादा परेशान न हों। मुझे श्यामलाल जी से एक बात कहनी है और मैं समझता हूं कि उनके दिमाग पर भी इसका कुछ असर हुआ होगा। जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने भाषण दिए हैं, उन सब ने इस बात की ताइद की है कि सूचना अधिकारी की आवश्यकता है और इनके पद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर भुवनेशभूषण जी के दिल व दिमाग के फाटक बन्द नहीं हुए हैं तो वह भी मेरी बात सुन लें और सूचना मन्त्री जी से भी यह निवेदन है कि अगर उनके दिमाग में यह नहीं है कि जनता को अन्धकार में रखा जाय, डिक्टेटरशिप इस देश में कामयाब हो सके और इस जनतन्त्र की फिलासिफी में विश्वास है तो जनतन्त्र के जितने प्रतिनिधि यहां पर बोले हैं उन सब ने इस बात का समर्थन किया है कि जिला सूचना अधिकारियों के पद समाप्त न किए जायं इस पर विचार करें। सूचना मन्त्री जी ने कहा कि फैमिली प्लानिंग में इन पदों को रखेंगे तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वह इस जी० ओ० को पढ़ लें। मैं उनकी जानकारी के लिए उसमें से ३, ४ लाइन पढ़ देना चाहता हूं:

Permanent employees will be adbsorbed in the posts in identical or higher scale of pay, their pay being fixed in accordance with the existing rules except that in case of absorption on higher posts. Their pay will not be fixed at a stage next the case of promotion and of assumption of duties and respon sibilities of higher order in the normal course. They will also be allowed to draw their next increment on the same date on which they would have drawn it on their old posts."

इसका मन्शा यह है कि उनको आइडेन्टिकल पोस्ट पर रखा जाय ताकि उनके पे स्केल गड़बड़ न हों। मुझे उम्मीद है कि वह इन पोस्ट को समाप्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इस नई सरकार के दिमाग में यह बात है कि कुछ डिपार्टमेंट को वह प्रोडेक्टिव समझती है और कुछ को अनप्रोडेक्टिव समझती है वह यह समझते हैं कि इस तरह से डिपार्टमेंट होते हैं। अगर यह फीलिंग भुवनेशभूषण जी के दिमाग की है तो वह तो फासिस्ट टेन्डेन्सी की फीलिंग है। महिला मंगल योजना को बेकार समझकर हटाया गया है। उन महिला मंगल की योजनाओं की उन लोगों ने कटौती की है जो यह समझते हैं कि केवल खेत में ही उत्पादन होता है। इन्सान को भी बनाना पड़ता है। इन्सान को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जो संस्कृति के प्रोग्राम को काटा गया है वह भी उचित नहीं है। भुवनेशभूषण जी भारतीय संस्कृति की बड़ी बात करते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति का प्रचार करने के लिए वह रखे गए थे और अपने काम से वह उनका प्रचार करते थे। मैं जानता नहीं कि इस तरह से कोई बेअकली की बात कह सकता है जैसी उन्होंने कह दी। क्या कांग्रेस की संस्कृति दूसरी है और इस देश की संस्कृति दूसरी है। कोई पार्टी किसी कल्चर को डिवाइड नहीं कर सकती है। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, क्या हम नाटक या किताबों के जरिए से उसको डिवाइड कर सकते हैं? इसलिए उसका काटना किसी तरह से उचित नहीं था। फिल्मों के बारे में दोस्तों ने बहुत कहा। उस से एक एजूकेशन होती है। यू० पी० का जो इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट है उस ने कुछ इतनी अच्छी फिल्में तैयार की हैं कि जिन की तारीफ गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी की है। हां, जहां अपव्यय हो रहा है उसे आप रोकिए। जहां इकोनामी की गुंजायश हो उसे अवश्य कीजिए, लेकिन इन चीजों को समाप्त मत कीजिए।

त्रिपथगा अच्छी मैगजीन थी। उसे आप ने समाप्त कर दिया। उसके लिए तो मेरा भी व्यू यही था कि अगर वह सेल्फ सपोर्टिंग हो तो ही उसे कंटीन्यू करना चाहिए, अन्यथा नहीं। मान्यवर, कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। भारत सिंह जी ने कहा कि जो छोटे-

[श्री नवल किशोर—]

छोटे पत्रकार हैं जिलों में उन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उन से इस बात में इत्तिफाक करता हूं और उन के लिए हम को कुछ न कुछ करना चाहिए। यह सब काम उन अधिकारियों के द्वारा ही हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे दोस्तों ने इस बात को माना कि अगर यह काम आप एस० डी० एम्स० को दे देंगे तो यह काम नहीं हो सकेगा। यह काम तो मास कांटैक्ट करने वाले का ही हो सकता है, जो जनता में जा कर जागृति पैदा कर सके। यह काम एस० डी० एम्स० के द्वारा होने वाला नहीं है। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि एस० डी० एम्स० कर लेंगे। श्यामलाल जी का कहना है कि फैमिली प्लानिंग में कुछ पोस्ट्स क्रियेट होंगी। तो क्या इस काम को फैमिली प्लानिंग वाले करेंगे? क्या आप जिला सूचना अधिकारी को फैमिली प्लानिंग का काम देना चाहते हैं जो कि उस के पास बहुत से कामों में से एक रहा है? यह गलत होगा। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम ने सूचना विभाग में केवल कांग्रेस का ही काम कराया है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस का कांस्टीट्यूशन सूचना विभाग द्वारा कभी छापा गया हो, लेकिन अखबारों की खबर है कि जन कांग्रेस का साहित्य सूचना विभाग द्वारा छापा गया। आप खुद उन का उपयोग करते हैं और अपने गुनाहों को आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लादना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर श्यामलाल जी ने कहा होता कि ये सूचना अधिकारी निकम्मे हैं, इनएफिशियेन्ट हैं इसलिए इन की जांच की जायगी, इन को आवश्यकता होने पर निकाला जायगा तो ठीक होता, लेकिन आपने तो सब को एक डंडे से हांक दिया इसलिए सब को निकाल दिया कि वे कांग्रेस के जमाने में एप्वाइन्ट हुए थे। यह ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के जमाने में ग्रो मोर फूड की स्कीम चली थी। अब इस के माने होंगे कि आप ग्रो फूड की स्कीम चलाइए। कुछ लोगों की नीति है कि जो काम कांग्रेस ने किया हो उस से उल्टा काम किया जाय। कांग्रेस वाले कहें कि मुंह से खाना खाना चाहिए तो आप के हिसाब से वह अच्छा नहीं होगा। आप के अनुसार उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वैसे तो कहावत है कि अंधे के आगे रोइए, अपने नैन खोइए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि श्यामलाल जी नए नए हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप के सामने जो सुझाव आए हैं वह अच्छे हैं और इस लिए अगर आप को जिद न हो तो आप उन को मानिए। मुझे अफसोस है कि मुझे कटौती का प्रस्ताव पेश करना पड़ा। वरना मैं इस बात का हामी हूं कि सही तौर से जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च इन्फार्मेशन पर किया जाय वह कम है और हम को और ज्यादा रुपया उस पर खर्च करना चाहिए। लेकिन कटौती का प्रस्ताव मुझे इस लिए पेश करना पड़ा ताकि मैं सरकार की जो नीतियां हैं, उन की ओर आप का ध्यान केन्द्रित कर सकूं।

मान्यवर, वैसे तो कहा जाता है कि हमने बीस साल तक क्या किया। मैं इसका जवाब क्या दूं। मैंने यह भी कहा था कि अभी तक हिन्दुस्तान की और कांग्रेस की हिस्ट्री एक रही है। दूसरी हिस्ट्री अगर कोई बने तो बात दूसरी है। वैसे श्यामलाल जी कहते हैं कि "हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम न जाने क्या होगा"।

(व्यवधान)

बुलबुलें तो उड़ कर इधर आ गयीं। उनकी बात छोड़ दीजिए। अब तो मैं उल्लुओं की बात कर रहा हूं। उस पर आप ध्यान दें।

मान्यवर, आखिर में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे मित्र श्यामलाल जी इस बात को मानते हैं और उन्होंने संकेत रूप में कहा भी था कि सूचना विभाग का बड़ा महत्व है। आज सूचना विभाग का बड़ा महत्व है। मान्यवर, आज इस बात की विशेष आवश्यकता है कि जिले-जिले के अन्दर उसके केन्द्र बनाए जायं और उसके जरिए जनता में जागृति पैदा की जाय तथा उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए इस विभाग का विस्तार हो। मेरा सुझाव है कि बाम्बे व

कलकत्ता में भी इनके सेन्टर खुलने चाहिए जहां से हमारी सरकार के कार्यकलापों का जनता को ज्ञान हो और जिसके जरिए हमारे व्यापार व इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में भी सुविधा हो।

आखिर में मैं एक बात कहता हूं कि अगर माननीय श्यामलाल जी अब भी इस बात का वादा करें और यह आश्वासन दें कि जो सुझाव अकेले मैंने नहीं बल्कि इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों ने दिए हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वे अपनी जिद्द को छोड़ देंगे और जनता की भावनाओं के प्रति नतमस्तक होंगे तो मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने में कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन अगर वे अपनी जिद्द से नहीं हटेंगे तो मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव पर पहले ही की तरह डटा रहूंगा।

*श्री श्यामलाल यादव––

मान्यवर, मैं माननीय नवलकिशोर जी का तथा अन्य माननीय सदस्यों का बहुत अधिक कृतज्ञ हूं। माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के ऊपर जिस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए वे शायद इस विभाग के अनुदान में पिछले जमाने में नहीं आए होंगे। एक नए ढंग से इस अनुदान पर विचार हुआ और मैं समझता हूं कि वह काफी उत्साहवर्द्धक रहा है। जहां तक यह आरोप बड़े जोरदार शब्दों में लगाया गया कि राजनीतिक उद्देश्य से किसी पद की समाप्ति की गयी, मैं समझता हूं कि यह केवल माननीय सदस्यों का भ्रम है। ऐसा कोई पद नहीं है जिसका रखना आवश्यक था। इन पदों की उपयोगिता के सम्बन्ध में थोड़ी सी चर्चा हुई और किसी ने यह कहा कि जनतन्त्र को मजबूत करने के लिए तमाम व्यक्तियों को रहना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर इस पर कुछ विवेचना और विचार किया जाय जिसका कि समय नहीं है––लेकिन मैं इतना निवेदन करता हूं कि अगर विचार किया जाय तो वह आरोप धराशयी हो जायगा। जो व्यक्ति अपने शासनाधिकारी के लिए तानाशाही हुकूमत लाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि विज्ञापन पर, प्रचार के समस्त साधनों पर उसका एकाधिकार हो और जो बात वह कहे वही जनता सुने, जो बात वह कहे उसी को जनता पढ़े। यह तानाशाही हुकूमत लाना है जो जनतन्त्र का उद्देश्य नहीं है। जनतन्त्र को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि शासन की तरफ से इस प्रकार का एक पक्षीय प्रचार न हो वरना हिटलरिज्म की स्थिति आ जायगी। हिटलर जिस तरह से चाहता था, जो चाहता था उसी का प्रचार करवाता था और वही जनता पढ़ती थी। मैं समझता हूं कि इन पदों को समाप्त करके हिटलरिज्म को समाप्त कर दिया है। जनता की बात को न सुनकर एक आदमी की बात सुनना ठीक नहीं होता। जो अधिकारी हो वह एक व्यक्ति की बात का प्रचार करे और एक व्यक्ति की सेवा में ही लगा रहे तो उसे जनता के पैसे पर रखना ठीक नहीं होता। जब इस बात का मैंने आश्वासन दे दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को दूसरे विभागों में मौका दिया जायगा फिर यह कहना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से उनको नहीं रखा जाता, मैं इसको सही नहीं मानता। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनको २०–२० वर्ष तक स्थायी नहीं किया गया लेकिन इस विभाग के ८० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया। कमीशन ने जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको कैबिनेट ने ओवर रूल करके स्थायी कर दिया। इस विभाग में नियुक्तियां जबानी आदेश पर की गयीं और लोगों ने जबानी आदेश पर पदों को ग्रहण किया। मैं इस तरह की किसी बात से प्रभावित नहीं होता। जो भी निर्णय लिया गया है खूब सोच-समझ कर लिया गया है। विभाग में जो काम करते हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वे कौन सा काम करते थे ? वे केवल मोटर गाड़ियों में बैठ कर चन्द सिनेमा दिखलाया करते थे। मान्यवर, आपको भी इसका अनुभव है और सदन के माननीय सदस्यों को भी अनुभव है कि जो सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल यादव]

अधिकारी सरकार के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं, उनको जनता क्या समझती है ? किस भावना से लोग उसको सुनते हैं .....

श्री नवलकिशोर—

एक बात बता दें कि अगर आपके एस० डी० एम० इस काम को करेंगे तो क्या वे सरकारी आफिसर नहीं होंगे ?

श्री श्यामलाल यादव—

उनके द्वारा जो काम होता था, उसमें कोई भी कमी नहीं की जायेगी, वह काम होगा । फिल्म सेक्शन भी अपना काम करता रहेगा । गाड़ियां भी रहेंगी, उनके ड्राइवर्स भी रहेंगे । लेकिन खर्चे कम करने के खयाल से यह किया जा रहा है ।

फैमिली प्लानिंग का जहां तक ताल्लुक है, वह कार्य केन्द्रीय सरकार की सहायता से हो रहा है ताकि आदमी ज्यादा पैदा न हों । हम उनको वह काम देंगे और इस काम में कोई कमी नहीं आने पायेगी । जिला सूचना अधिकारी पहले भी जिलाधीश के नियंत्रण में कार्य करते रहे हैं, आज जो अधिकारी होंगे इस काम को करने के लिये वे भी जिलाधीश के ही नियंत्रण में होंगे । जो भी हमारे प्रचार की सामग्री होगी, साहित्य होगा वह सब इनके द्वारा, विकास खंडों के द्वारा जिला परिषद् के द्वारा जनता तक पहुंचता रहेगा । जो मेले और प्रदर्शनी होते हैं, उनके द्वारा भी प्रचार का कार्य होता रहेगा ।

छोटे-छोटे समाचार-पत्रों की ओर जो इशारा किया गया, हमारी यह नीति है कि छोटे-छोटे समाचार-पत्रों को भी हम अपने सीमित साधनों के अनुसार सहायता दें । छोटे समाचार पत्रों को भी हम सहूलियतें देना चाहते हैं । जो बड़े-बड़े अखबार हैं उनकी तो सहायता होती ही रहती है, लेकिन हम छोटे अखबारों को भी, जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत, विज्ञापन देंगे । अगर हमारे विज्ञापन देने से उनकी कुछ सहायता हो सकती है तो हम उसे करेंगे । लेकिन जो नियम बने हैं उनके अन्दर अगर वे आते हैं तब ।

दिल्ली में जो सूचना अधिकारी रहता था उसके बारे में कहा गया । हम समझते हैं कि जितना उस पर व्यय होता था उतनी उसकी उपयोगिता नहीं थी । माननीय नेकराम शर्मा जी ने भी उस ओर एक दिन कहा था । जो व्यक्ति था उसकी कोई छटनी नहीं की गयी है, वह व्यक्ति तो रहेगा, उस पोस्ट को खत्म किया गया है । वहां नियोजन आफिसर मौजूद रहेगा, उसके द्वारा ही उसका कार्य होगा । जो हमारे संसद में प्रतिनिधि हैं वे सब हमारी मांगों को केन्द्रीय सरकार के सामने समय-समय रखते ही रहते हैं । इस पर रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय रामायण राय जी का यह भी कथन असत्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ दिल्ली ३ अधिकारी गये थे । जो सूचना अधिकारी उनके साथ सम्बद्ध था, वह भी नहीं गया था, और यह २, ३ अधिकारी वाली बात गलत है ।

जिलों में कमेटी रखने की बात कही । यह बात हमारी नजर में नहीं आयी । लेजिस्लेचर की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी जिसने यह चीज रखी थी जिसको हमने स्वीकार नहीं किया और सूचना विभाग मान्यवर, यह जो भावना अगर किसी माननीय सदस्य के दिल में है तो न विभाग खत्म हो रहा है और न उन व्यक्तियों को निकाला जा रहा है । पर हां, जिन पदों को समाप्त किया जा रहा है उन स्थानों के व्यक्तियों को अन्यत्र स्थान देने की चेष्टा की जायेगी । सूचना विभाग का ऐसा गठन किया जा रहा है जिससे वह अधिक से अधिक उपयोगी हो, सूचना विभाग का काम होता रहे, जैसे कि समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी है, शासन द्वारा

कुछ प्रकाशित करवाने की आवश्यकता होती है, फिल्म्स आदि का प्रदर्शन करवाना होता है आदि तमाम काम होते रहेंगे । "त्रिपथगा" के बारे में कहा गया । यह सैल्फ सपोर्टिंग पत्रिका नहीं है । यह ऊंचे स्टैन्डर्ड की निकलती रही है इसमें कोई शक नहीं है । लेकिन फिर भी इस समय उसकी आवश्यकता को न देखते हुये उसका प्रकाशन आवश्यक नहीं समझा गया। एक पत्रिका "पंचायती राज" निकलती है । उस पत्रिका को सशक्त बनाया जायेगा, उस पत्रिका में अधिक सामग्री दी जायेगी । उसके सम्पादक को और अधिक वेतन दिया जायेगा और पत्रिका का स्तर ऊंचा किया जा सकता है । जिससे सरकार की तरफ से जितने काम हैं वह सब के सब उसमें आते रहेंगे औरउसके द्वारा सब सूचना मिलती रहे । होर्डिंग्स के बारे में माननीय नवलकिशोर जी ने कहा । ये होर्डिंग्स पिछले वर्ष बनी थीं । प्रदेश भर में २९४ होर्डिंग्स थीं । संजय एडवर्टाइजिंग एजेन्सी को १०१ दिये गये और श्रीमन्त आर्यावर्त्त एजेन्सी को ६६ दिये गये और इसके अलावा छोटी-छोटी एजेन्सीज को किसी को २०, किसी को १२, किसी को ८ और किसी को कुछ इस प्रकार दिये गये । उनसे दस परसेन्ट जमा करवा लिया गया था । जिन होर्डिंग्स की शिकायत पाई गई उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । और उनका अन्तिम भुगतान रोका हुआ है । किसी एक एजेन्सी को सारा काम नहीं दिया गया था । जैसा कि माननीय नवल किशोर जी का इस विषय में भ्रम है, मुझे निवेदन करना है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, ये चीजें पहिले की थीं और इस सम्बन्ध में जो स्थिति थी वह मैंने रख दी है मैं । स्वयं इस बात को देखकर जो दोषी हों, इस मत का हूं, कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । समय बहुत थोड़ा है ।

श्री श्यामलाल यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं । हिन्दी समिति के बारे में कहा गया । उसके बजट में कोई कमी नहीं रही है । वास्तविक जो आंकड़े हैं पिछले वर्ष के सन् ६६–६७ के वे १,३२,३०८ रु० के हैं । वहां पर हमारा प्राविजन १,८२,८०० रु० है नान प्लान में और प्लान में जो पूरे वर्ष के एक्चुवल हैं वे १,४१,४८९ रु० है, इस वर्ष में और दो लाख का प्राविधान किया गया है । इस विभाग के जो आवश्यक अंग हैं, उनमें, मैं समझता हूं, कि कोई कमी नहीं की गई है । यदि माननीय नवल किशोर जी सहमत हों तो इस विभाग के काम को बढ़ाया जाय, इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २८ सूचना निदेशालय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,७६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा सदस्य श्री गोविन्द सहाय के निधन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक ऐसी सूचना देनी है, माननीय नवलकिशोर जी, आपको सूचना मिली है अभी ?

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गोविन्द सहाय जो बीमार थे मेडिकल कालेज में, उनका देहान्त हो गया है । अब हम निश्चय करते हैं कि इस समय हम उठते हैं और उनके बारे में जो रैफरेंसेज होंगे वे कल हों ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ जुलाई, १९६७ ।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर ।)

क्रम-सं०	नाम अध्यापिका	कितने दिनों का कितना वेतन शेष है ?	वेतन न मिलने का कारण तथा कब तक दिया जायेगा
१	कुमारी शान्ति	जनवरी, १९६६ से फरवरी, १९६७ तक ४० रु० प्रति मास के क्रम से ४८० रु० बकाया बताया गया है ।	बिना किसी सूचना के कार्यभार से अलग हो गईं । सही पता भी मालूम नहीं है ।
२	सुश्री मुशीरा खातून	जनवरी, १९६६ से जून, १९६६ तक ३०० रु० ।	विद्यालय से निरन्तर अनुपस्थित रहने तथा स्पष्टीकरण मांगने पर भी उत्तर न मिलने के कारण वेतन रोका गया । इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है यदि कोई धनराशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा ।
३	सुश्री चंचला देवी	मार्च, अप्रैल, १९६६ के ८० रु०	विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण रोका गया । इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है । यदि कोई धनराशि देय होगी तो भुगतान किया जायेगा ।
४	सुश्री कमलावती देवी ।	जुलाई, अगस्त, १९६६ के ८० रु० ।	विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण रोका गया । इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है । यदि कोई धनराशि देय हुई तो भुगतान किया जायेगा ।
५	सुश्री चन्द्रावती देवी	अगस्त, १९६६ का कुछ समय का ४० रु० प्रतिमास की दर से वेतन अवशेष है ।	अध्यापिका का १०–८–६६ को स्वर्गवास हो गया । अभी तक किसी वारिस ने मांग नहीं की । मांग करने पर भुगतान होगा ।
६	सुश्री गिरजा देवी	जनवरी, १९६७ के ४० रु०	स्थानान्तरण होने के कारण दूसरे पाठशाला में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा ।
७	सुश्री विद्यावती देवी ।	फरवरी, १९६७ के ४० रु०	,, ,, ,,
८	सुश्री धर्मिणी देवी	अप्रैल, १९६७ के ४० रु०	पाठशाला से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन रोका गया । छानबीन के पश्चात् देय धनराशि का भुगतान किया जायगा ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४२८ पर ।)

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना पर डाक्टर रामदास कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें—

१—योजना स्थायी की जाये तथा इसके अन्तर्गत सृजित पद शनै-शनैः स्थायी किये जायें ।

२—पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों की देखरेख के लिये प्रत्येक जिले में उप विद्यालय निरीक्षक के स्तर का एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाये । इन पदों पर वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसार अध्यापक भी नियुक्त किये जा सकते हैं ।

३—अनुपजाऊ भूमि का सुधार किया जाये, फार्म, शैड इत्यादि बनाये जायें तथा सिंचाई की सुविधा पर व्यय बढ़ाया जाये ।

४—अन्य विभागों का सहयोग लिया जाये तथा पुनर्व्यवस्था एडवाइजरी बोर्ड पुनः स्थापित किया जाय ।

५—प्रसार अध्यापकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें और उनको प्रसार केन्द्रों के आयोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाये ।

६—पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में तैयार वस्तुओं की बिक्री की समुचित व्यवस्था की जाये ।

७—पुनर्व्यवस्था योजना की सामाजिक जांच की जाती रहे ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर।)

प्रेषक

शिक्षा निदेशक, उ० प्र०
शिक्षा (आई–१) विभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

(१) अध्यक्ष, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(२) अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका/महापालिका, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक आई–१/१५४१-१७९१/३१–४१ (७)/६७–६८, दिनांक २० मई, १९६७

विषय:—स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मुझे आप से यह कहने का आदेश दिया है कि विगत वर्षों में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त सुविधाओं के फलस्वरूप प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राइमरी स्कूलों में कार्य कुशलता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में जिले के उपलब्ध सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त कर लिया जाय।

२—सम्भव है उपलब्ध सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान रिक्त न हों। ऐसी स्थिति में सत्र के प्रारम्भ में होने वाली प्रशिक्षित अध्यापकों की सभी रिक्तियां (जैसे अध्यापकों के अवकाश ग्रहण) (retirement) के कारण तथा अतिरिक्त पदों के लिए शासन द्वारा दी हुई स्वीकृति के कारण) सर्वप्रथम प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा भरी जावें। यदि फिर भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी शेष बचें तो अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर इन शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जावे और ऐसा करने के लिए इस सर्वमान्य सिद्धांत का अनुसरण किया जाय कि जो अन्त में आवे वह पहले जाय (last come first go)। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के कारण हटाए गए अप्रशिक्षित अध्यापकों को बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के चुनाव में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

३—प्राइमरी स्कूल के लगभग २५ से ३० प्रतिशत अध्यापक अभी तक अप्रशिक्षित हैं अतएव उन्हें स्वयं अपने हित में इस ओर ध्यान देने की परम आवश्यकता है कि वे यथाशीघ्र बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के चुनाव में आ जावें अन्यथा उनके स्थान पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का खतरा हमेशा बना हुआ है क्योंकि निकट भविष्य में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होने वाले हैं।

४—ऐसी स्थिति में कृपया सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाय कि यदि वे प्रशिक्षण की उक्त सुविधा से लाभ नहीं उठाते हैं तो वे अपने जोखिम पर ही ऐसा करेंगे क्योंकि शासन की यह घोषित नीति है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण की योग्यता से अब कोई मुक्ति नहीं दी जायेगी।

५—शासन ने मुझे यह भी आदेश दिया है कि शासन की उपर्युक्त आज्ञाओं का पालन करने के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश दिए जायं। अतएव आप से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में प्रभावकारी कदम शीघ्र उठाने की कृपा करें।

भवदीय,

(ह०) सुधाकर शर्मा
सहायक शिक्षा निदेशक (प्रा०)
कृते अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र०।

संख्या पृष्ठाँकन आई १-१५४१/१७९१—३१-४१(७)/६७-६८

१—प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२—प्रतिलिपि उप-विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३—प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (घ) विभाग, लखनऊ और राजाज्ञा सं० डी० १-२०८/१५—२०५-६७, दिनांक ४ मार्च, १९६७ के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) सुधाकर शर्मा
सहायक शिक्षा निदेशक (प्रा०),
कृते अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र०।

पृष्ठाँकन सं.....

१—प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक तथा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र० के शिविर सहायक को शिक्षा निदेशक तथा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के सूचनार्थ प्रेषित।

२—प्रतिलिपि राजाज्ञा सं० डी० १-२०८—१५, दिनांक ४-३-६७ की प्रतिलिपि सहित, शिक्षा सामान्य (३) तथा आई (२) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया संलग्न राजाज्ञा पर भी अपने विभागों से सम्बन्धित विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह०) सुधाकर शर्मा
सहायक शिक्षा निदेशक (प्रा०),
कृते अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र०।

संख्या घ १-४८५७/१५—२०५-६६

प्रेषक

श्री ललित प्रसाद सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(१) समस्त अध्यक्ष,
जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त अध्यक्ष/ प्रशासक,
नगरपालिका/नगरमहापालिका, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (घ) विभाग

दिनांक लखनऊ, ११ जुलाई, १९६७

विषय:—स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र सं० आई (१) १५४१, दिनांक २० मई, १९६७ में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि जहां तक अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न है प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा केवल वे ही अप्रशिक्षित अध्यापक हटाए जायेंगे जिन्हें कार्य करते हुए दो वर्ष या उससे कम का समय हुआ है। प्रशिक्षित अध्यपकों की उपलब्धता के फलस्वरूप दो वर्षों से अधिक समय से कार्य करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों का सेवा से पृथक किया जाना अथवा न किया जाना पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर होगा।

भवदीय,

ललित प्रसाद सिंह,
अनुसचिव।

संख्या घ १-४८५७ (१)/१५—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

(१) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश,
(२) समस्त मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक/बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें।
(३) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ।

आज्ञा से,

ललित प्रसाद सिंह,
अनुसचिव।

नत्थी 'घ'

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक की धनराशि को निकाल देने या उसमें कमी करने के प्रस्ताव।

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

(लेखा शीर्षक २१—न्याय प्रशासन)

क्रम-संख्या	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—न्याय प्रशासन में हिन्दी भाषा के प्रयोग के अभाव एवं न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्कीकरण की दिशा में प्रभावकारी कदम न उठाए जाने की आलोचना।
२	श्री कालीचरण अग्रवाल ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में पक्षपात पर चर्चा करना। (२) जिला स्तर पर न्यायालयों में भ्रष्टाचार दूर करने पर सुझाव देना। (३) न्याय को सुगम एवं सस्ता करने पर चर्चा करना और सुझाव देना।
३	श्री कृष्णानन्द राय ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
४	श्री चन्द्रसिंह रावत ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—ग्राम जनता को न्याय सुलभ व सस्ता प्रदान करने के लिए फिजूल खर्ची को दूर किए जाने के विषय में चर्चा करना।
५	श्री कृष्ण सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—ग्राम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए फिजूल खर्ची को दूर किए जाने की चर्चा करना।
६	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
७	श्री रामायण राय ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—न्याय प्रशासन में हिन्दी के प्रति उदासीनता की आलोचना।
८	श्री दलबहादुर सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपए की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना, भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा सुझाव देना।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी 'ङ'

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक की धनराशि को निकाल देने या उसमें कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या २८--सूचना निदेशालय

(लेखा शीर्षक ३९---प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री कालीचरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--(१) सूचना निदेशालय की अकर्मण्यता पर चर्चा तथा उसे उपयोगी बनाने पर सुझाव। (२) जिलों में सूचना विभाग की दयनीय स्थिति पर चर्चा।
२	श्री प्रेमदत्त ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकार की दोषपूर्ण नीति की आलोचना एवं सुधार के सुझाव।
३	श्री लालन शर्मा ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
४	श्री मदन मोहन मिश्र ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--आलोचना एवं सुझाव देना।
५	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

पी० ए० यू० प०--ए० पी० ७१ एल० ए०--१९६७--८४६।